तृतीय माला, खंड 60, अंक 1 मंगलवार, 1 नवम्बर, 1966/10 कार्तिक, 1888 (शक)

Third Series, Vol. LX, No. 1 Tuesday, Nov. 1, 1966/Kartika 10, 1888 (Saka

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4/1/84
Parliament Library

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमे अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

(तृतीय माला, खण्ड 60—सोलहवां सत्र, 1966)

अंक 1—मंगलवार, 1 नवम्बर, 1966/10 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 1—Tuesday, Nov. 1, 1966/Kartika 10, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	**Obituary References**	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.		
1. खाद्य स्थिति	Food Situation	3
17. वर्षा न होने से अभाव की की स्थिति	Scarcity due to Failure of Monsoons .	4—10
2. खाद्यान्न नीति समिति का प्रतिवेदन	Foodgrains Policy Committee's Report.	10—14
3. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम	Applied Nutrition Programme . .	14—17
4. बस स्टापों पर समय (मैन आवर्स) की बरबादी सम्बन्धी सर्वेक्षण	Survey of Man-hours wasted at Bus stops	17
5. बड़ी बन्दरगाहों पर चोरियां	Thefts at Major Ports	18—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTION**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
6. हुगली पर दूसरा पुल-	Second Bridge on Hooghly . . .	20
7. कृषि विभाग और सामुदायिक विकास विभाग को मिलाना	Integration of Agriculture and Community Development Departments . .	21
8. रूसी ट्रैक्टरों का आयात	Import of Russian Tractors . . .	21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		

9.	प्रशिक्षण विमान	Trainer Aircraft	22
10.	कोचीन में दूसरा पोत निर्माण कारखाना	Second Ship building Yard, Cochin .	22-23
11.	मौसम के बाद भाड़े की कम दर	Off Season Low Freight Rate . . .	23
12.	ए पी जी लाइन्स के जहाजों द्वारा लाया गया खाद्यान्न	Foodgrains carried by Ships of Appejay Lines	23
13	किसानों को तुरन्त ऋण देने की योजना	Quick Credit Scheme for Farmers .	24
14.	विमान दुर्घटनाएं	Air Accidents	25
15.	असैनिक सेवाओं के लिये "एवरो"	'Avro' for Civil Services . .	25
16.	पर्यटन निगमों का विलय	Merger of Tourists' Corporations . .	25
18.	हिलटन्स के सहयोग से एक होटल की स्थापना	Setting up of a Hotel with Collaboration of Hiltons	25-26
19.	जम्मू तथा काश्मीर में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies in Jammu and Kashmir	26
20.	विश्व खाद्य न्यास	World Food Trust	26
21.	गैर-सरकारी बीज फ़ार्म	Private Seed Farms	27
22.	पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये भत्ते	Allowances for Port and Dock Workers .	27
23	चीनी पर से नियन्त्रण हटाना	Decontrol of Sugar	27-28
24.	खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि	Rise in Prices of Foodgrains .	28
25.	हवाई डाक शुल्क	Air Mail Charges	29
26.	राष्ट्रीय सड़क बोर्ड	National Road Board . . .	30
27.	खाद्य क्षेत्रों की समाप्ति	Abolition of Food Zones . . .	30
28.	एयर लाइन्स के कार्य की जांच	Enquiry into Affairs of Airlines . .	30
29.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company . . .	30-31
30.	राज्यों में कृषि योग्य भूमि	Cultivable Land in States . . .	31-32

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.			PAGES
1.	सिलचर पश्चिम चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की सूची	Voters' List of Silchar West Constituency	32
2.	खाद्यान्नों की आवश्यकताएं	Requirement of Foodgrains . .	32-33
3.	राजकीय खेत (फार्म)	State Farms	33
4.	हवाई अड्डा अधिकारी, वाराणसी	Aerodrome Officer, Varanasi . . .	33-34
5.	केन्द्रीय कन्दमूल अनुसन्धान संस्था, केरल	Central Tuber Research Institute, Kerala	34-35
6.	केरल में राशन की दुकानों पर चावल का मूल्य	Rice Price in Kerala Ration Shops . .	35
7.	केरल में चावल का समाहार	Rice Procurement in Kerala . . .	35
8.	चतुर्थ योजना में केरल के लक्ष्य	Kerala targets for Fourth Plan .	36
9.	वन्य पशुओं का संरक्षण	Preservation of Wild Animals . .	36-37
10.	मछली पकड़ते की विद्युत चालित नौकायें	Power Fishing Boats	37
11.	खाद्य विभाग के कर्मचारियों को खाद्य निगम में खपाना	Absorption of Food Department Employees in Food Corporation	37-38
12.	तैचंग नेटिव 1 धान	Taichang Native I Paddy . . .	38
13.	खाद्य की अधिक उपज देने वाली किस्में	High yielding Varieties of Food Grains .	39
14.	पालम हवाई अड्डा	Palam Airport	39-40
15.	मध्य प्रदेश के खंड विकास अधिकारियों के पद की समाप्ति	Abolition of Post of Block Development Officer in M. P.	40
16.	इंडियन एयर लाइंज कारपोरेशन के यात्री तथा माल भाड़े की दरों में वृद्धि	Rise in I. A. C. Passenger Fares and Cargo Rates	41
17.	अमरीका से गेहूं	Wheat from U.S.A. . .	41
18.	भूमि अर्जन अधिनियम	Land Acquisition Act . . .	42

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.			PAGES
19.	कृषि के विकास के लिए रूस की सहायता	U. S. S. R. Aid for Development of Agriculture	42
20.	फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme . .	42-43
21.	बम्बई के निकट कैरावल विमान दुर्घटना	Crash of I. A. C. Caravelle near Bombay .	43
22	भारत मलयेशिया विमान सेवा	India Malayasia Air Service . . .	43-44
23.	नार्वे से भारत के लिये उर्वरक	Norwegian Fertilizer for India . .	44
24.	केरल में मत्स्य उद्योग	Fishing Industry in Kerala . . .	44-45
25.	ट्रैक्टरों के पुर्जों की सप्लाई	Supply of Spares and Components of Tractors	45
26.	लग्जरी बसें तथा कारें	Luxury Buses and Cars	45-46
27.	खरीफ की फसल पर सूखे का प्रभाव	Effect of Drought Conditions on Kharif Crops	45-46
28.	खाद्यान्न नीति समिति का प्रतिवेदन	Foodgrains Policy Committee's Report .	47
29.	दिल्ली में अनाज को गोदामों में रखा जाना	Stocking of Foodgrains in Delhi Godowns	47-48
30.	मद्रास राज्य में चावल की कमी	Rice Scarcity in Madras State . .	48
31.	उड्डयन केन्द्र, इलाहाबाद	Flying Centre, Allahabad . .	48-49
32.	खाद्यान्न रहित भोजन	Non-Cereal Food	49
33.	विधि विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Law Students . .	49-50
35.	दक्षिण के राज्यों में अकाल सहायता	Famine Relief in Southern States . .	50
36.	अभावग्रस्त राज्यों को सहायता	Relief to Scarcity States . . .	51
37.	चलती फिरती मिट्टी परीक्षण गाड़ियां	Mobile Soil Testing Vans . . .	51-52
38.	बिहार सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	Grant from Central Road Fund to Bihar Government	52

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.		SUBJECT	PAGES
19.	कृषि के विकास के लिए रूस की सहायता	U. S. S. R. Aid for Development of Agriculture	42
20.	फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme . .	42-43
21.	बम्बई के निकट कैरावल विमान दुर्घटना	Crash of I. A. C. Caravelle near Bombay .	43
22	भारत मलयेशिया विमान सेवा	India Malayasia Air Service . . .	43-44
23.	नार्वे से भारत के लिये उर्वरक	Norwegian Fertilizer for India . .	44
24.	केरल में मत्स्य उद्योग	Fishing Industry in Kerala . . .	44-45
25.	ट्रैक्टरों के पुर्जों की सप्लाई	Supply of Spares and Components of Tractors	45
26.	लग्जरी बसें तथा कारें	Luxury Buses and Cars	45-46
27.	खरीफ की फसल पर सूखे का प्रभाव	Effect of Drought Conditions on Kharif Crops	45-46
28.	खाद्यान्न नीति समिति का प्रतिवेदन	Foodgrains Policy Committee's Report .	47
29.	दिल्ली में अनाज को गोदामों में रखा जाना	Stocking of Foodgrains in Delhi Godowns	47-48
30.	मद्रास राज्य में चावल की कमी	Rice Scarcity in Madras State . .	48
31.	उड्डयन केन्द्र, इलाहाबाद	Flying Centre, Allahabad . . .	48-49
32.	खाद्यान्न रहित भोजन	Non-Cereal Food	49
33.	विधि विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Law Students . .	49-50
35.	दक्षिण के राज्यों में अकाल सहायता	Famine Relief in Southern States . .	50
36.	अभावग्रस्त राज्यों को सहायता	Relief to Scarcity States . . .	51
37.	चलती फिरती मिट्टी परीक्षण गाड़ियां	Mobile Soil Testing Vans . .	51-52
38.	बिहार सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	Grant from Central Road Fund to Bihar Government	52

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
39.	विमान सेवायें	Air Services	52-53
40.	बढ़िया बीजों का उत्पादन	Production of Quality Seeds . .	53
41.	बच्चों को गोद लेने सम्बन्धी कानून	Law on Adoption of Children . .	53
42.	बिहार में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Bihar	54
43.	केन्द्रीय कृषि कर्मचारी कालिज	Central Agricultural Staff College .	54
44.	डेरी के पशु	Dailry Cattle	54-55
45.	नेहरू लोक	Nehru Lok	55
46.	मैसूर राज्य की मत्स्य परियोजनायें	Mysore State Fishery Projects . .	55-56
47.	मैसूर राज्य में चुनाव	Elections in Mysore State . . .	56
48.	राष्ट्रीय खाद्य परिषद्	National Food Council	56
49.	राष्ट्रीय चावल सप्ताह	National Rice Week	56-57
50.	सितम्बर, 1966 में रायपुर, रूरकेला और भिलाई में रहस्यमय विमान का उतरना	Landing of Mysterious Plane at Raipur, Rourkela and Bhilai in September, 1966	57
51.	होटल विकास निधि	Hotel Development Fund . . .	58
52.	पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourists Centres . .	58
53.	फार्म उपकरणों का निर्माण	Production of Farm Implements . .	58
54.	बिहार में झाड़खण्ड पार्टी के लिये दलचिह्न (सिम्बल)	Symbol for Jharkhand Party in Bihar .	59
55.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का संभरण	Supply of Food under PL 480 .	59
56.	आसाम को चावल का संभरण	Supply of Rice to Assam . . .	60
57.	रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Co. . . .	60-61

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
58.	पत्तनों पर माल उतारने और चढ़ाने में मशीनों का प्रयोग	Mchanised handling of Commodities in Ports	61
59.	जन्यती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Co.	62
60.	मोटर गाड़ी कर की वसूली	Recovery of Vehicles Tax	62
61.	ब्राज़ील से चावल	Rice from Brazil	63
62.	बिहार में भुखमरी से मृत्यु	Stravation Deaths in Bihar	63
63.	ग्राम स्वयंसेवक दल	Village Volunteer Force	63
64.	भारत हंगरी विमान सेवा	India Hungary Air Service	64
65.	डकोटा विमान	Dakotas	64
66.	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था	Indian Institute of Agricultural Research	64-65
67.	कोचीन बन्दरगाह	Cochin Port	65-66
68.	दिल्ली में राशन के आटे में कीड़े	Worms in Flour supplied by Ration shops in Delhi	66
69.	दिल्ली में मूंगफली की खेती	Cultivation of Groundnut in Delhi	66-67
70.	एकाधिकार जांच आयोग	Monopolies Enquiry Commission	67
71.	केरल में विनियमित मंडी व्यवस्था	Regulated market in Kerala	67-68
72.	केरल में चावल का भंडार	Rice Stock in Kerala	68
73.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सम्बधी सुविधायें	Medical benefit for I. A. C. Employees	68-69
74.	गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के जहाजों का आयात	Import of vessels for deep sea fishing	69
75.	दिल्ली राशनिंग विभाग	Delhi Rationing Department	69-70
76.	चुनाव याचिकायें	Election Petitions	70
77.	वनस्पति घी	Vegetable Ghee	70
78.	उड़ीसा द्वारा दिया गया धान	Paddy Supplied by Orissa	70

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGS
79.	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies . .	71
80.	पशु धन	Cattle Wealth	71-72
81.	नेशनल कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ बम्बई	National Chemical and Fertilizer Industries Bombay	72-73
82.	त्रिपुरा में चीनी की कमी	Sugar Shortage in Tripura . . .	73
83.	अन्तर्राज्यीय परिवहन सम्मेलन	Conference on Inter State Transpoort	73-74
84.	पारादीप बन्दरगाह	Paradeep Port	75
85.	कृषि पुनर्वित्त निगम	Agricultural Refinance Corporation . .	76
86.	राज्यों में राजपथ विभाग	Highway Departments in States . .	76
88.	एपेक्स सहकारी बैंक	Apex Cooperative Banks . . .	76
89.	गन्ने का उत्पादन	Production of Sugarcane . . .	76-77
90.	पर्यटन केन्द्रों का समेकित विकास	Integrated Development of Tourist Centres	77
91.	पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का सम्भरण	Supply of Foodgrains to West Bengal	77
92.	केरल में बस मालिक	Bus Operators in Kerala. . . .	78
93.	आयातित गेहूं के मूल्य को कम करने के लिये राज सहायता का दिया जाना	Subsidising Prices of Imported Wheat .	78-79
94.	त्रिपुरा में मतदाताओं की सूची	Voters list in Tripura	79
95.	पंजाब में खण्डसारी के कारखाने	Khandsari Units in Punjab . . .	79
96.	अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा भाड़े	International Air Fares	78-80
97.	पम्पावन का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Pampavana as a Tourist Centre . .	80
98.	कोंकन स्टीमर सेवा	Konkan Steamer Service . . .	80

अता०प्र०संख्या Us. Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
99.	बम्बई आगरा राष्ट्रीय राजपथ	Bombay Agra National Highway	81
100.	गोआ में उचित मूल्य वाली दुकानों में चावल की कमी	Rice Shortage in Fair Price Shops in Goa.	81
101.	राजकीय सड़क परिवहन सेवायें	Public Road Transport Services . .	82
102.	केरल के बन्दरगाहों के ड्रैजर	Dredgers of Kerala Ports . . .	82
103.	कृषि में ट्रैक्टरों का प्रयोग	Tractors in use in Agriculture . .	82-83
104.	कृषिजन्य उत्पादन की लागत	Cost of Agricultural Production . .	83-84
105.	अतिथि नियंत्रण आदेश, दिल्ली	Guest Control Order, Delhi . . .	84
106.	दिल्ली/नई दिल्ली में बंगलों के बागीचों तथा पीछे की खाली भूमि में अनाज का उत्पादन	Foodgrains production in Lawns and Back-yards of Bungalows in Delhi/New Delhi	84
	स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न) .	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Queries) . .	84-86
	सभा पटल पर रखे गए पत्र :	PAPERS LAID ON THE TABLE :	86---91
	पेटेन्ट विधेयक :	Patents Bill :	91
	(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee . .	91
	(2) साक्ष्य	(ii) Evidence	91
	(3) अध्ययन दलों की टिप्पणियां	(iii) Notes of Study Groups . .	92
	रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Railway Accidents . .	92
	डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh . . .	92
	समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee . . .	93
	पशु कल्याण बोर्ड	Animal Welfare Board	93
	मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in Council of Ministers	93

विषय	SUBJECT	
ठेका मजदूर (विनियमन तथा समाप्ति) विधेयक--पुर:स्थापित	Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill—Introduced	94
बीड़ी एवं चुरुट (नियोजन की शर्तें) विधेयक . .	Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Bill	94
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	94
श्री शाहनवाज़ खां .	Shri Shahnawaz Khan	94
श्री प्र० के० देव .	Shri P. K. Deo . . .	95
श्री दी० चं० शर्मा .	Shri D. C. Sharma . . .	96
श्री वारियर	Shri Warior	96-97
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pande	97
श्री अ० कु० गोपालन	Ahri A. K. Gopalan	98
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya . .	98
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida . .	99
श्री दे० शि० पाटिल	Shri D. S. Patil	99
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav . .	100
श्री श्याम लाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf	100
श्री नि० श्रीकान्त नायर	Shri N. Sreekantan Nair . .	101
श्री कन्डप्पन .	Shri Kandappan	101-102
खंड 2 से 44 और 1	Clauses 2 to 44 and 1 . . .	106—118
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended . .	118
श्री उमा नाथ	Shri Umanath	118
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	119
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill	119
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee . . .	119
सदस्य की दोष सिद्धि	Conviction of Member	119
(श्री रामेश्वरानन्द)	(Shri Rameshwaranand) . . .	119
दिल्ली पुलिस के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Delhi Police . . .	119
श्री नन्दा	Shri Nanda.	119-120

लोक-सभा

सदस्यो की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)

अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)

अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)

इम्बीचिबावा, श्री इ० कु० (पोन्नाणि)

इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री म० गं० (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उ—क्रमशः

उमानाथ, श्री (पुद्दुकोट्टै)
उलाका, श्री राम चन्द्र (कोरापुट)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (देवास)
काजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडाडी, श्री मांदेप्पा बंदप्पा (शोलापुर)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम)
कण्डप्पन, श्री (तिरूचेंगोड)
कन्नमवार, श्रीमती ताई (चांदा)
कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)
करूथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)
कामले, श्री तु० द० (लातूर)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किशन वीर, श्री (सतारा)
किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)
कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

क—क्रमशः

कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरियागंज)
कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केप्पन, श्री चेरियान (मुवात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री मुहम्मद (कोजीकोड)
कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)
कौजलगी, श्री हे० वी० (बेलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (पछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)
गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण, (दिल्ली—सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गौंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तूर)
गौड़, श्री वीरन्ना (बंगलौर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, डा० (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मा० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथ राव (रायचूर)
चह्वाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चह्वाण, श्री यशवन्त राव (नासिक)
चांडक, श्री भी० ल० (छिंदवाड़ा)

च—क्रमशः

चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनसकंठा)

चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

चौधरी, श्री चद्रमणिलाल (महुआ)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बहरामपुर)

चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)

चौधरी, श्री सचीद्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम)

जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित---नागालैण्ड)

जमुना देवी, श्रीमती (बुआ)

जयपाल सिंह, श्री (रांची--पश्चिम)

जयरामन, श्री (वांडीवाश)

जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)

जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगाँव)

जेधे, श्री गुलाबराव केशवराव (बारामती)

जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)

ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाडमेर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार)

त—क्रमशः

तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बैरावा (थंजावूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थांगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
थेनगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देब, श्री (त्रिपुरा पूर्व)
दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)
दाजी, श्री होमी (इंदौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री नयन तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (औसग्राम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्ड हार्बर)
दिंगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)

द—क्रमशः

देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)

देशमुख, श्रीमती विमलाबाई पंजाबराव (अमरावती)

देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)

देशमुख, श्री शिवाजी राव शंकरराव (परभणी)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरुचिरापल्लि)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नायक, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयूरभंज)

नायक, श्री मोहन (भंजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री बासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरंजन लाल, श्री (नाम निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह)

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी (फूलपुर)

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

प--क्रमशः

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)
पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौच)
पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)
पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (पाटन)
पटेल, श्री मानसिंह पृ० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)
परमशिवन, श्री स० क० (इरोड)
पराधो, श्री भोलाराम (बालाघाट)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)
पाटिल, श्री मा० भ० (रामटेक)
पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)
पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)
पाटिल, श्री स० बं० (बीजापुर–दक्षिण)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई–दक्षिण)
पाण्डेय, श्री रामसहाय (गुना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)
पाराशर, श्री (शिवपुरी)
पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)
पुरी, श्री दे० द० (कैथल)
पृथ्वीराज, श्री (दौसा)
पोट्टेकाट्ट, श्री (टलीचेरी)
प्रताप सिंह, श्री (सिरमूर)
प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली—करोलबाग)

फ

फिरोदिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खारगोन)

बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (केसरगंज)

बसवन्त, श्री सोनुभाई दागडू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बाकलीवाल, श्री (दुर्ग)

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)

बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बृजराज सिंह—कोटा, श्री (झालावाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नाम-निर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)

भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)

भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)

भानुप्रकाश सिंह, श्री (राजगढ़)

भार्गव, पंडित मु० बि० ला० (अजमेर)

भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जिया लाल (खगरिया)

मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)

मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)

मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)

मञ्जुराजू, श्री प० (नरसीपटनम)

मजीठिया, श्री सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, (श्री कोट्टयम)

मनेन, श्री (दार्जिलिंग)

मनोहरन, श्री (मद्रास--दक्षिण)

मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)

मरुतैया, श्री (मेलर)

मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)

मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (राजकोट)

मसुरिया दीन, श्री (चैल)

महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)

महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)

महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)

महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)

महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)

म—क्रमशः

महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषी, डा० मरोजिनी (धारवाड़—उत्तर)
महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
माली, मरयापा, श्री (तुमकुर)
मिनीमाता, श्रीमती अगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेशदत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता मध्य)
मुकाने, श्री यशवंतराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुजफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डेविड (लोहरदगा)
मुरमू, श्री मरकार (बलूरघाट)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद यूसफ, श्री (सीवन)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई—उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मुकंदपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)

म—क्रमशः

मेहता, श्री ज० ग० (पाली)

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)

मेहदी, श्री सै० अ० (रामपुर)

मेहरोत्रा, श्री व्रजबिहारी (बिल्हौर)

मैंगी, श्री गोपाल दत्त (जम्मू तथा काश्मीर)

मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)

मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)

मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)

यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)

यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)

यादव, श्री रामसेवक (बाराबंकी)

यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

युद्धवीर सिंह, श्री (महेन्द्रगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)

रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुरामैया, श्री को० (गूंतूर)

रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रतन लाल, श्री (बांसवाड़ा)

राउत, श्री भोला (बतिया)

राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)

राजदेव सिंह, श्री (जोनपुर)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

र—क्रमशः

राजा, श्री चित्तरंजन (जूनागढ़)

राजा राम, श्री (कृष्णगिरि)

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)

राजू, डा० द० स० (राजमुंड्री)

राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)

राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)

राम, श्री तु० (सोनबरसा)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)

रामधनीदास, श्री (नवादा)

रामनाथन चेट्टियार, श्री (करूर)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामभद्रन, श्री (कडलूर)

रामसिंह, श्री (बहराइच)

रामसुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)

रामसेवक, श्री (जालोन)

रामस्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)

रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)

रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)

रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)

राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)

राय, डा० सारादीश (कटवा)

राव, डा० कु० ल० (विजयावाड़ा)

राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)

राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)

राव, श्री रमापति (करीमनगर)

राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)

राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

र—क्रमशः

रावनवले, श्री (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकटसुब्बा (तिन्डीवनम)

रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री नरसिम्हा (रामपेजट)

रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)

रेड्डी, डा० बे० गोपाल (कावलि)

रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)

रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)

रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री हु० चा० लिंग (चिकबल्लापुर)

रेड्डी, श्री सुरेन्द्र (महबूबाबाद)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)

लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)

लखमू भवानी, श्री (बस्तर)

ललित सेन, श्री (मण्डी)

लहरी सिंह, श्री (रोहतक)

लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)

लाहटन चौधरी, श्री (सहरसा)

लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)

लिमये, श्री मधु (मुंगेर)

लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

लोहिया, डा० राम मनोहर (फर्रुखाबाद)

व

वर्मा, श्री कु० कृ० (सुल्तानपुर)

वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)

वर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)

वर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)

वर्मा, श्री सूरजलाल (सीतापुर)

व—क्रमशः

वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय राजे, श्रीमती (छपरा)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलूरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह- श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटासुब्बय्या श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया- श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (साबरमती)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प्र० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली—चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसनेहीघाट)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिंकरे, श्री (मरमागोआ)

श—क्रमश:

शिन्दे, श्री अन्ना साहब (कोपरगांव)

शिवनंजप्पा, श्री (मंड्या)

शिव नारायण, श्री (बांसी)

शिवप्रधासन, श्री कु० (पांडीचेरी)

शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)

श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)

श्रीनारायण दास, श्री दरभंगा)

श्रीनिवासन डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिढ्का (पार्वतीपुरम)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)

सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)

समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्म तथा काश्मीर)

सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)

साधूराम, श्री (फिलौर)

सामन्त, श्री स० चं० (तामलुक)

साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)

साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)

सिंघवी, डा० लक्ष्मीमल्ल (जोधपुर)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)

सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रताप गढ़)

सिंह, श्री कृष्ण कान्त (महाराजगंज)

सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)

सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)

सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)

सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)

सिंह, श्री यज्ञ नारायण (सुन्दरगढ़)

सिंह, श्री म० टो० (आन्तरिक मनीपुर)

स—क्रमशः

सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्द्य्या, श्री (चामराजनगर)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (पटना)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्बारामन, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेंकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सक्षियान, श्री इरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता—पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम् रामचन्द्रन्, श्रीमती (डिंडिगल)
स्नातक, श्री नरदेव (हाथरस)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालन्धर)
स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टेंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैज, श्री ज० गि० (आसाम—स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोड्डा)
हिम्मतसिंहजी, श्री (कच्छ)
हुकम सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सोनावने
श्री प्र० के० देव
श्री पें० वेंकटासुब्बया
श्रीमती रेणुका राय
श्री श्यामलाल सर्राफ

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमण्डल

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री .	श्रीमती इन्दिरा गांधी
गृह-कार्य मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री .	श्री जगजीवन राम
वैदेशिक-कार्य मंत्री . .	श्री स्वर्ण सिंह
रेलवे मंत्री	श्री स० का० पाटिल
प्रतिरक्षा मंत्री . . .	श्री यशवन्तराव चव्हाण
परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री .	श्री संजीव रेड्डी
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री .	श्री चि० सुब्रह्मण्यम
वित्त मंत्री	श्री शचीन्द्र चौधरी
संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री . .	श्री सत्य नारायण सिंह
शिक्षा मंत्री .	श्री मु० क० चागला
उद्योग मंत्री . . .	श्री संजीवय्या
योजना मंत्री	श्री अशोक मेहता
वाणिज्य मंत्री . . .	श्री मनुभाई शाह
विधि मंत्री	श्री गोपाल स्वरूप पाठक
सिंचाई और विद्युत् मंत्री .	श्री फखरुद्दीन अहमद

राज्य-मंत्री

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री .	श्री मेहर चन्द खन्ना
सूचना और प्रसारण मंत्री . . .	श्री राज बहादुर
खान तथा धातु मंत्री . . .	श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री . .	डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री . .	श्री जयसुख लाल हाथी
सम्भरण, तकनीकी विकास तथा समाज कल्याण मंत्री	श्री कोत्ता रघुरमैया
पेट्रोलियम और रसायन मंत्री .	श्री अलगेसन
रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री . .	डा० राम सुभग सिंह
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री .	डा० कु० ल० राव

राज्य-मंत्री—क्रमशः

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री ब० रा० भगत
प्रतिरक्षा मत्रालय में राज्य-मंत्री . .	श्री अ० म० थामस
परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य-मंत्री	श्री चे० मु० पुनाचा
विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री .	श्री चे० रा० पट्टाभिरामन
संचार तथा संसद् कार्य विभाग में राज्य-मंत्री . .	श्री जगन्नाथ राव
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री . .	श्री दिनेश सिंह
उद्योग मत्रालय में राज्य-मंत्री . .	श्री विभुधेन्द्र मिश्र
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री .	श्री गोविन्द मेनन
लोहा और इस्पात मंत्री . . .	श्री वि० ना० सिंह

उपमंत्री

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री	श्री शाहनवाज़ खां
गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री . . .	श्री पू० शे० नास्कर
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री .	श्री ब० सू० मूर्ति
वित्त मंत्रालय में उपमंत्री .	श्री ल० ना० मिश्र
शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री . .	डा० (श्रीमती) सौंदरम रामचन्द्रन
श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री .	श्री दा० रा० चव्हाण
समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री . .	श्रीमती चन्द्रशेखर
रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री . .	श्री शाम नाथ
निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री	श्री भगवती
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री	श्री श्यामधर मिश्र
लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री	श्री प्र० चं० सेठी
शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री . . .	श्री भक्त दर्शन
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री . . .	श्री शिन्दे
गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री .	श्री विद्याचरण शुक्ल
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री . .	श्री इकबाल सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री .	श्रीमती नन्दिनी सत्पथी
वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री . . .	श्री शफी कुरेशी

उपमंत्री—क्रमशः

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री . .	श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह
खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री . .	श्री सै० अ० मेहदी

सभा सचिव

अणु शक्ति विभाग में सभा सचिव . . .	डा० सरोजिनी महिषी
संचार विभाग में सभा सचिव . . .	श्री भानु प्रकाश सिंह
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में सभा सचिव . .	श्री स० चु० जमीर
गृह-कार्य मंत्रालय में सभा सचिव . .	श्री डा० एरिंग

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 1 नवम्बर 1966/10 कार्तिक, 1888 (शक)
Tuesday, November 1, 1966/Kartika 10, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITURY REFERENCES.

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने मित्रों में से तीन मित्र, जिनके नाम डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर, श्री कृष्णाचार्य जोशी और श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला हैं, के दुखद निधन की सूचना सभा को देता हूं।

डा० सी० डी० रामास्वामी अय्यर वर्ष 1930 और 1932 के दौरान केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1932 में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद् के वाणिज्य सदस्य के रूप में कार्य किया। वह प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एवं महान प्रशासक थे। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद जीवन के अन्तिम क्षणों तक वह अपना कार्य पूर्ण जोश के साथ करते रहे। अपने जीवन के 87 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त उनका लन्दन में 26 सितम्बर 1966 को देहावसान हो गया।

श्री कृष्णाचार्य जोशी वर्ष 1952 से 1957 तक प्रथम लोक-सभा के सदस्य रहे। उनका 66 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 1966 को हैदराबाद में देहान्त हो गया।

श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला 1946 से 1962 वर्षों के दौरान केन्द्रीय विधान सभा, भारत की संविधान सभा, अन्तःकालीन संसद, प्रथम लोक-सभा और दूसरी लोक-सभा के सदस्य रहे। उनका 80 वर्ष की आयु में 15 अक्तूबर 1966 को पांडिचेरी में देहान्त हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ मिलकर शोक-संतप्त परिवार को शोक-संदेश भेजेगी।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्गीय डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर को, जिनका गत 26 सितम्बर को लन्दन में देहान्त हो गया है,

श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके निधन का समाचार पाते ही देश शोक-सागर में डूब गया, क्योंकि देश ने एक ऐसी योग्य एवं महान विभूति को खो दिया है जिसने विभिन्न रूपों में देश की अनन्यतम सेवा की है।

वह भारत के महान विधिवेत्ताओं में से एक थे। तत्कालीन मद्रास प्रेजीडेन्सी के विधि सदस्य के नाते उन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण सुधार किये। तदनन्तर वाइसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता-काल में उन्होंने जो सुधार किये उनको भी नहीं भुलाया जा सकता।

प्रशासक की हैसियत से भी उन्होंने एक महान कार्य किया और विदेशी शासकों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के बावजूद उन्होंने महत्वपूर्ण राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कार्यों में पहल की।

त्रावणकोर के दीवान के रूप में उन्हें भारी प्रशंसा मिली, और उन्हीं के सद्कार्यों के परिणाम-स्वरूप वह रियासत देश की सर्वाधिक उन्नत एवं सम्पन्न रियासतों में से एक बन गयी।

शिक्षा शास्त्री के नाते देश के महानतम शिक्षाशास्त्रियों में उनका स्थान था। अन्नामलाइ विश्वविद्यालय पर, जिसकी वह उप-कुलपति के रूप में अन्तिम क्षण तक सेवा करते रहे, पर उनके व्यक्तित्व और बुद्धि की स्पष्ट छाप मिलती है।

उनके निधन से हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है जहां कुशल राजनीतिज्ञ प्रशासक, विद्वान, लेखक एवं वक्ता के सभी विलक्षण गुण आकर एकाकार हो गये थे।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस सम्बन्ध में सभा में प्रकट की गयी संवेदनापूर्ण भावनाओं को उनके परिवार के सदस्यों को भेजें। उनके परिवार में इस सभा के एक गण्यमान सदस्य और मंत्रि-परिषद में मेरे एक सहयोगी, श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् भी हैं।

मैं दो अन्य संसद् विज्ञ सर्वश्री कृष्णाचार्य जोशी और बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला के निधन पर भी शोक प्रकट करता हूं। श्री कृष्णाचार्य जोशी प्रथम लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने स्वतन्त्रता से पूर्व हैदराबाद कांग्रेस आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। निजाम के निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिये तथा राज्य में लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित करने के लिये उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। हैदराबाद के भारत में विलय हो जाने के पश्चात् उन्होंने जो सामाजिक कार्य किया, वह सामाजिक चिरस्मरणीय रहेगा।

श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला अन्तःकालीन संसद्, प्रथम एवं द्वितीय लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वतन्त्रता-संग्राम के दौरान लोक-सेवा के क्षेत्र में अच्छी ख्याति प्राप्त की। उनका सम्बन्ध अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ था।

इन तीन मित्रों के निधन पर हम अत्यन्त शोकाकुल है और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे शोकार्द्र मनोभावों को शोक-संतप्त परिवार को पहुंचाया जाय।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा थोड़ी देर के लिये शोक प्रकट करने के लिये मौन खड़ी रहे।

इसके पश्चात सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे।

(The Members then stood in Silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1 श्री राम सहाय पाण्डेय।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रश्न संख्या 24 तथा 27 का उत्तर भी इसी प्रश्न के साथ दिया जाय क्योंकि वे भी इस विषय से सम्बन्धित हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इसे सुविधाजनक समझें तो प्रश्न संख्या 24 तथा 27 के बजाय प्रश्न संख्या 17 का उत्तर इस प्रश्न के साथ दे सकते हैं।

खाद्य स्थिति

+

*1. **श्री राम सहाय पाण्डेय** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री फिरोडिया :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री लीलाधर डाटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० रानेन सेन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० म० मो० दास :
श्री श्री नारायण दास :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कपूर सिंह :
श्री प० ह० भील :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान खाद्य स्थिति क्या है; और

(ख) खाद्य स्थिति को सुधारने तथा देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों की कमी को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1965–66 में अभूतपूर्व सूखा पड़ने और 1966–67 में देश के अधिकांश भागों में मानसून के असफल रहने के कारण देश की खाद्य स्थिति कठिन हो गयी है। खाद्य स्थिति पर एक विस्तृत विवरण बहुत जल्द सभा के पटल पर रखा जायेगा।

(ख) खाद्य स्थिति सुधारने के लिये निम्नलिखित मुख्य उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) उन्नत बीज और सघन खेती उपाय अपना कर स्थानीय उत्पादन बढ़ाना।

(2) अधिक से अधिक आन्तरिक अधिप्राप्ति करना।

(3) विदेशों से खाद्यान्नों का आयात।

वर्षा न होने से अभाव की स्थिति

*17. श्री महेश्वर नायक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री लाखन दास :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री कपूर सिंह :
श्री प० ह० भील :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भी वर्षा पिछले वर्ष की तरह ही कम हुई है और देश के कुछ भागों में अधिक नहीं तो इतनी कमी होगी जितनी पिछले वर्ष थी ।

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से क्षेत्र अभावग्रस्त हैं, और

(ग) दुर्भिक्ष पीड़ित व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1966 की दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुल हुई वर्षा और 1966 में और 1965 में सामान्य से अन्तर बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी—7143/66**] चालू वर्ष में वर्षा में कमी पश्चिमी बंगाल के गंगा के क्षेत्र बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और गुजरात के कच्छ क्षेत्र और महाराष्ट्र के कोकन क्षेत्र में गत वर्ष के बराबर अथवा अधिक हुई है । 1966 में मानसून वर्षा उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कम हुई है ।

(ख) चालू वर्ष में मानसून वर्षा के कम होने के कारण विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सूखे की स्थिति रहने की सम्भावना है ।

(ग) प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिये कमी से प्रभावित राज्यों की राज्य सरकारों ने सहायता कार्य शुरू कर दिये हैं । स्टाक की उपलब्धि को देखते हुए इन राज्यों को खाद्यान्नों का नियतन बढ़ाया जा रहा है । इन नियतनों में बूढ़े, दुर्बल और अन्य जरूरतमन्द लोगों को मुफ्त सहायता के रुप में बांटने के लिये मात्राएं भी शामिल है । कुपोषण की समस्या को हल करने के लिये भी

उपाय किये गये हैं और इन राज्यों को जनसंख्या के जरूरतमन्द वर्गों जैसे जैसा कि गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं और बच्चों में मुफ्त बांटने के लिये दुग्ध चूर्ण और विटामिन बिस्कुट आदि का नियतन किया जा रहा है। मौजूदा कुओं को गहरा कर और या नये कुओं का निर्माण कर अथवा रेल लारियों आदि से पानी की ढुलाई करके पीने के पानी की कमी की समस्या को हल करने के भी उपाय किये गये हैं ।

केन्द्रीय सरकार ने सहायता कार्यों के लिये वित्तीय सहायता के मानक को उदार बना दिया है। और सहायता कार्य शुरू करने और अन्य सहायता सम्बन्धी कार्यों को करने के लिये वित्तीय सहायता ऋण और अनुदान के रूप में सुलभ की जा रही है।

Shri Ram Sahai Pandey: What will be the requirements of those parts of the country where monsoons failed partially or totally and which are drought-affected areas ? What steps are being taken to fulfil their requirements by internal as well as external resources?

श्री गोविन्द मेनन : प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में यह बताया गया है कि सूखा तथा अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में क्या करने का विचार है। इसके अतिरिक्त हम अधिप्राप्ति व्यवस्था को दृढ़ बनायेंगे और आवश्यकतानुसार खाद्यान्नों का आयात भी किया जायेगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मेरा प्रश्न तो बिलकुल स्पष्ट था.....

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि अकालग्रस्त प्रदेशों की आवश्यकता क्या है और उसे किस प्रकार से पूरा किया जायेगा--देशी उत्पादन से अथवा आयातित अन्न से।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : राज्यों के सूखा-पीड़ित प्रदेशों की वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। अतः हमने इन राज्यों की नवम्बर मास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अन्न का आबंटन कर दिया था किन्तु शीघ्र ही मुख्य मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है जिसमें इन सब बातों पर विचार किया जायेगा जिसके बाद ही हम आवश्यकता का ठीक अनुमान लगा सकेंगे।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह सच है कि खाद्य मंत्री के अनुमान से इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अधिक उत्पादन होगा। यदि हां, तो इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा कितना अधिक उत्पादन होगा ?

श्री गोविन्द मेनन : कृषि के नये तरीकों को अपनाने के परिणामस्वरूप इस वर्ष 950 से 1000 लाख टन उत्पादन होने की आशा थी किन्तु दुर्भाग्यवश इस सूखे के कारण उत्पादन बहुत ही कम होने की सम्भावना है, यह इस वर्ष 800 और 850 लाख टन के बीच होगा।

Shri Yashpal Singh: In the Legislative Assembly of Bihar the Chief Minister said recently that Indian profiteers send one accept bag of wheat to China and one tola of gold in exchange. How much quantity of grains is thus smuggled to China?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री क० ना० तिवारी : माननीय खाद्य मंत्री और सिंचाई मंत्री ने बिहार का जो दौरा किया उसके लिये हम उनका धन्यवाद करते हैं। बिहार में सूखे की हालत है। बिहार सरकार की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : सहायता कार्य शीघ्र आरम्भ करने के लिये 5 करोड़ रु० का तदर्थ आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त नवम्बर में हमने खाद्यान्न का संभरण भी बढ़ाया है। इन सब उपायों से उनको स्थिति पर काबू पा लेना चाहिये।

श्री नाथ पाई : इस के बावजूद कि मंत्रियों ने विमानों में उड़ान करके सूखाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे किये है किसी को यह विश्वास नहीं होता कि सरकार इस खतरनाक स्थिति के प्रति जागरूक है और लगभग 10 करोड़ व्यक्ति जो भुखमरी के शिकार हैं उनको बचा लेगी। क्या माननीय मंत्री इसकी गभीरता को महसूस करते हैं जो कुछ कहा है कि 'यह कठिन होगा'। जब कि हम जानते हैं कि विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तियों पर इसका प्रभाव है? इसके परिणामस्वरूप बच्चों को बेचा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह एक अनुपूरक प्रश्न पूछें। हम चर्चा अलग से कर सकते हैं।

श्री नाथ पाई : बहुत अच्छा मुझे इसलिये इतना कुछ कहना पड़ा है कि उन्होंने "यह कठिन होगा' शब्दों का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी यह एक अनुपूरक प्रश्न है।

श्री नाथ पाई : अच्छा। क्या वह गंभीरता को महसूस करते हैं जैसा कि खबरों से प्रकट होता है जिनकी कि पत्रकारों के कहने के अनुसार पुष्टि भी कर ली गई है। मैं 24 अक्तूबर के "इण्डियन एक्सप्रेस" से उद्धृत कर रहा हूं "सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बच्चे बेचे जा रहे हैं?" यह कहां तक सच है और सरकार क्या उपाय कर रही है और कितना अनाज आयात किया जा रहा है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य अच्छा स्वास्थ्य लेकर लौटे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त जब मेरे साथी ने कहा कि स्थिति कठिन है तो इसमें सब कुछ शामिल था। मुझे विश्वास है कि विशेष रूप से वर्षा न होने के सम्बन्ध में देश अब अच्छी तरह जानता है कि इस वर्ष हमें वास्तविक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा और इसके लिये कितना काम करना पड़ेगा इसको हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि गत वर्ष हमारे पास कुछ पिछला अनाज बाकी था। 1964–65 के दौरान फसल बहुत अच्छी हुई थी जब कि यह वर्ष उस वर्ष के बाद आया है जिसमें कि सब से बुरा सूखा पड़ा था। इसलिये हमारे पास पिछले वर्ष का कुछ भी अनाज शेष नहीं है। अतः हम इसको पूरी तरह जानते हैं और स्थिति का सामना करने के लिये हम अधिक से अधिक कदम उठा कर प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सभा को केवल आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार स्थिति के प्रति पूरी तरह जागरूक है और जो कुछ भी मानवीय दृष्टि से संभव है किया जायेगा। बच्चों के बेचे जाने के प्रश्न के बारे में मुझे सूचना चाहिये। मैं निश्चय ही जांच पड़ताल करूंगा कि क्या हुआ है और किस क्षेत्र में हुआ है।

श्री श्रीनारायण दास : विभिन्न राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनाज की बिक्री और वितरण के लिये क्या प्रबन्ध करने का विचार है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पिछले वर्ष ही अनाज के वितरण का हमें कुछ अनुभव हुआ है। इसके तीन तरीके हैं : एक है बड़े शहरी क्षेत्रों में संविहित राशन लागू करना, दूसरा, अनौपचारिक राशन और तीसरा, उचित मूल्य वाली दूकानें खोलना। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इन तीनों तरीकों का प्रयोग किया जायेगा।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस फैलती हुई खबर को सुना है कि उपहार में मिले दूध के प्रत्येक डिब्बे को जरूरतमन्द व्यक्तियों को दिये जाने की बजाये इससे कांग्रेस के लिये मत खरीदे जाते हैं और यदि हां, तो इस बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि यह सही है कि प्रत्येक डिब्बे का दुरुपयोग किया जा रहा है। यद्यपि मैं इससे इन्कार करने और यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि दुरुपयोग बिलकुल नहीं हुआ है, मोटे तौर पर यह बच्चों और बच्चे वाली माताओं को पहुंच रहा है जिनके लिये यह है।

Shri Bibhuti Mishra: The hon. Minister recently visited Bihar twice. What is his estimate of the damage to crops in Bihar and what machinery does he propose to have to meet this situation so that the drought-affected people may have regular supply of food grains there?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस वर्ष सूखे का सब से बुरा असर बिहार पर पड़ा है इसलिये वहां पर स्थिति का सामना करने के लिये बहुत ही विशेष उपाय करने होंगे। पहले तो इस स्थिति का सामना करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना होगा। तत्पश्चात् उस प्रशासनिक व्यवस्था से हमें उन सभी उत्पादन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराना होगा जिन से तुरन्त लाभ हो सकता है। दूसरे, बिहार में लोगों की आवश्यकता की पूरा करने के लिये हमें बड़े पैमाने पर अनाज का संभरण करना होगा।

Shri Sarjoo Pandey: Have the U.P. Government submitted a report to the Central Government regarding the prevailing drought there, if so, the steps being taken by Central Government to tackle the drought?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : एक सरकारी दल ने उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया था और उसने कल ही एक प्रतिवेदन दिया है। मैंने अभी इस पर विचार नहीं किया है; मैं इसको देखूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार से इस विषय पर बातचीत करने के लिये कि क्या विभिन्न उपाय किये जायें, मैं 4 तारीख को लखनऊ का दौरा करूंगा।

Shri Vishwanath Pandey: It appears that only those areas have been hit by drought where irrigation facilities are not in abundent are the Central or the State Government have not made available those irrigation facilities. May I know whether the Government have been chalked out any programme to provide means of irrigation in those areas?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, वास्तव में हम ऐसा उपाय करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं—जहां पर भी पानी उपलब्ध है उसको पम्पों द्वारा निकालने और सिंचाई के लिये प्रयोग में लाने काप्रयत्न कर रहे हैं। जहां पर यह संभव है हम यह भी देख रहे हैं कि पम्पों को बिजली से चलाया जा सके। माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि सिंचाई प्रयोजनों के लिये हम वर्तमान जलसंसाधनों को उपयोग करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं.... (**व्यवधान**)

श्री बड़े : वास्तविक कठिनाई यह है कि गत वर्ष भी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा था। इस बार भी 32 जिलों में सूखा पड़ा है। वास्तविक कठिनाई यह है कि आदिवासियों और किसानों में खरीदने

की क्षमता नही है। यदि आप उनको खाना या अन्य कोई सुविधाएं दें तब भी वास्तविक कठिनाई यह है कि उनमें खरीदने की क्षमता नहीं है। पहले ऐसे अकालग्रस्त क्षेत्रों में सभी किसानों को पोषण भत्ता दिया जा रहा था। क्या सरकार किसानों को पोषण भत्ता देने जा रही है ताकि वे सस्ती दुकानों या सस्ती राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारा उद्देश्य सहायता कार्यों की व्यवस्था करना है। ये सहायता कार्य रोजगार देना और मजूरी द्वारा खरीदने की शक्ति देना है। मुफ्त सहायता केवल वृद्ध, बीमार और अंगहीन व्यक्तियों के लिये ही है।

श्रीमती सावित्री निगम : इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वालों को अनाज देने के लिये उचित और सराहनीय कदम उठाये हैं। परन्तु मैं जानना चाहती हूं कि अनाज के व्यापारियों द्वारा जो अनाज जमा किया गया है उसको बाहर निकालने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और रबी की फसल की बुवाई के कार्य को जोर शोर से आरम्भ करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : निश्चय ही यदि कोई जमाखोरी हुई तो राज्य सरकारें जमा किये गये स्टाक को विशेष रूप से बड़े किसानों और बड़े व्यापारियों के गोदामों से बाहर निकालने में हिचकिचायेगी नहीं। जहां तक रबी की बुवाई का सम्बन्ध है जहां भी नमी है हम वहां बुवाई आरम्भ कर रहे हैं चाहे वहां पहले कभी रबी की फसल न भी हुई हो।

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, in view of the fact that the drought conditions have been sporadically prevailing in the country for the last so many years and also in view of the fact that this time four or five States have been hit by drought and that it was known to the Centre and the States even in the month of September that the monsoon was failing, what steps have been taken, or are being taken and will be taken in future to provide irrigation facilities for rabbi sowing?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उपलब्ध जल संसाधनों के प्रयोग के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है और किया जायेगा परन्तु वर्षा न होने के कारण पुराने जल स्रोत भी सूख गये हैं; हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

Shri Ram Sewak Yadav: Sir the question must be answered. For your Information I would like to add that nothing is being done at any place. I have been to that place, water is not available there and crops is not being sown and there is utter confusion all around.

Mr. Speaker: Order, order. Shri D. J. Naik.

श्री दे० जी० नायक उठे—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति।

Shri Kishen Pattnayak: Sir, you should get the answer to the question.

Mr. Speaker: He should not interrupt like this.

Shri Bagri: If the Minister does not reply, the interruptions will continue.

Shri Kishen Pattnayak: The answer should be exact and to the point.

अध्यक्ष महोदय : श्री किशन पटनायक कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वह सदन से बाहर चले जायें। मैं उनसे बाहर जाने के लिये कह रहा हूं। (व्यवधान) मैं उन से सदन से बाहर जाने के लिये कह रहा हुं।

Shri Kishen Pattnayak: It appears that you have come today prepared for this.

(इसके पश्चात् श्री किशन पटनायक सभा भवन से उठकर चले गये।)

(Shri Kishen Pattanayak then left the House)

Shri Bagri: Mr. Speaker, Sir, you should not be angry in this way. If the Minister does not give a correct reply, then naturally it has to be protested. I want to raise a point of order. A member of my party raised a specific question that what measures have been taken so far, and what are being taken and what will be taken in future this was not answered.

Mr. Speaker: There is no point of order. The question was asked and the Minister have given the reply.

Shri Ram Sewak Yadav: I rise on a point of order, Sir. The question has been asked with a view to obtaining the correct answer, the question of drought and crop is of paramount importance for the whole of the country. My question was direct that when it was known to the Government even in the month of September that monsoons were failing, what action did the States and the Central Government have taken and are taking at present. It is my information that nothing is being done. These were my two spcific question which have not been answered and you proceeded further. When some body presses for an answer you say that he obstructs the proceedings and ask us to withdraw from the House.

Mr. Speaker: He has answered that all possible measures are being taken.

Shri Ram Sewak Yadav: He has not answered the specific question.

Mr. Speaker: I cannot allow all the details being given in answer to a supplementary question.

Shri Ram Sewak Yadav: Why have this question hour when we cannot get the answer to the questions?

श्री ही० ना० मुकर्जी: श्रीमान आपने जिस प्रश्न को पूछने की अनुमति दी है उसका आशय यथार्थ सूचना मांगने का है। क्या किया जायेगा तथा क्या किया जा चुका है इसकी धुंधली रूपरेखा बताने से काम नहीं चलेगा : ऐसे समय में जबकि हमारी कृषि-अर्थव्यवस्था संकट में से गुजर रही है, मंत्री महोदय के लिये यह उचित नहीं कि वह इस प्रकार के अस्पष्ट उत्तर देकर संसद सदस्यों को अंधकार में ही रखें। मंत्री महोदय से कहा जाय कि वह उचित एवं संगत उत्तर दें। यदि वह ऐसा नहीं करते तो इसके लिये उन्हें फटकारा जाना चाहिए। आप इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कम वर्षा के होने की सूचना सरकार को 7 सितम्बर को मिल गयी थी। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये हैं ? वर्तमान स्थिति से निपटने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ? इस प्रश्न के उत्तर में मन्त्री ने कहा कि जो सम्भव है वह किया जा रहा है। क्या यह स्पष्ट उत्तर है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: मैं एक विवरण सभा-पटल पर रख रहा हूं जिस पर चर्चा के लिये भी प्रबन्ध किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक सम्भव कार्य किया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye: I want to raise a point of order regarding rule No. 41 (2), we are entitled thereunder to ask the question to which the Minister should give right and objective answers from Ministers. Here the Minister giving vague and incorrect answers and thus wasting the valuable time of the House.

Mr. Speaker: There is no point of order in it. Shri Hem Barua.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार और प्रधान मंत्री का ध्यान अमरीकी समाचार-पत्र में "श्रीमती गांधी को पद पर बनाये रखने के लिये अमरीकी खाद्यान्न भारत-अमरीकी गुप्त समझौता" के शीर्ष के साथ छपी। इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है। यदि यह ठीक है तो उस गुप्त समझौते का ब्यौरा क्या है। यदि गलत है तो प्रधान मंत्री को उसका खंडन करना चाहिए।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस प्रश्न का विचाराधीन विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में विदेशों से खाद्यान्नों के आयात का जिक्र किया है। उक्त रिपोर्ट में भी इसी आशय के समझौते का जिक्र है कि प्रधान मंत्री और अमरीकी राजदूत श्री चेस्टर बाउल्स के बीच यह समझौता हुआ कि अमरीका भारत को अन्न देगा बशर्ते कांग्रेस नेता इस बात का आश्वासन दें कि भावी आम चुनाव के बाद भी श्रीमती गांधी अपने वर्तमान पद पर बनी रहेंगी। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है। यदि यह सत्य नहीं है तो प्रधान मंत्री को उक्त रिपोर्ट का खंडन करना चाहिए।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस रिपोर्ट का भारत तथा अमरीका दोनों की ओर से स्पष्टतया खंडन किया जा चुका है।

खाद्यान्न नीति समिति का प्रतिवेदन

*2. श्री बासप्पा	श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :	श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :	श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :	श्री श्रीनारायण दास :
श्री नवल प्रभाकर :	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री वारियर :	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री वासुदेवन नायर :	श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चन्द कछवाय :	श्रीमती रेणुका राय :
श्री बड़े :	श्री जसवन्त मेहता :
श्रीमती सावित्री निगम :	श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हु० चा० सिंग रेड्डी :	श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :	श्री दलजीत सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :	श्री पु० र० पटेल :
श्री स० चं० सामन्त :	श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :	श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न नीति के समिति इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि

40 लाख टन अनाज का रक्षित भंडार "बफर स्टोर" बनाया जाय और अन्तर्राज्यीय व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण कड़ा किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखेगी जिसमें समिति की इस और अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया दर्शायी गई हो; और

(ग) उन्हें कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (ग) : खाद्यान्न नीति समिति के विभिन्न सुझावों और सिफारिशों पर जिन में 40 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक तैयार करने और अन्तर्राज्यीय व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण सुदृढ़ करने शामिल हैं, बहुत जल्द होने वाले राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार होगा और इसके बाद निर्णय लिये जाएंगे ।

श्री बासप्पा : खाद्यान्न नीति समिति ने यह निश्चित करने के लिये क्या आधार अपनाया कि अमुक जिला या राज्य अधिक उत्पादन वाला है ? क्या मैसूर के सम्बन्ध में भी इस समिति ने कोई निष्कर्ष निकाला है कि वह अधिक उत्पादन वाला राज्य है अथवा कम उत्पादन वाला । यदि मैसूर को कम उत्पादन वाला राज्य ठहराया गया है तो वह किस हद तक कमी वाला राज्य है और उसमें कौन सा अन्न कम पैदा होता है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : खाद्यान्न नीति समिति का प्रतिवेदन अब उपलब्ध है और मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री उसे पढ़ लें।

श्री बासप्पा : चालीस लाख टन के रक्षित भंडार बनाने के लिये क्या गोदाम सम्बन्धी सुविधाएं बड़े पैमाने पर मुहैया कर दी गयी हैं। यदि हां, तो किन स्थानों पर और किस हद तक ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : गोदाम सम्बन्धी सुविधाएं देश में सभी स्थानों पर उपलब्ध हैं । अब हम 40 से 50 लाख टन अन्न संचय करने की क्षमता रखते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने खद्यान्न की कमी और उसके उत्पादन की धुंधली सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये कोई संकटकालीन खाद्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या उसके अधीन दीर्घ काल में एक बड़ा रक्षित भंर बनाने की और हाल ही में अन्तर्राज्यीय व्यापार पर नियंत्रण कड़ा करने की भी व्यवस्था है, यदि हां, तो किन राज्यों में ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : अन्तर्राज्ययीय व्यापार फिर शुरु करने के सम्बन्ध में खाद्यान्न नीति समिति ने सिफारिश अवश्य की है किन्तु साथ ही उसकी यह भी सिफारिश है कि खाद्य क्षेत्र अभी समाप्त न किये जायं । इस विषय में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में विचार किया जायेगा और फिर इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा । जहां तक संकट कालीन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य में वहां की परिस्थितियों के अनुरुप ही ऐसी योजनाएं बनायी जा रही हैं ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन को विभिन्न राज्यों को भेज दिया है, यदि हां, तो खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : हमने इस प्रतिवेदन को विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा था और उनकी इस पर राय मांगी थी । कुछ राज्य सरकारों ने हमें उत्तर भेज दिये हैं और दूसरी राज्य

सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। मैं इस समय यह नहीं बता सकूगां कि किस राज्य ने क्या राय दी है।

Shri Madhu Limaye: May I know whether government have made basis out of these few *viz* downfall in production, increase in prices, per-capita availbility of food to every man or starvation and employment for declaring any part of the country as femine striken area or simply scarcity or drought-affected area?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वर्षा न होने के कारण फसल की बर्बादी ही इसका आधार माना गया है। इसी आधार पर यह तय किया जायेगा कि कहां पर अकाल है और कहां पर नहीं।

Shri Madhu Limaye: I asked something else.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि अभाव और अकाल की स्थिति को निश्चय करने के लिये क्या मापदंड निश्चित किया गया है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह उनमें से किसी भी आधार पर नहीं किया गया जो माननीय सदस्य ने गिनाये हैं। इसका आधार वह फसल मानी गयी है जो सामान्य वर्षा होने पर होती है। जब फसल समान्य स्तर की नहीं होती और उत्पादन 75 प्रतिशत से कम होता है तो वह स्थिति सूखे की स्थिति कहलाती है। यदि उत्पादन 50 प्रतिशत से भी कम होता है तो अभाव की विकट स्थिति होती है और यदि उत्पादन 25 प्रतिशत से भी कम होता है तो दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

Shri Bibhuti Mishra: May I know whether it is a fact that Foodgrains Enquiry Committee has nowhere mentioned in its report that remunerative integrated prices would be made available to the farmers. Thus this report goes against the interest of the farmers. That is why they are not producing more.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खाद्यान्न नीति समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भूमि सम्बन्धी सुधारों को लागू नहीं किया गया है। जैसे जुर्माना की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा रहीं है, जमीन में साझेदारी अभी तक जारी है और भूमिहीन किसानों में भूमि ठीक प्रकार से वितरित नहीं की जा रही है। सरकार की इन निष्कर्षों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि जब तक आमूल भूमि-सुधार नहीं किये जायेंगे तब तक चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक मैं समझता हूं उस प्रतिवेदन में भूमिहीन लोगों तथा फालतू भूमि के वितरण की समस्याओं को नहीं लिया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य समस्या को हल करने के लिये सुझायी गयी धनराशि को ध्यान में रखते हुये क्या उस धनराशि पर चौथी योजना को अन्तिम रुप से तैयार करने से पहले ही निर्णय कर लिया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि समिति का प्रतिवेदन सभी राज्यों में परिचालित कर दिया गया है। इसी सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन शीघ्र ही बुलाया जा रहा है जिसमें इस पर अन्तिम रूप से फैसला किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kahhavaiya: May I know whether the Foodgrains Policy Committee has recommended that steps should be taken to check the rise in prices of foodgrains in the drought-affected areas?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही समिति ने न्यूनतम अनाज-वसूली और सार्वजनिक अभिकरणों के द्वारा नियंत्रण दामों पर न्यूनतम वितरण की नीति के लिये सिफारिश की है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या 40 लाख टन का रक्षित भंडार बनाने के हेतु अनिवार्य अनाज-वसूली की व्यवस्था से देहाती क्षेत्रों के उन लोगों को वास्तव में कोई हानि नहीं होगी जिन क्षेत्रों पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लागू नहीं होती ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं यह मानता हूं कि अनाज के कम उत्पादन से उत्पन्न असामान्य स्थिति में यदि हम अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में संचित भंडार के लिये अनिवार्य रूप से अनाज की वसूली करेंगें तो वहां के लोगों के हितों को ठेस पहुंचेगी, परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस कम उत्पादन वाले वर्ष में रक्षित भंडार नहीं बनाया जायेगा।

Shri Yashpal Singh: May I know whether it is possible to make a buffer stock in the prevailing circumstances? At present food grains are procured from the farmers at the rate of Rs. 16/- per maund and at the sowing seasons they have to pay Rs. 48/- for one maundi. May I know whether Government have considered to provide such facility to farmers so that grains may be made available to them at the procuprement prices in the sowing season also?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वसूली केवल फालतू अनाज के आधार पर की जाती है किसान उतना अनाज अपने पास रख लेता है जितना उसे जरूरत होती हैं। अत: बाद में किसान को अनाज देने का कोई प्रश्न नहीं है। वह उतना अनाज अपने पास रख लेता है जितना उसे जरूरत होती है और केवल फालतू अनाज की ही वसूली की जाती है ।

श्री पु० र० पटेल : क्या अधिक उत्पादन करने वाले तत्वों अर्थात किसानों के सक्रिय सहयोग के बिना उत्पादन सम्भव है और क्या समिति ने किसानों तथा किसानों की संस्थाओं की इस बात पर मंत्रणा तथा सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार भी किया है कि देश में उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं यहां पर समिति की सिफारिशों को उचित ठहराने के लिये नहीं आया हूं सिफारिशें की गई हैं ; उन पर विचार किया जायेगा और तब निश्चयात्मक निर्णय किये जायेगें। यदि हमें कुछ सिफारिशें स्वीकार नहीं होंगी तो हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे विचार में मैं इस समय सिफारिशों के गुण-दोषों के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं ।

Shri Ram Sewak Yadav:. Has the Committee made any such suggestion that some price policy should be adopted to check the fluctuations in the prices of commodities throughout the year?

Mr. Speaker: This he can find out from the book itself?

श्री वासुदेवन नायर : ऐसा प्रतीत होता है कि मैसूर, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की सलाह से भारत सरकार ने दक्षिण में प्रत्येक राज्य को अलग अलग ज़ोन में रखने का निर्णय किया है ; यदि यह सही है, तो केरल राज्य को जो, बहुत ही कमी वाला राज्य है, चावल देने की किस

की जिम्मेदारी है। क्या यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है अथवा फालतू अनाज वाले राज्यों की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम्: अन्ततोगत्वा यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार को उठानी पड़ेगी परन्तु यह मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के फालतू अनाज वाले राज्यों द्वारा ही दिया जायेगा।

Shri Onkar Lal Borwa: Rajasthan has been facing famine conditions for the last three years. Not to speak of food, they are not even getting water and fodders. We talk of building up a buffer stock. There the stores are lying empty. The State Government has no funds for the procurement of foodgrains. Has the Central Government made any arrangements to give advanced money to the State so that a buffer stock is built up there or whether the Food Policy Committee has suggested that advances should be made to the State Governments?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम्: बफर स्टाक बनाने में धन की रूकावट न हो कर अनाज की उपलब्धता की है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया, वहां पर पिछले 2 वर्ष से अनाज की कमी चली आ रही है और ऐसे समय में वहां पर बफर स्टाक नहीं बनाया जा सकता है?

Shri Onkar Lal Berwa: The State Government has no money. They cannot build up a buffer stock there.

व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम

*3. श्री दी० चं० शर्मा :	श्री उमानाथ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :	श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :	श्री प० कुन्हन् :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :	श्री लक्ष्मी दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :	श्री विभूति मिश्र :
श्री ब० कु० दास :	श्री क० ना० तिवारी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले कुछ वर्षों में, व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 अतिरिक्त सामुदायिक विकास खंडों को लाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा अतिरिक्त 1000 सामुदायिक विकास खडों में उनको लागू करने के लिए क्या कार्यक्रम है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास खंडों के वितरण का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने का है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) चौथी योजना अवधि में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,000 अतिरिक्त खंडों को लाने का विचार है ।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य गांव स्तर पर विभिन्न संरक्षी खाद्यों, जैसे फल, सब्जियां, मछली, कुक्कुटादि तथा दुग्ध, का उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीणों को इन खाद्यों के उत्पादन, तैयार करने, परिरक्षण तथा उपभोग में प्रशिक्षण व शिक्षा देना है

चौथी योजना अवधि के प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो सामुदायिक विकास खंड लाये जाने हैं, उनकी संख्या क्रमशः 150, 200, 250, 250 तथा 150 है।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितना क्षेत्र लाया जाना है, उस बारे में आजकल राज्यों में चल रही चौथी योजना चर्चाओं में विचार किया जा रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : इस पोषाहार कार्यक्रम से हमारी खाद्य समस्या किस हद तक दूर हो जायेगी और यदि इस से दूर हो जायेगी तो कैसे ?

श्री शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बता दूं कि यह एक बहुत सामान्य कार्यक्रम है। जैसाकि सुविज्ञात है, भारतीय भोजन में अधिकतर अनाज ही शामिल हैं और भारतीय भोजन में बहुत सी कमियां हैं। खाने की आदतों में सुधार लाने की विभिन्न दिशाओं में यह एक प्रयास है। खाने की आदतों को बदलने में काफी समय लगता है। इस सभा की प्राक्कलन समिति, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा योजना आयोग द्वारा इस समस्या पर विचार किया गया था। उन्होंने कई सुझाव दिये हैं और कार्यक्रम की सराहना की है।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरे विचार में विश्व के देशों में प्रति व्यक्ति औसतन 3,000 कलोरीज़ का भोजन खाया जाता है। इस देश में औसत कितनी कलोरीज़ का भोजन खाया जाता है और इस कार्यक्रम से देश में किस हद तक अधिक कलोरीज़ वाला भोजन खाने को प्रोत्साहन मिलेगा ?

श्री शिन्दे : प्रत्येक राज्य में औसतन भोजन भिन्न भिन्न मात्रा में खाया जाता है। पंजाब जैसे राज्य का औसत अखिल भारत की औसत से कहीं अधिक है जब कि कुछ राज्यों में विशेषकर आदिम जाति क्षेत्रों में बहुत कम अर्थात 2100 कलोरीज़ का भोजन खाया जाता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य तथा अभिप्राय शाकाहारियों को मांसाहारियों में परिवर्तित करना, उनकी खाने की आदतों को बदलना है जिससे लोग शाकाहारवाद को छोड़कर विभिन्न प्रकार के अन्य पूरक भोजन पदार्थ खायें और हां, तो क्या यह सरकार की इस घोषित नीति के विरुद्ध नहीं है कि सरकार लोगों के रहन-सहन के बुनियादी नमूने को नहीं बदलेगी ?

श्री शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि यह कार्यक्रम शाकाहारवाद के विरुद्ध है। वास्तव में, मांस आदि खाद्य पदार्थों के बारे में भी खाने की आदतों को सुधारा जा सकता है तथा अच्छी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है।

श्री उमानाथ : क्या यह कार्यक्रम किसी विदेशी विशेषज्ञ के कहने पर तैयार किया गया था या किसी विदेशी परामर्शदाता के सहयोग से तैयार किया गया था और यदि हां, तो किस देश के विशेषज्ञों का परामर्श लिया गया था ?

श्री शिन्दे : कार्यक्रम के बारे में कुछ गलतफहमी है। वास्तव में कार्यक्रम हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, यद्यपि आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य तथा कृषि संगठन ने हमारी सहायता की थी। कार्यक्रम विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्र तथा योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया है। जहां तक चतुथ योजना का सम्बन्ध है, आशा है, हम 40 करोड़ रु० खर्च करेंगे जिसमें से 20 करोड़ रु० राज्य सरकारों के योजना उपबन्धों से, 10 करोड़ रु० केन्द्रीय क्षेत्र और लगभग 10 करोड़ रु० संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से आयेंगे।

Shri Vishwanath Pandey: The hon. Minister just now stated that Government propose to introduce applied nutrition programmes in one thousand more Community Development Blocks. Such nutrition programmes are continuing even at present in a number of Development Blocks.

I want to know what amount of money has been spent upon it and what progress has been achieved.

श्री शिन्दे : प्रति खंड प्रति वर्ष औसतन लगभग 1.25 लाख रु० खर्च होते हैं। सामान्य यानि पोषाहार का सम्बन्ध बागवानी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन के विकास से है और कुछ कार्यक्रम खाद्य निर्माण का प्रशिक्षण भी आते हैं, अर्थात् खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड के अन्तर्गत जिसमें टैक्नालोजी, खाद्य आदि का परिरक्षण आता है। प्रति खण्ड व्यय 1.25 लाख रु० से अधिक नहीं है।

Shri Vishram Prasad: May I know whether Government are arranging to suply cheap water for irrigation purposes to the farmers so that the food problem can be solved?

श्री शिन्दे : जो प्रश्न पूछा गया है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra: The hon. Minister stated that Government propose to cover 1000 more blocks by the applied nutrition programmes. Will Government provide cold storage facilities in blocks covered by electricity to preserve mangoes, onions, potatoes etc. so that this nutritive value can be maintained and people can have regular supply of food stuffs?

श्री शिन्दे : मुख्य रूप से पोषाहार और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही खण्डों को चुना जाता है। हां, अन्य बातों पर भी विचार किया जाता है जैसे कि प्रशिक्षण सुविधाओं, सामुदायिक स्कूलों बागों आदि के लिये उपलब्ध जगह। खण्ड चुनते समय मुख्य रूप से पोषाहार के पिछड़ेपन को ही ध्यान में रखा जाता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या योजना के विस्तार के लिये खंडों के चयन के बारे में क्या कोई निश्चित कसौटी है? क्या स्थानीय लोगों द्वारा भी उतनी ही राशि लगाया जाना अपेक्षित है?

श्री शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले बताया देश के विभिन्न भागों की हालत एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, परन्तु यह है कि पोषाहार तथा आर्थिक पिछड़ापन और इसके आधार पर खण्ड चुने जाते हैं। जहां तक समतुल्य अनुदानों का सम्बन्ध है मुर्गीपालन, मत्स्यपालन और उद्यानविद्या के विकास की योजनाओं के लिये जो धन दिया जाता है, उससे इन कार्यक्रमों के लिये राज्य क्षेत्र से राशियां उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में भी एक उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत राज्यों और केन्द्र को आधा आधा खर्च उठाना पड़ता है। शेष, अर्थात्, 20 से 25 प्रतिशत तक अन्तर्राष्ट्रीय संसाधनों से आयेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि खण्ड विकास अधिकारियों ने पहले ही जनता का काफी धन बरबाद कर दिया है? मैं जानना चाहता हूं कि इस विभाग को किन परिस्थितियों में दूसरी वित्तीय सहायता दी गई है।

श्री शिन्दे : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों के संगठनों ने इस समस्या की जांच की है, जैसा कि मैंने बताया और उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा की है। यह मुख्य रूप से स्कूलों से सम्बन्धित है। . . .

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपने प्रश्न को दोहराता हूं। देश में एक भावना है. . .

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वह इससे सहमत नहीं हैं। मैं क्या कर सकता हूं ? वह कहते हैं कि यह सही नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने केवल कार्यक्रमों के बारे में ही कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

बस स्टापों पर समय (मैन आवर्स) की बरबादी सम्बन्धी सर्वेक्षण

*4. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के परिवहन निदेशालय ने यह मालूम करने के लिये सर्वेक्षण किया है कि एक यात्री को किसी बस स्टाप पर औसतन कितने समय तक इंतजार करना पड़ता है और उससे बस स्टापों पर कितना समय बरबाद होता है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार के सर्वेक्षण देश के अन्य भागों में भी किये गये हैं; और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी हां। तदर्थ आधार पर किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि यातायात की भारी भीड़ के समय दिल्ली में बस स्टाप पर औसत प्रतीक्षा समय 10 से 40 मिनटों तक का होता है। मानव-घंटों की क्षति की कोई गणना नहीं की गई है ।

(ग) अपेक्षित सूचना राज्य-सरकारों से संकलित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बस स्टापों पर लोगों को बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिसके कारण लाखों आदमियों का समय नष्ट होता है। इस क्षति को रोकने के लिये क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से बातचीत करेगी और इस प्रश्न पर उनकी योग्यता और अनुभव का लाभ उठायेगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह प्रश्न इस बात पर आधारित है कि क्या भारी भीड़ वाले विभिन्न मार्गों के लिये बसों की आवश्यक संख्या देने के लिये हमारे पास आवश्यक संसाधन हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारी भीड़ वाले मार्ग हैं जिन पर इस समय काफी संख्या में बसें नहीं चल रही हैं। दूसरी बात यह है कि बस स्टापों पर सारा दिन इस तरीके से प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है; केवल कुछ घंटों के दौरान ही बस पकड़ने में बस स्टापो पर थोड़ी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है; अन्यथा इस समय दिल्ली और अन्य राज्यों में जो प्रबन्ध है वह काफी है, यद्यपि बसों की संख्या बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है कि बसों का सुव्यवस्थित प्रबन्ध उनका बार बार चलना और उनकी समय पाबन्दी या उसके अभाव का अध्ययन किया जाता है ताकि राजधानी और देश के अन्य भागों में लोगों को बस स्टापों पर इतना समय बरबाद न करना पड़े जितना कि इस समय करना पड़ता है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : सम्बन्धित अधिकारी इस मामले पर बराबर ध्यान दे रहे हैं।

Thefts at Major Ports

*5. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Yashpal Singh:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri D. J. Naik:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping & Tourism** be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to check the alarming cases of thefts detected at major ports and results thereof?

(b) whether it is a fact that goods which were kept in the custody of the customs authorities were also stolen; and

(c) if so, the reasons therefor?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) बड़े बंदरगाहों ने यार्डों और शेड़ों में बन्दरगाह के माल और सामान की रखवाली करने के लिये वाच और वार्ड संगठित किया है। इस दल की सहायता बंदरगाह का पुलिस दल करता है। वाच और वार्ड दल तथा पुलिस दल समय समय पर आवश्यकतानुसार सशक्त किया जाता है।

बड़े बंदरगाहों की गोदियों में परमिट प्रणाली द्वारा प्रवेश किया जाता है और यह प्रणाली सख्ती से लागू की जाती है। बड़े बंदरगाहों के डाक और यार्ड में कुछ और भी पग उठाये गये हैं जैसे परिसीमा दीवार का ऊंचा किया जाना, प्रकाश के प्रबन्ध को समुन्नत करना, इत्यादि।

बम्बई बंदरगाह में अचानक जांच के लिये चल स्क्वाड कार्य कर रहा है। बम्बई और कलकत्ता बंदरगाहों ने उठाईगीरी इत्यादि की रोकथाम के लिये इनाम देने की एक योजना चालू की है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास बन्दरगाहों में समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उठाईगीरी विरोधी उपायों के पुनर्विलोकन करने और अतिरिक्त उपचार उपायों के सुझाव देने के लिये उठाईगीरी विरोधी समितियां स्थापित की गई हैं। पत्तन अधिकारी इन उपायों का निरन्तर पुनर्विलोकन करते हैं और इनमें जो कमी होती है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। उठाईगीरी द्वारा हुई हानि के बारे में सुधार हो रहा है किन्तु अभी किये गये उपायों के परिणामों का निर्धारण करना थोड़ा समयपूर्व होगा।

(ख) और (ग) कस्टम के कलेक्टरों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कुछ बड़े बन्दरगाहों पर कस्टम की देखरेख में रखे माल की चोरियों की कुछ घटनायें हुई हैं। इन मामलों में मालगोदामों में कम स्थान होने के कारण माल बरामदों में रखा गया था या किराये पर लिये गये मालगोदामों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध नहीं था और इसी कारण माल की चोरी हो गई थी। तब से स्थिति में सुधार कर लिया गया है।

Shri M. L. Dwivedi: In the statement laid on the Table it is stated:

"The position regarding loss by is increasing...."

May I know whether the pilferage is showing a rising or a declining trend?

श्री चे० मु० पुनाचा : उठाईगीरी घटती जा रही है। पतन पर कार्य को नियन्त्रित करने और विनियमित करने के लिये और उठाईगीरी को रोकने के लिये निरन्तर प्रबन्ध किये जा रहे हैं और ऐसे मामलों की संख्या घटती जा रही है।

Shri M. L. Dwivedi: At what major ports pilferage has taken place the customs authorities custody and whether any investigation has been made?

श्री चे० मु० पुनाचा : कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें सीमा शुल्क अधिकारियों की अभिरक्षा में भी उठाईगीरी हुई है। मामलों की जांच की गई है और ऐसी उठाईगीरी को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि वाच एण्ड वार्ड (रक्षा तथा प्रहरी) संगठन के सदस्य अनेक बार चोरों से मिले होते हैं; और यदि हां, तो उन पर क्या रोक लगाई गई है ताकि वे चोरों से न मिलें ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कुछ ऐसे मामले हमारी जानकरी में आए हैं जिनमें स्वयं वाच एण्ड वार्ड के सदस्य एक तरीके से उठाईगीरी के लिये जिम्मेदार होते हैं। रक्षा तथा प्रहरी के सदस्यों के अतिरिक्त वहां पर पुलिस भी होती है और फिर पुलिस की शक्ति को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि ऐसी स्थितियों का सामना किया जा सके और रक्षा पर नियन्त्रण रखा जा सके और पत्तनों पर मूल्यवान सामान की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस सम्बन्ध में हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh: Gandhiji had said many times that the theft in a particular Department is not traced, then the amount of loss should be deducted from the salary of the concerned Minister. I want to know the number of Ministers prepared to accept this proposition. Who is responsible for the loss resulting from these thefts? These thefts result in loss of public property which is not made good from any source.

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं बता देना चाहता हूं कि अधिकांश राशियां वसूल की गई हैं। मेरे माननीय मित्र नहीं जानते हैं कि काफी कुछ वसूल किया गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that in most of the cases Government employees were directly involved in the pilferage?

Mr. Speaker: The Minister has stated that he has not got the break-up and as such he is not in a position to state separately the number of Government employees and others involved in the pilferage.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: He can atleast state whether some police officials have been sentenced to punishment or dismissed from service.

Shri Ram Sewak Yadav: On a point of order Sir.

Mr. Speaker: There is no point of order?

Shri Ram Sewak Yadav: The hon. Minister has stated that he has not got the break-up. But he should atleast state whether Government employees are also involved in these pilferage cases or not?

Mr. Speaker: He has already given the number of persons who have been punished. But he does not have the information about number of Government employees or police officials among them.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: He must have the information as to the number of Government employees and police personnel among them.

Mr. Speaker: Can the hon. Minister state how many of them were police personnel?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं आंकड़े इकट्ठे करके सभा के सामने रखने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता बन्दरगाह से प्रति वर्ष चुराये गये माल का मूल्य लाखों रुपये होता है और वह प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है, क्या यह पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है कि क्या यह कर्मचारियों द्वारा की गई केवल एक छोटी सी चोरी है या इसके पीछे कोई बड़े आदमी हैं जिनके पास ट्रक जैसे अपने साधन हैं और जिनके पास अपने गोदाम आदि हैं ? वहां से लाखों रुपये का माल चुराया गया है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : उठाईगीरी कभी कभी और विभिन्न समय पर पत्तनों पर जाने वाले सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा की जाती है । अब आवश्यक पूर्वोपाय किये गये हैं । वहां पर ऐसा कोई संगठित गिरोह नहीं है जिसके बड़े पैमाने पर चोरी करने के सभी आधुनिक उपकरण हैं (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हुगली पर दूसरा पुल

†6. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **परिवहन, उडुयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में हुगली नदी के प्रिन्सेप घाट पर दूसरे पुल की प्रस्तावित योजना को चौथी योजना के प्रारूप में शामिल नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उडुयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं । योजना आयोग और पश्चिम बंगाल के बीच हुये हाल के विचारविमर्श में राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में हुगली के प्रस्तावित नये पुल को शामिल करने की अनुमति हुई थी । इस परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता के प्रश्न की भी परीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

कृषि विभाग और सामुदायिक विकास विभाग को मिलाना

*7. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री जे० ब० सि० विष्ट :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कपूर सिंह :
श्री प० ह० भील :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को दये गये इस सुझाव को, कि कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार विभागों को मिलाया जाये तथा उन्हें एक मंत्री के अधीन रखा जाये, राज्यों ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) किन-किन राज्यों ने विलय के प्रस्ताव को पसन्द नहीं किया है;

(ग) केन्द्र के सुझाव पर अमल न कर सकने के लिए उन राज्यों ने क्या कारण बताये हैं ; और

(घ) क्या राज्यों ने कोई ठोस सुझाव दिये हैं कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ). एक विवरण जिसमें अधिकांश राज्यों के विषय में जानकारी दी गई है, सलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7140/66]** आसाम, मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्राप्त होने हैं ।

रूसी ट्रैक्टरों का आयात

8. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1966 के उत्तरार्ध में कृषि मशीनरी संस्था के किसी प्रवक्ता ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह देश में ट्रैक्टरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रूसी ट्रैक्टरों के आयात सम्बन्धी नीति में या तो उदारता बरते अथवा भारतीय उत्पादकों को और अधिक औद्योगिक लाइसेंस दे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

प्रशिक्षण विमान

*9. श्री विश्वनाथ पान्डेय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के अनुसंधान और विकास निदेशालय ने दो सीटों वाले हल्के प्रशिक्षण विमान का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विमान का कोई उड्डयन परीक्षण किया गया है; और

(ग) एक विमान के उत्पादन की कुल लागत कितनी है और प्रत्येक विमान पर विदेशी मुद्रा के व्यय का कितना अंश है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। नागर विमानन विभाग के अनुसधान और विकास निदेशालय ने दो/तीन सीटों वाले प्रशिक्षण विमान का अभिकल्पन (डिजाइन) व विकास कर लिया है। विमान की उड़ान परीक्षा अभी होनी है।

यह केवल आदि-रूप (प्रोटोटाइप) है। विमान में लगने वाली सामग्री का अनुमानित कुल खर्च 30,000 रुपये है। जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 22,500 रुपये है।

कोचीन में दूसरा पोत निर्माण कारखाना

*10. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री बासप्पा :
श्री ब० कु० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ह० चा० लिंग० रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री मणियंगाडन :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देब :

क्या परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए इस परियोजना के बारे में कोई विस्तृत कार्य-क्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) चौथी योजना की अवधि में इस कारखाने पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और सरकार द्वारा परीक्षणाधीन है। परीक्षण पूर्ण हो जाने पर ही विस्तृत अनुसूची कार्यान्वित करना संभव हो सकेगा।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की विस्तृत रूपरेखा में 15.00 करोड़ रुपये की योजना काल में व्यवस्था की गई है।

मौसम के बाद भाड़े की कम दर

***11. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** **श्री मुहम्मद इलियास :**

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत जुलाई-अक्तूबर के मौसम में बड़ी मात्रा में आयात न करके, मौसम के बाद की भाड़े की कम दरों का लाभ नहीं उठा सका है;

(ख) क्या इसका कारण पत्तनों की सीमित क्षमता है;

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता पत्तन की जहाजों को ठहराने की क्षमता को उच्चतम प्राथमिकता के रूप में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस अवधि में भारत से औपचारिक यात्रा से अधिक कच्ची धातुओं का निर्यात करके भाड़े की इन घटी दरों से लाभ उठाना भी सम्भव नहीं हुआ है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) जी नहीं।

एपीजी लाइन्स के जहाजों द्वारा लाया गया खाद्यान्न

***12. श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1960–64 (दोनों वर्ष शामिल हैं) की अवधि में वर्मा से आयात किये गये चावल को लाने के लिये एपीजी लाइन्स के कैसे जहाजों का उपयोग किया गया था;

(ख) एपीजी लाइन्स के प्रत्येक जहाज पर उसके प्रत्येक फेरे में कितनी मात्रा आयात की गई;

(ग) प्रत्येक फेरे में कितनी मात्रा प्राप्त हुई; और

(घ) एपजी लाइन्स के जहाजों के प्रत्येक फेरे में कितना कूड़ा प्राप्त हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7141/66]**

किसानों को तुरन्त ऋण देने की योजना

*13. श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को तुरन्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण लेने वाले लोगों की नई योजना का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य. कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विमान दुर्घटनायें

*14. श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में अब तक देश में कुल कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इनमें कितने व्यक्ति मारे गये और इनके फलस्वरूप कितनी क्षति हुई; और

(ग) विमान दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) 1 जनवरी से 25 अक्तूबर, 1966 तक भारत में 17 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 14 भारतीय सिविल वायुयान और 3 विदेशों में रजिस्टर्ड वायुयान थे ।

(ख) 48 व्यक्ति (विमान कर्मीदल के सदस्यों सहित) मारे गये । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के तीन विमान पूर्णतया नष्ट हो गये; परन्तु क्योंकि उनका पूरी तौर से बीमा हुआ हुआ था, उनके विनाश के कारण इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन को कोई हानि नहीं हुई । जहां तक दूसरे विमानों का सम्बन्ध है, इनको भारी क्षति पहुंची तथा उनकी मरम्मत की जा रही है । जब तक मरम्मत पूरी नहीं हो जाती पूरी हानि नहीं बताई जा सकती ।

(ग) भारत और विदेशों में हुई वायुयान दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्टों का अध्ययन किया जाता है और इस प्रकार की दुर्घटनओं को रोकने के लिए जांच अधिकारियों की सिफारिशों की पड़ताल की जाती है और प्रत्येक मामले में उचित कार्यवाही की जाती है ।

'Avro' for Civil Services

***15. Shri Bagri:**
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether the 'Avro-Subroto' aircraft manufactured at Kanpur has been put to use in civil services and if so, on which routes; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) No, Sir.

(b) Indian Airlines Corporation have not yet been able to get delivery of Avro 748 aircraft for civil operations.

पर्यटन निगमों का विलय

***16. श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री फिरोडिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बासप्पा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन पर्यटन निगमों को मिलाकर एक निगम बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उन्हें मिलाने के क्या लाभ हैं;

(ग) इसकी रचना तथा कृत्य क्या होंगे; और

(घ) क्या इस विलय से कर्मचारी फालतू हो जायेंगे और यदि हां, तो फालतू कर्मचारियों को कैसे खपाया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7142/66]

हिल्टन्स के सहयोग से एक होटल की स्थापना

***18. श्री फिरोडिया :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के 'हिल्टन होटेल्स इन्टरनेशनल' ने भारत में एक होटल स्थापित करने के सम्बन्ध में अपने अन्तिम प्रस्ताव पेश कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों पर विचार कर लिया है और यदि हां तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां। मैसर्स शिव नागर एस्टेट्स ने, जो कि यू० एस० ए० के हिल्टन होटेल्स कारपोरेशन के साथ सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे हैं, बम्बई में एक होटल की स्थापना करने का अन्तिम प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है।

(ख) और (ग) करार का मसौदा सरकार के विचाराधीन है और अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

Delimitation of Constituencies in Jammu and Kashmir

***19. Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri P. C. Borooah:
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Dr. M. M. Das:
Shri D. C. Sharma:
Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether the delimitation of constituencies in Jammu and Kashmir has been done finally; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विश्व खाद्य न्यास

20. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक ने सुझाव दिया है कि एक विश्व खाद्य न्यास की स्थापना की जाये ताकि समृद्धि देशों से विकासशील देशों के कुपोषित लोगों की शीघ्रता तथा सरलता से सहायता की जा सके;

(ख) यदि हां, तो सुझाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन के महा निदेशक ने विश्व खाद्य न्यास की स्थापना के लिए कोई सुझाव नहीं दिया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

गैर-सरकारी बीज फार्म

*21. श्री ईश्वर रेड्डी : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये गैर-सरकारी बीज फार्मों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) बड़े गैर-सरकारी बीज फार्मों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये भत्ते

22. श्री इंद्रजीत गुप्त : श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत जुलाई 1966 में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के संघों को यह आश्वासन दिया था कि प्रसादत: बोनस बच्चों के शिक्षा भत्ते तथा सेवा निवृत्ति लाभों में सुधार करने की उनकी प्रार्थना पर शीघ्र तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न पत्तन प्रशासनों ने इस पर विचार किये जाने का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कायवाही करने का विचार है ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) 20 जुलाई 1966 को आल इंडिया पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फीडरेशन के प्रतिनिधियों की एक बैठक में यह तय किया गया था कि पत्तन कर्मचारियों को बोनस के स्थान में कुछ अनुग्रहपूर्वक अदायगी किये जाने के प्रश्न पर सहानुभतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये; बड़े पत्तन बालकों को शिक्षाभत्ता दिये जाने की योजना बनायेंगे और सेवा निवृत्ति लाभों को समुन्नत करने का निश्चय एक उपयुक्त योजना बना कर कार्यान्वित किया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी पर से नियंत्रण हटाना

*23. श्री कर्णी सिंहजी : श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र : श्री मुहम्मद कोया :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी पर से नियन्त्रण हटाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अवमूल्यन के पश्चात् कितनी चीनी का निर्यात किया गया। कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और उस पर कितनी राज सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालम में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) आगामी वर्ष में होने वाले उत्पादन के बारे में आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।—

(ग) अवमूल्यन के पश्चात् 24 अक्तूबर 1966 तक 1.73 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया है। इस निर्यात से अर्जित होने वाली अनुमानित विदेशी मुद्रा तथा इस पर दी गई राजसहायता के आंकड़े क्रमश: लगभग 7.2 करोड़ रुपये तथा 9 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है ।

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि

*24. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री दाजी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री श्रीनारायण दास : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में सभी अत्यावश्यक खाद्यान्नों की कीमतें विशेषत: राशन वाले क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां तो मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पिछले कुछ महीनों में खाद्यान्नों के भावों में वृद्धि हुई है। तथापि सितम्बर, 1966 के महीने में भावों में गिरावट आयी। अनाजों के थोक भावों का अखिल भारतीय सूचकांक अगस्त 1966 के 170 से गिरकर सितम्बर 1966 में 168.3 पर आ गया था। तथापि अक्तूबर में फिर बढ़ोतरी हुई और यह 168.6 पर आ पहुंचा (पहले तीन सप्ताहों की औसत)। गेहूं का सूचकांक जोकि अगस्त 1966 में 148.9 पर था गिर कर सितम्बर, 1966 में 147 पर आ गया किन्तु अक्तूबर में पुन: बढ़कर 152.6 पर जा पहुंचा। (पहले तीन सप्ताहों की औसत) चावल का सूचकांक सितम्बर, 1966 में स्थिर रहा किन्तु यह गिरकर अक्तूबर 1966 (पहले तीन सप्ताहों की औसत) में 170.6 पर आ गया ।

(ख) देश में खाद्यान्नों के भावों में बढ़ोतरी को रोकने के लिये जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं—उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों का अधिक वितरण अधिक क्षेत्रों में सांविधिक।-अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू करना अधिप्राप्त तीव्र करना तथा अन्य नियामक उपाय अपनाना।

हवाई डाक शुल्क

*25. श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मा० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का हवाई डाक शुल्क बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां । तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या हवाई डाक शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप डाक दर में भी वृद्धि होगी; और

(घ) उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन खासकर अवमूल्यन के बाद परिचालन की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं द्वारा डाक ले जाये जाने के भाड़े को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

(ग) और (घ) चूंकि कारपोरेशन ने प्रस्तावित बढ़ोतरी की राशि अभी तक नहीं बतलायी है इसलिए डाक और तार विभाग ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है कि क्या भाड़े में बढ़ोतरी होने के कारण डाक-दरें भी बढ़ जायेंगी ।

राष्ट्रीय सड़क बोर्ड

26. श्री अ० व० राघवन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री सुबोध हंसदा
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
डा० म० मो० दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सड़क बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) परिवहन और विमानन मंत्रालय में केन्द्रीय सड़क बोर्ड गठन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

खाद्य क्षेत्रों की समाप्ति

27. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बासु देवन नायर
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री वारियर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करने और खाद्यान्न के लाने ले जाने पर लगे हुए प्रतिबन्धों को हटाने की मांग के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है, और

(ख) वर्तमान व्यवस्था में यदि सरकार कोई सुधार करना चाहती है तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) (क) और (ख) खाद्यान्न नीति समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की दृष्टि में खाद्यान्नों के संचलन पर क्षेत्रीय और अन्य प्रतिबन्ध जारी रखने अथवा न रखने का सारा प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ।

एयर लाइन्स के कार्य की जांच

*28. श्री गोकुलानन्द महन्तीं :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर 1956 को बम्बई में हुई भारतीय विमानचालक गिल्ड की बैठक में पारित संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें प्रबन्धकों में विश्वास का अभाव व्यक्त किया गया है और एयर लाइन्स के कार्यों की पूर्ण तथा व्यापक जांच की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) एयर इंडिया के अध्यक्ष ने पाइलेटों की शिकायतों को यथासंभव दूर करने के उद्देश्य से 22 सितम्बर 1966 को इण्डियन पाइलाटस गिल्ड के प्रतिनिधियों के साथ 'प्रस्ताव' में उठाये गये विभिन्न मसलों पर सविस्तार बातचीत की । इस स्थिति में अभी सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं ।

जयंती शिपिंग कम्पनी

29. श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयंती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड को अपने कब्जे में लेने का विचार सर्वप्रथम कब किया गया था

(ख) इस कम्पनी को अपने हाथ में लेने की तैयारी में कितने दिन लगे; और

(ग) सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी को अपने हाथ में लेने संबंधी आदेश सर्वप्रथम कब जारी किये थे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) सभा-पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) से (ग) एक अध्यादेश द्वारा जयन्ती शिपिंग कं० लि० के प्रबन्ध को लिये जाने का प्रस्ताव कई प्रस्तावों में से एक था जो 15 मई, 1966 को अन्तर्मंत्रालय की बैठक के सामने रखे, गये थे। कई अन्य वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ यह प्रस्ताव भी तब से 6 जून, 1966 तक की अवधि के बीच सरकार के विचाराधीन था । 9 जून, 1966 की संध्या को सरकार द्वारा अन्तिम निश्चय लिया गया था ।

इस बीच अध्यादेश के अन्तर्गत अध्यादेश और अधिसूचनाओं के जारी करने से संबद्ध विस्तृत कार्य प्रगति पर था और अध्यादेश तथा अधिसूचना 10 जून, 1966 को जारी कर दी गई थी ।

राज्यों में कृषि योग्य भूमि

*30 **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोगों के अधिकाधिक संख्या में गांवों को छोड़ कर नगरों में चले जाने के कारण काश्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल प्रतिवर्ष घटता जा रहा है जबकि सरकारी संगठनों द्वारा खुश्क तथा पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी कृषि-योग्य भूमि पर खेती नहीं की गई; और

(ग) लोगों के गांवों से इस प्रकार के निष्क्रमण को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) यह सही नहीं है कि लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों से आ कर नगरीय क्षेत्रों में बसने के फलस्वरूप कृष्ट भूमि कम होती जा रही है । उपलब्ध जानकारी से मालूम होता है कि कृष्ट भूमि में वृद्धि होती रही है ।

(ख) इस बात की जानकारी प्राप्त की जा रही है कि क्या कृष्ट (न कि कृषि योग्य) क्षेत्र-फल कम होता जा रहा है । पिछले तीन वर्षों में जितनी भूमि में खेती की गई उसके अखिल भारतीय आंकड़े जो इस समय उपलब्ध हैं, इस प्रकार हैं:—

000' हेक्टेयरों में

1960-61	1,33,157
1961-62	1,35,352
1962-63	1,36,244

इस प्रकार इससे यह पता चलेगा कि उस क्षेत्रफल में जिस में खेती की जाती है वास्तव में वृद्धि होती रही है । राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के बारे में अलग अलग आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

(ग) कृषि तथा सामुदायिक विकास की विभिन्न योजनाओं और कृषि वस्तुओं के मूल्यों की अनुकूल प्रवृत्ति से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रव्रजन की प्रवृत्ति का प्रतिकार होगा । राज्य सरकारें बेकार पड़ी कृषि योग्य राज्य भूमि पर भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने की योजनायें चालू कर रही हैं।

सिलचर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची

1. श्री अ० क० गोपालन :

श्री नम्बियार :

श्री उमानाथ :

क्या **विधि** मंत्री 2 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1022 के, जो सिलचर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची के बारे में था, उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर निवास करने वाले रेलवे कर्मचारियों के नामों को अगले आम चुनावों की मतदाताओं की सूची में से इस बीच निकाल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). 2 अगस्त, 1966 को अतारांकित प्रश्न सं० 1022 का उत्तर दिए जाने के पश्चात्, सिलिचर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में रेल भूमि पर निवास करने वाले किसी भी रेल कर्मचारी का नाम मतदाताओं की सूची में से नहीं निकाला गया है । इसके विपरीत, मतदाताओं की सूची में कुछ उन रेल कर्मचारियों के नाम सम्मिलित करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिनके नाम, पात्र मतदाता होते हुए भी, मतदाताओं की सूची में से अनवधानता से छूट गए थे । इस लोप के लिए उत्तरदायी प्रगणक को सेवा से उन्मोचित पहिले ही कर दिया गया है ।

खाद्यान्नों की आवश्यकताएं

2. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की राज्यवार जनसंख्या कितनी है तथा राज्यवार प्रतिवर्ष खाद्यान्नों की आवयश्कता कितनी है,

(ख) 1965-66 में राज्यवार खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है,

(ग) राज्यवार खाद्यान्न कितनी मात्रा में फालतू अथवा कम पैदा हुआ है,

(क) 1966-67 के लिये अब तक राज्यवार खाद्यान्नों की मांग कितनी है,

(ङ) खाद्यान्नों का अब तक राज्यवार आवंटन कितना हुआ है और वास्तविक सप्लाई कितनी रही है, और

(च) विभिन्न राज्यों की मांग तथा सप्लाई की मात्रा में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) जनसंख्या के आकड़ें भारत सरकार के जनगणना में दिये गये हैं ।

खपत सम्बन्धी किसी युक्तियुक्त सर्वेक्षण के बिना और राष्ट्रीय आय के वितरण, शहरीकरण की रफतार, खाद्य आदतों में जिन पर खाद्यान्नों की आवश्यकता निर्भर करती है, परिवर्तन जैसे तत्वों में घट-बढ़ कर अन्दाजा लागाना कठिन है, इन तथ्यों की दृष्टि में यह बताना कठिन है कि देश भर के लिये खाद्यान्नों की कितनी आवम् आवश्यकता होगी। प्रत्येक राज्य की आवश्यकता बताना तो और भी अधिक मुश्किल है ।

(ख) 1965-66 में प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों की पैदावार बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 7144/66]**

(ग) जैसा कि राज्य का अधिशेष अथवा कमी उसकी अपनी पैदावार और उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है और जैसे आवश्यकता का अनुमन लाना सम्भव नहीं है, उसी तरह राज्व वार अधिशेष अथवा कमी बतानी भी सम्भव नहीं है ।

राजकीय खेत फार्म

3. श्री उटिया : **श्री मधु लिमये :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रूसी नमूने के राजकीय खेत (फार्म) आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ख) राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में ये फार्म चालू किये जायेंगे;

(ग) ये फार्म किस किस प्रकार के कृषि उत्पादन पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे;

(घ) इन पर कुल कितनी पूंजी लागत आयेगी; और

(ङ) इनमें कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ङ) राजस्थान में सूरतगढ़ फार्म जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था के नमूने पर देश के विभिन्न भागों में बड़े साइज़ के केन्द्रीय बीज फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस कार्य के लिए उपयुक्त भूमि केन्द्र की इच्छा पर छोड़ें। इन फार्मों का मुख्य उद्देश्य बीजों की उन्नत किस्मों को पैदा करना होगा ।

चूंकि सब फार्म एक समय में ही स्थापित नहीं किए जायेंगे बल्कि भूमि उपलब्ध होने पर ही स्थापित होंगे और सारा कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि और पांचवीं योजना की थोड़ी सी अवधि में लागू किया जाएगा इसलिए अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि कुल कितना क्षेत्र इसके अन्तर्गत आएगा, कितना खर्च होगा और कितने आदमी इस योजना के लिए नियुक्त किए जाएंगे ।

हवाई अड्डा अधिकारी, वाराणसी

4. श्री राजदेव सिंह : **श्री दलजीत सिंह :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री छ० म० कदेरिया :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाबतपुर (वाराणसी) के सहायक हवाई अड्डा अधिकारी को सितम्बर, 1966 में कुछ गुंडों ने पीटा था ;

(ख) क्या वाराणसी हवाई अड्डे के आसपास इस प्रकार की डाके तथा चोरी की घटनायें पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो हवाई अड्डे के कर्मचारियों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) हवाई अड्डे के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वहां पर पुलिस की एक चौकी तथा सिविल अस्पताल बनाने का विचार कर रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) वाराणसी विमान क्षेत्र में तैनात सहायक विमनक्षेत्र अधिकारी 25 जुलाई, 1966 को प्रातःकाल अपने क्वार्टर में घायल तथा अचेत पाये गये ।

(ख) 1962-63 में कुछ छुटपुट मामलों की रिपोर्ट मिली थी लेकिन उपर्युक्त घटना के सिवाय पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के किसी भी दूसरे मामलों की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ). वाराणसी विमानक्षेत्र में या उसके निकट पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 1963 में उठाया गया था। लेकिन, राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई। उपर्युक्त घटना को दृष्टि में रखते हुए, इस मामले पर राज्य सरकार के साथ फिर से बातचीत प्रारंभ की जा रही है।

उक्त विमानक्षेत्र में एक छोटी-सी डिस्पेंसरी है जो कि सप्ताह में तीन दिन रोज़ाना दो घण्टे के लिए खुलती है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए नागर विमानन विभाग द्वारा वारणसी विमानक्षेत्र में एक सिविल अस्पताल की स्थापना करने की आवश्यकता अभी तक महसूस नहीं की गयी है ।

केन्द्रीय कन्दमूल अनुसन्धान संस्था, केरल

5. श्री वासुदेवन नायर : **श्री वारियर :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामदायकि विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित केन्द्रीय कन्दमूल अनुसन्धान संस्था की स्थिति को घटाकर उसे भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के अन्तर्गत एक उपकेन्द्र बना देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप इस संस्था में हो रहे अनुसन्धान में हानि पहुंचने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). केरल में स्थित कुछ छोटी संस्थाओं के सम्बन्ध में भावी योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । हाल ही में एक अचीवमैन्ट आडिट कमेटी ने सुपारी अनुसन्धान केन्द्र, विटल, केरल के दो नारियल अनुसन्धान केन्द्र और त्रिवेन्द्रम के न्द्रीय कन्दमूल अनुसन्धान संस्था का निरीक्षण किया। इस दल की सिफारिशों के आधार पर इन संस्थाओं में अनुसन्धान कार्यक्रम को दृढ़ करने के लिए कुछ कदम उठाने का प्रस्ताव है। अतः सम्भव है इनमें से कुछ यूनिट्स को मिला दिया जाए और अनुसन्धान कार्य के लिए अधिक सुविधाएं दी जायें। वास्तविक ब्यौरा अभी बनाया जाना है और कोई निर्णय नहीं किया गया है।

संस्था द्वारा चलाये गए अनुसन्धान कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर कन्दमूल फसलों पर अनुसन्धान कार्य के लिए और अधिक सुविधाएं देने का विचार है।

केरल में राशन की दुकानों पर चावल का मूल्य

6. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में केन्द्र द्वारा दी जा रही राजसहायता बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप राशन की दुकानों पर मिल रहे चावल का मूल्य बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने उपदान बन्द कर दिया है। तथापि, न केवल केरल बल्कि अन्य राज्यों के लिये खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य में परिशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और बहुत ही जल्द निर्णय लिया जाएगा ।

केरल में चावल का समाहार

7. **श्री वारियर :** **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 1966 में राज्य में चावल का समाहार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष में अब तक कितने चावल का समाहार किया गया है; और

(ग) समाहार के जिलावार आंकड़े क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). केरल सरकार ने 1966 में 28 अक्तूबर तक 67,581 मीटरी टन धान की अधिप्राप्त की है:—

(ग) **जिला**	**मात्रा मीटरी टन में**
कूलिन	1,319
त्रिवेन्द्रम	675
अल्लेपी	6,199
कोटायम	2,605
एरनाकुलम	2,269
तिरुचूर	5,429
पालघाट	43,442
कोजीकोड	3,585
कन्नानोर	2,058
	67,581

चतुर्थ योजना में केरल के लक्ष्य

8. **श्री इम्बीचीबावा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री चतुर्थ योजना में निम्नलिखित विषयों के लिए केरल के लिए निर्धारित लक्ष्य बताने की कृपा करेंगे:

(1) समुद्र जन्य पदार्थों का उत्पादन;

(2) ताजा जल मछली उत्पादन;

(3) मछुओं के लिए आवास की सुविधायें;

(4) मछुओं के लिए नौकाओं, मछली पकड़ने के जालों और बंसियों के लिए राज-सहायता;

(5) मछुओं को यंत्रों द्वारा मछली पकड़ने के लिए प्रशिक्षण देना; और

(6) (क) नौकाओं के निर्माण (ख) मछली पकड़ने के पत्तनों पथा पत्तन की सुविधायें (ग) शीतागार और मछली को जमाने की सुविधायें (घ) मछली के गल सड़ जाने से पहले ही शीघ्रता के साथ उसे ले जाने के लिए सड़कें, और (ङ) मछली को डिब्बों में बन्द करने तथा जमाने के कामों के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार ने कितनी पूंजी लगाई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (1) से (6) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मछली-पालन के विकास के बारे में केरल सरकार से शीघ्र ही प्रस्ताव प्राप्त होने को आशा है और तत्पश्चात् ही राज्य सरकार तथा योजना आयोग के परामर्श से लक्ष्यों व योजनाओं के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

वन्य पशुओं का संरक्षण

9. **श्री इम्बीचीबावा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए विशेषकर उन नस्लों के संरक्षण के लिए जिनके समाप्त हो जाने की आशंका है, अब कोई योजना बना जा रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केरल के पशुओं में से मगरमच्छ और घड़ियाल, जो आज से तीस वर्ष पूर्व बड़ी संख्या में थे आज बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं;

(ग) केरल के ऐसे कौन से स्तनधारी पशु हैं जिनकी नस्लों के समाप्त हो जाने की आशंका है; और

(घ) इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) वन्य पशुओं तथा वन्य पक्षियों का संरक्षण राज्य का विषय है और इस सम्बन्ध में सभी उपाय राज्य सरकारों द्वारा भी क्रियान्वित किए जा सकते हैं । स्टेट सैक्टर में तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी योजना में प्राण शक्ति जिस में वन्य प्राणी का संरक्षण भी सम्मिलित है के संरक्षण के लिए एक योजना है । केन्द्रीय सरकार देश के वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता को समझती है और उसने 1952 में वन्य प्राणियों के लिए एक भारतीय मण्डल की स्थापना की जो वन्य प्राणियों के संरक्षण के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देता है । वन्य प्राणियों के लिए समय-समय पर भारतीय

मण्डल ने देश के वन्य प्राणियों की और आगे दरबादी को रोकने और उनके सुधार के लिए उपायों के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। मण्डल की सिफारिशों पर लगभग सभी राज्य सरकारों ने कम पाई जाने वाले जातियों को सुरक्षित घोषित कर दिया है और उनको मारना पूर्णतया वर्जित कर दिया है।

(ख) मगरमच्छ और घड़ियालों का काफी संख्या में कम होने का मुख्य कारण यह है कि वनों में लोग बस गये हैं और नदियों में गहरे छप्परों में गदगद भर गई है।

(ग) केरल में स्तनधारी पशुओं की नस्लों की समाप्ति की आशंका नहीं है।

(घ) केरल के जंगलों में पांच वर्ष से शिकार करना मना कर दिया गया है।

मछली पकड़ने की विद्युत चालित नौकायें

10. **श्री इम्बीचीबावा:** क्या **खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केरल के तट से परे मीनक्षेत्रों में मछली पकड़ने की कितनी विद्युत-चालित नौकाओं का इस समय प्रयोग किया जाता है;

(ख) वास्तव में समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ने वाले मछुओं की मछली पकडने की अपनी कितनी नौकाएं हैं जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी है;

(ग) समुद्र में न जाने वाले व्यापारियों की, समुद्र में जाने वाले मछुओं के नाम पर सरकारी अर्थ सहायता से कितनी नौकाएं दी गई हैं; और

(घ) सहकारी समितियों को राजकीय अर्थ सहायता से दी जाने वाली कितनी नौकाएं दी गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) 972।

(ख) 665।

(ग) कोई नहीं।

(घ) 146।

खाद्य विभाग के कर्मचारियों को खाद्य निगम में खपाना

11. **श्री लाखनदास:** **श्री मधु लिमए:**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य विभाग के कुछ कर्मचारियों को समूचे देश में भारतीय खाद्य निगम में खपाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या कर्मचारियों से सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने को कहा गया है और क्या उन्होंने त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया है;

(ग) क्या उन्होंने अपने सेवाकाल में कोई रुकावट पड़े बिना अथवा वेतनादि तथा सेवा की शर्तों में कोई प्रतिकूल परिवर्तन हुए बिना खाद्य निगम में केवल स्थानान्तरित किये जाने की मांग की है, और

(घ) क्या इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जब कभी भी खाद्य विभाग के अधीन विभिन्न कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपे जाते हैं, तब खाद्य विभाग के वे कर्मचारी जो उस कार्य से सीधे सम्बन्धित होते हैं वे भी खाद्य निगम को स्थानान्तरित किये जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) खाद्य विभाग के कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करने की शर्तें सरकार के विचाराधीन हैं ।

तैचंग नैटिव 1 धान

12. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मोहन नायक :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायकि विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उड़ीसा में बड़े पैमाने पर तैचंग नेटिव 1 धान बोया गया था ;

(ख) क्या धान की इस फसल को पौधों के रोगों तथा कीड़ों के आक्रमण से बहुत क्षति पहुंची है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी सुरक्षा के लिये समय पर कार्यवाही न करने के क्या कारण थे; और

(घ) इस लापरवाही के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोकने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1966 के खरीफ के मौसम में उड़ीसा में धान की तैचंग नेटिव 1 किस्म 38000 एकड़ भूमि में बोई गई थी ।

(ख) शुरू में इस फसल को कुछ क्षेत्रों में जैसिडस फुलगोरिडस तथा गालफ्लाई से हानि पहुंची । परन्तु भारत सरकार की सहायता से राज्य सरकार ने स्थिति पर तुरन्त ही काबू पा लिया । सामुयिक उपायों के कारण फसल को नाममात्र ही हानि पहुंची । इस समय फसल की स्थिति सन्तोषजनक बताई जाती है ।

(ग) और (घ): प्रश्न ही नहीं होता ।

खाद्य की अधिक उपज देने वाली किस्में

13. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० म० मो० दास :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के परिणामों का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) क्या देश के सभी भागों में विपुल उपज वाली किस्मों को अधिकाधिक प्रयोग में लाने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां तो गत वर्ष किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग): एक विवरण रखा है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 7145/66**] ।

पालम हवाई अड्डा

14. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **परिवहन, नौवहन, उड्डयन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर इस समय उपलब्ध सुविधायें दिल्ली में आने और दिल्ली से जाने वाले विमानों और यात्रियों के लिये अपर्याप्त है ;

(ख) क्या पालम हवाई अड्डे को बढ़ाने उसे नये डिजाइन का बनाने और उसका जीर्णोद्धार करने का विचार है ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात को सम्भालने योग्य बन सके; और

(ग) यदि हां, तो इसका मोटे तौर पर ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग): जी हां । लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से पालम हवाई अड्डे पर एक नया अन्तर्राष्ट्रीय टरमीनल कम्प्लेक्स बनाने का विचार है । इसमें कुछ समय लग जायेगा । जब तक नया टरमीनल कम्प्लेक्स बनाया जाता है तब तक 35.62 लाख रुपये की लागत से विमान टरमीनल इमारत को और बढ़ाने तथा उसमें तबदीलियां करने का निश्चय किया गया है। प्रस्तावित निर्माणकार्य की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) एक दुमंजिली इमारत का निर्माण

(2) इमारत की नगर की ओर की छत्ती;

(3) टेरेस रैस्टोरेन्ट

(4) बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए विश्रामकक्ष का निर्माण

(5) स्वास्थ्य तथा आप्रवास की पड़ताल के लिये हाल का निर्माण

(6) मौजूदा रसोईघर का सुधार

(7) कार्यालय के स्थान का विस्तार

(8) बाहर से आने वाले यात्रियों के लिये प्रस्तावित विश्राम-कक्ष के पार्श्व में अंतर्राष्ट्रीय सामान के लिये मार्ग-निर्माण

(9) वातानुकूलन के लिये आवश्यक निर्माण-कार्य

(10) सफ़ाई सम्बन्धी सुविधाओं जल-प्रबन्ध तथा बिजली व्यवस्था में सुधार

(11) टरमीनल इमारत के सामने फूलों की क्यारियों लान इत्यादि की व्यवस्था।

Abolition of Post of Block Development Officers in Madhya Pradesh

15. Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Shri Vishram Prasad:
Dr. M. M. Das:
Dr. Mahadeva Prasad:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the assessment of Government regarding the effect of abolition of the post of Block Development Officers in Madhya Pradesh on the Community Development works;

(b) whether Government propose to advise other States to abolish the post of Block Development Officers in view of the experience gained in Madhya Pradesh;

(c) if not, whether there is likelihood of re-appointment of Block Development Officers in Madhya Pradesh; and

(d) the economy affected in the annual expenditure by the Madhya Pradesh Government as a result of the abolition of this post?

The Deputy Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) It is still early for a full assessment to be made. The State Government have, however, reported that the work is proceeding satisfactorily.

(b) No, Sir.

(c) The Madhya Pradesh Government have decided to have the Sub-Divisional Officers as coordinators of the work in the Blocks.

(d) The State Government estimate the economy in the annual expenditure, as a result of the abolition of the BDOs' posts, to be about Rs. 25 lakhs.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यात्री तथा माल भाड़े की दरों में वृद्धि

16. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अ० व० राघवन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
डा० श्रीनिवासन :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बसुमतारी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के यात्री भाड़ों की दरों में 5 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ताकि अवमूल्यन से पूर्व खरीदे गये विमानों के मूल्य की अदायगी पूरी की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या इसके साथ ही साथ माल भाड़े की दरों में भी वृद्धि की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ). इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने आसाम क्षेत्र के सेक्टरों को छोड़ कर जहां कि प्रस्तावित वृद्धि 5 प्रतिशत तक सीमित है अन्य समस्त सेक्टरों में किरायों व भाड़ों की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव भेजा है । इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

अमरीका से गेहूं

17. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में अमेरीका से 60 लाख बुशल (32 सेर का परिमाण) गेहूं खरीदा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) इस समय संयुक्त राज्य अमेरीका से गेहूं की सप्लाई यथासंशोधित सितम्बर, 1964 के पी० एल० 480 करार के अधीन प्राप्त हो रही है । उक्त करार के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका का कृषि विभाग समय समय पर खरीद-प्राधिकार जारी कर रहा है । गेहूं के कुल लगभग 60 लाख बुशल के लिये ऐसे दो खरीद-प्राधिकार 28 सितम्बर, 1966 को जारी किये गये थे। इस में से लगभग 36 लाख बुशल खरीद लिये गये हैं। शेष मात्रा बहुत ही शीघ्र खरीदी जाएगी।

(ख) गेहूं के जो 36 लाख बुशल खरीदे गये हैं वे लाल गेहूं के हैं। शेष खरीदी जाने वाली मात्रा सफेद गेहूं की होगी ।

भूमि अर्जन अधिनियम

18. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित संरक्षित अधिनियमों में से भूमि अर्जन अधिनियम को निकालने के लिये भारत के संविधान में संशोधन करने का निर्णय किया है ;

(ख) प्रस्तावित संशोधन से कई चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिये भूमि अर्जित करने में सरकार को कितनी सहायता मिलेगी ; और

(ग) उक्त संशोधन कब और किस रूप में पेश किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) नवीं अनुसूची में सम्मिलित संरक्षित अधिनियमों में से भूमि अर्जन अधिनियम को निकालने का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि वह अधिनियम उस अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। भूमि अर्जन अधिनियम और संविधान के संशोधन के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि के विकास के लिए रूस की सहायता

19. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 26 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 55 के जो कि कृषि के लिए रूस की सहायता के बारे में में था उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर योजना के ब्यौरे को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो योजना की अन्तिम रूप रेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : सहयोग के क्षेत्रों का निर्धारण हो चुका है। कुछ योजनाओं के बारे में कच्चे करार तय किये जा चुके हैं ; और अब उन पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं। योजनाओं को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा।

फसल बीमा योजना

20. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 26 जुलाई, 1966 के तारांकित

प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सम्बन्ध में जो कि फसल बीमा योजना को लागू किये जाने के बारे में था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्यों के पथ-प्रदर्शन के लिए जो नमूना योजना बनाई जा रही थी क्या उसे इस बीच पूर्ण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) राज्य सरकारों की इस योजना के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) फसल बीमा योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

बम्बई के निकट कैरावल विमान दुर्घटना

21. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री उमा नाथ : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नम्बियार : **डा० म० मो० दास :**
डा० सारादीश राय : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० श्रीनिवासन :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री हरिविष्णु कामत :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 सितम्बर, 1966 को इण्डियन एयरलाइन्स का एक कैरावल विमान बम्बई के उत्तर में एक पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके कारण उसके अन्दर बैठे चार व्यक्ति मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि कोई जांच की गई है तो उसके परिणाम क्या हैं; और जांच की उपपत्तियों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). दुर्घटना की अभी जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-मलयेशिया विमान सेवा

22. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 23 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 627 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मलेशिया के बीच विमान सेवाओं सम्बन्धी समझौते के पाठ की दोनों सरकारों द्वारा पुष्टि हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क). से (ग) करार के बारे में अभी दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है ।

नार्वे से भारत के लिए उर्वरक

3. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० चं० सामन्त : **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि नार्वे सरकार ने भारत सरकार को कृषि में सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपहार के रूप में दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) ऐसे उर्वरक की मात्रा क्या है ; और

(घ) इस उर्वरक के परिवहन का व्यय किसने वहन किया है और नार्वे से भारत तक इसके परिवहन में कितना धन व्यय हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग). नार्वे की सरकार ने 3500 मीटरी टन यूरिया उपहार रूप में दिया था। यह माल 18 अक्तूबर, 1966 को प्राप्त हो चुका है ।

(घ) नार्वे की सरकार ने ये उर्वरक मूल्य तथा पोत भाड़े के आधार पर दिये हैं ; अतः यह पता नहीं कि नार्वे के अधिकारियों ने इन पर क्या भाड़ा अदा किया है ।

केरल में मत्स्य उद्योग

24. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चतुर्थ योजना के दौरान राज्य में मत्स्य उद्योग के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ,

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने योजना पर विचार किया है ;

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(च) इस सम्बन्ध में राज्य को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (च). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य उद्योग के विकास के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ; इन प्रस्तावों के शीघ्र ही मिलने की आशा है और राज्य सरकार तथा योजना आयोग की सलाह के बाद इन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा।

ट्रैक्टरों के पुर्जों की सप्लाई

25. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्जों आदि के अभाव के कारण देश में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर बेकार पड़े हुए हैं, अथवा अपनी क्षमता से बहुत काम कर कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पुर्जों आदि के अभाव को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) ईस्ट यरोपियन ओरिजन के अधिकतर ट्रैक्टर फालतू पुर्जों के अभाव के कारण बेकार नहीं पड़े रहेंगे क्योंकि इनके लिए फालतू पुर्जे आयात करने में कोई कठिनाई नहीं है । वास्तव में रूसी ट्रैक्टरों के एजन्टों ने यह निश्चित कर लिया है कि उनके द्वारा सप्लाई किए गए ट्रैक्टर फालतू पुर्जों के अभाव के कारण बेकार नहीं पड़े हैं। पश्चिमी देशों से आयातित ट्रैक्टरों के अप्रचलित माडलों के फालतू पुर्जों के मिलने में थोड़ी सी कठिनाई है । किन्तु हाल की आयातों की उदारता के फूलस्वरूप स्थिति सुधरनी चाहिए।

(ख) ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(क) फालतू पुर्जों के लिए लाइसेंस जारी करने की नीति 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत बढ़ा दी गई है । इसके अतिरिक्त अमेरिका से आयातों के लिए उदार लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं ।

(ख) ट्रैक्टरों के वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस जारी करने हेतु आयात नीति में एक व्यवस्था की गई है ।

(ग) ईस्ट यूरोपियन देशों से आयातित ट्रैक्टरों के साथ पर्याप्त मात्रा में फालतू पुर्जे आयात किए जा रहे हैं।

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे फालतू पुर्जों की अनुपलब्धि सम्बन्धी शिकायतों को सुनने के लिए राज्य के कृषि विभागों में छोट-छोटे यूनिट्स स्थापित करें। ये यूनिट्स आवश्यक फालतू पुर्जों की सप्लाई का प्रबन्ध स्थानीय व्यापारियों के द्वारा करेंगे ।

लग्जरी बसें तथा कारें

26. **डा० पू० ना० खां :** **श्री भागवत झा आजाद :**
डा० म० मो० दास : **श्री स० चं० सामंत :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रमंडल

अभियान दल से पांच लग्जरी बसें तथा अमेरिका से पैंतालीस "डान पोलारा कारें" खरीदी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बस तथा कार के लिए सरकार ने कितनी कीमत दी है ; और

(ग) क्या उक्त बसों तथा कारों को खरीदने के बाद विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की कमाई काफी बढ़ गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक बस की कीमत 1,14,345.41 रुपये थी ।

प्रत्येक कार की कीमत 39,057.47 रुपये थी ।

(ग) इन कारों और बसों के संबंध में विशिष्ट रूप से इस प्रकार का मूल्यांकन करना संभव नहीं ।

खरीफ की फसल पर सूखे का प्रभाव

27. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर तथा राजस्थान राज्यों में खरीफ की फसल की बुवाई पर सूखे का क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या इन राज्यों के उन कृषकों को जिन्हें मजबूर होकर अपने स्थान छोड़ कर अन्यत्र जाना पड़ा था कोई ऋण, बीज तथा अन्य प्रकार की सहायता दी गई है ताकि वे अपने गांवों को वापस जा सकें और खरोफ की फसल को बो सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष इन राज्यों में तथा अन्य राज्यों में खरीफ की कैसी फसल होने का अनुमान है

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जून के प्रथम पखवाड़े, जुलाई के प्रथम पखवाड़े और अगस्त के बाद के दिनों में मानसून वर्षा आम तौर पर अपर्याप्त हुई । इससे राज्यों में बुवाई कार्य में देर हुई या रुकावट पड़ी । फिर भी बीज की अवधि में अच्छी वर्षा के कारण खरीफ की बुवाई सन्तोषजनक हुई ।

(ख) प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को पुनः बसाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऋण, बीज आदि के रूप में दी गई है । फिर भी इनके सम्बन्ध में आंकड़ों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) खरीफ फसल के बारे में सही अनुमान लगाना अभी कठिन है । दक्षिणी राज्यों को छोड़ कर देश के कई भागों में बीच सितम्बर से सूखे की परिस्थितियों से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में खड़ी फसलों को हानि पहुंची है । अस्थायी संकेतों के अनुसार देश में खरीफ की फसल वर्ष 1965–66 की अपेक्षा अधिक होगी ।

खाद्यान्न नीति समिति का प्रतिवेदन

28. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 23 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न नीति समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए "अधिक उपज वाले फार्म" (Surplus Farms) "आवश्यकता से अधिक उपज करने वाले जिले" (Surplus Districts) और "आवश्यकता से अधिक उपज करने वाले राज्यों" (Surplus States) शब्दों की परिभाषा इस बीच कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). खाद्यान्न नीति विषयक समिति ने केवल आवश्यकता से अधिक अन्न उत्पादन करने वाले राज्यों के बारे में रिपोर्ट दी है और उसने ध्यान देने योग्य कुछ बातें कीं और ध्यान आकर्षित किया है । समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

Stocking of Foodgrains in Delhi Godowns

29. **Dr. Ram Manohar Lohia:** **Shri Ram Sewak Yadav:**
Shri Kishen Pattnayak: **Shri Madhu Limaye:**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3116 on the 23rd August, 1966 and state:

(a) the reasons for large variations in capacity and stocks of the three foodgrains godowns referred to in the statement showing the details of monthly stocks of foodgrains therein;

(b) the number of shops attached to each of these godowns in Delhi; and

(c) the reasons for delivery of bags of foodgrains at Railway Stations other than the nearest ones and the additional expenditure incurred as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) The variation in capacity of the godowns at Shaktinagar and C.T.O. was, by and large, due to demolition of certain old sheds at Shaktinagar, some storage space being handled over to or taken back from other organisations such as Delhi Milk Scheme, National Seeds Corporation, Directorate of Extension, Central Warehousing Corporation, etc. As regards variation in stocks, as already stated, in reply to Unstarred Question No. 3116 on the 23rd August, 1966 the stocks in the godowns are maintained on the basis of the storage capacities of the godowns and operational requirements.

(b) the number of shops attached to each of these godowns is as follows:—

CSD Naraina (West Patel Nagar)	955
CSD Shaktinagar	778
CSD C.T.O.	486
	2,219

(c) Foodgrains stocks are received, as a rule, at the sidings at the Government godowns at Naraina (West Patel Nagar), or at the nearest railway station, subject to operational considerations of the railways. During the entire period 1963 to 1966, there were, however, only three occasions on which stocks of foodgrains received at other stations had to be transported by road to CSD Naraina and the expenditure incurred thereon was only about Rs. 15,800.

All deliveries to dealers are ex-godown.

मद्रास राज्य में चावल की कमी

30. **श्री सेझियान** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के यंजावूर जिले में पिछले चार महीनों से चावल की अत्याधिक कमी है ;

(ख) क्या वहां के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई राशन व्यवस्था लागू की गई है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्य कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अत्याधिक कमी तो नहीं है तथापि बाजार में चावल सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं है और इसलिये सरकारी भंडारों से चावल देने की मांग की गई थी ।

(ख) और (ग) जिला के दोनों ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में परिवार कार्ड प्रणाली की अनौपचारिक राशन की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के हिसाब से वितरण केन्द्र खोले गये हैं । जिला में गैर-काश्तकार लोगों में गेंहूं तथा गेहूं के उत्पादों का वितरण करने के लिये भी प्रबन्ध किया गया है । किसानों के पास बचे हुए फालतू धान की वसूली स्थानीय वितरण के लिये की जा रही है ।

उड्डयन केन्द्र इलाहाबाद

31. **डा० मा० श्री अणे** : क्या **परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद के उड्डयन केन्द्र को लखनऊ में लाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि नागपुर की जनता का यह दावा है कि इस केन्द्र को भारत के किसी अन्य स्थान पर ले जाने की बजाय नागपुर में ले जाया जाये ;

(ग) क्या नागपुर की जनता की ओर से महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पत्र लिख कर यही मांग की है; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि नागपुर उड्डयन केन्द्र में 25 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध पहले ही है ।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इस समय इलाहाबाद में कोई नागर उड़ान केन्द्र नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां । नागपुर में एक उड़ान क्लब है जिसमें शौकिया उड़ान, निजी पायलट के लाइसेंस प्राप्त करने के प्रशिक्षण और एन० सी० सी० केडटों के प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

खाद्यान्न रहित भोजन

32. **डा० म० मो० दास :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केवल खाद्यान्न रहित भोजन बनाने को प्रोत्साहित करना चाहती है ;

(ख) क्या इस बारे में प्रयोग करने के लिये कोई समिति स्थापित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की है । श्रीमती वायलिट अलवा की अध्यक्षता में "भोजन सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन" के लिये एक गैर-सरकारी समिति स्थापित की गयी है और सरकार ने इस समिति को तदर्थ अनुदान मंजूर किया है। पूरी तरह सुसज्जित चलती-फिरती गाड़ियों के द्वारा और सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में स्थापित खान-पान औद्योगिकी और व्यवहारिक पोषाहार संस्थानों द्वारा सुव्यवस्थित अभियान से अनाज रहित भोजन को लोकप्रिय बनाने की भी कोशिश की जा रही है । इस उद्देश्य के लिये प्रचार के सामान्य साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है और हाल ही में सरकार ने भोजनों का एक संकलन जिसमें काफी अनुपात में अनाज रहित भोजन दिये गये हैं, प्रकाशित किया है ।

विधि विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन

33. **श्रीमती रेनु चक्रवर्ती :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री क० ना० तिवारी : **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विधि विद्यार्थियों द्वारा विधि की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन तथा प्रशिक्षण की अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में और व्यवसाय के लिए सक्षम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में, आन्दोलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए गठित समिति ने इस बारे में रिपोर्ट दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जी हां। भारतीय बार काउंसिल की विधि शिक्षा समिति ने, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि भी हैं, यह सिफारिश की है कि 1967 के शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ से, विधि के शिक्षण के पाठ्यक्रम की अवधि--

(1) उन छात्रों की दशा में, जो पूर्णकालिक छात्रों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, अर्थात् वे जिनकी विश्वविद्यालय में शिक्षण के पाठ्य-क्रम की कालावधि 4 घंटे प्रतिदिन या 22 घन्टे प्रति सप्ताह से कम नहीं है, तीन वर्ष, तथा

(2) उन छात्रों की दशा में, जो अंशकालिक छात्रों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, अर्थात् वे जिनकी विश्वविद्यालय में दैनिक शिक्षण के पाठ्यक्रम की कालावधि 4 घण्टे प्रतिदिन या 22 घण्टे प्रति सप्ताह से कम है, चार वर्ष होनी चाहिए ।

अकादमिक शिक्षण के पश्चात्, 6 मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण और राज्य बार काउंसिलों द्वारा विहित की जाने वाली परीक्षा होगी ।

किन्तु, विधि विद्यार्थियों द्वारा किए गए आन्दोलन का आशय, प्राथमिकता, नामांकन-पूर्व प्रशिक्षण से और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24(1)(घ) के अधीन राज्य बार काउंसिलों द्वारा विहित परीक्षा से 31 दिसम्बर, 1965 से आगे भी छूट प्राप्त करना है ।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है जो शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण के राज्यों में अकाल सहायता

35. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दक्षिण के राज्यों को अकाल सहायता के लिये 600 करोड़ रुपये की राशि देना अन्तिम रूप से मंजूर कर लियां गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख). आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर के चार राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने जून, 1966 में तिरुपाथी में हुई कान्फ्रंस में सुझाव दिया कि इन राज्यों में अकालग्रस्त क्षेत्रों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई जानी चाहिए । इस काम के लिए कोई खर्च नहीं बताया गया था ।

देश में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की हालत सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिनके अनुसार इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी ।

अभावग्रस्त राज्यों को सहायता

36. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अनेक अभावग्रस्त राज्यों ने पिछले एक वर्ष में कितनी सहायता मांगी है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अकाल तथा बाढ़ सहायता कार्यों के लिए राज्यों को अब तक कुल कितनी धनराशि दी है ;

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अकाल तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की कितनी सहायता की है ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सूखा, बाढ़ आदि जैसी दैवी विपदा से सम्बन्धित सहायता कार्यों पर खर्च केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहायता के निहित पैमाने के आधार पर बांटा जाता है। यह खर्च आरम्भ में राज्य सरकारें स्वयं करती हैं, यद्यपि आमतौर पर खर्चे की रसीदें प्राप्त होने से पूर्व राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1965–66 और 1966–67 में अब तक सूखा और बाढ़ सहायता के लिये मांगी गयी और मंजूर की गयी वित्तीय सहायता बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 7146/66**] आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 15–8–66 तक क्रमशः रु० 1.81 करोड़ और रु० 705 करोड़ खर्च हुये थे। अन्य राज्यों की सरकारों से खर्च के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा कमी से प्रभावित राज्यों को जिन्स रूप में दी गयी सहायता बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध 2) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कमी की स्थिति का कैसे मुकाबला किया उसका ब्यौरा 9 अगस्त, 1966 को लोक सभा के पटल पर रखे गये कमी की स्थिति की समीक्षा में किया गया है। उस समीक्षा में तब कमी से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और उड़ीसा के बारे में सूचना दी गयी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अब कमी की स्थिति बढ़ रही है और इन दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर सहायता कार्य शुरू करने का विचार है। इन कार्यक्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाने केलिये सहायता कार्य शुरू करने और बूढ़े, तथा दुर्बल व्यक्तियों और काम न कर सकने वाले अन्य लोगों को मुफ्त अनुदान देने के बारे में है।

बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिये किये गये उपायों के ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं और बाद में सभा के पटल पर रख दिये जाएंगे।

चलती फिरती मिट्टी परीक्षण गाड़ियां

37. श्री श्रीनारायण दास : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने और किसानों को विभिन्न फसलों के लिये उर्वरकों और पानी के सही इस्तेमाल के बारे में परामर्श देने के लिये चलती फिरती मिट्टी परीक्षण गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव को कार्यरूप दे दिया गया है और ये गाड़ियां चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन चलती फिरती गाड़ियों की संख्या क्या है और वे किन-किन क्षेत्रों में चल रही हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्य रूप देने में केन्द्र का क्या और कितना वित्तीय योगदान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने और उर्वरक आदि के सही इस्तेमाल के बारे में किसानों को परामर्श देने के लिए 320 चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं चलाने के प्रस्ताव पर अभी विचार हो रहा है। तब तक के लिये इस प्रकार की एक चलती फिरती प्रयोगशाला निर्मित की गई है और खेत में परीक्षण के तौर पर उससे काम लिया जा रहा है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका सारा खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

बिहार सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान

38. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वर्ष 1966–67 के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित की जाने वाली योजनाओं को भेजा है,

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ग) इन योजनाओं के लिये अब तक कितनी राशि नियत की गई है,

(घ) क्या उक्त सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) रिजर्व से अनुदान मांगे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) और (ङ) बिहार सरकार ने 1966–67 के बजट अनुमानों में, केन्द्रीय सड़क निधि से पूरे किये जाने वाले कार्यों के लिये 36.79 लाख रुपये के आवंटन की मांग की है 22.78 लाख रु० राज्य के विनिधान खाते से और 14.01 लाख रु० सामान्य रिजर्व से इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7147/66]** आयात परिस्थिति के संदर्भ में सिविल व्यय में अधिक से अधिक बचत करने की आवश्यकता के कारण 1966–67 के अनुमोदित बजट में केवल 12.30 लाख रुपये (11.00 लाख रु० राज्य के विनिधान खाते से और 1.30 लाख सामान्य रिजर्व से) की व्यवस्था की गयी है। यह आवंटन एक मुस्त किया गया ताकि राज्य सरकार इसे ऐसी योजनाओं पर खर्च करे जिन्हें वे ठीक समझे। इस व्यवस्था में कितना कितना खर्च किस किस काम पर किया गया है तथा अब तक प्रत्येक कार्य पर कितना खर्च हुआ है यह सूचना राज्य सरकार से मंगाई गई है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Air Services

39. **Shri Bagri:**
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the causes which lead to delay in the air services and take off of the planes;

(b) whether there is a shortage of all-weather planes and whether the Kashmir-bound plane carrying the Prime Minister in September, 1966 had to return back before reaching Kashmir due to bad weather; and

(c) if so, the remedial steps taken in this regard?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) Yes, Sir. The bulk of delays are of consequential nature. The other delays are due to adverse weather, engineering and operational, etc. In recent months engineering delays have been on the increase.

(b) There is no such aircraft as "all weather aircraft". The Kashmir bound Indian Air Force aircraft carrying the Prime Minister on the 7th September, 1966 was diverted to Pathankot due to bad weather enroute and finally the Prime Minister was brought back to Delhi as the weather remained bad during the day.

(c) Delays due to bad weather are beyond the control of the operators. The delays of consequential nature are likely to be reduced on the acquisition of more aircraft. As regards engineering and other delays, efforts are always made to reduce them to the minimum.

Production of Quality Seeds

40. Shri Bagri:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the acreage of land cultivated by Government organisation and Government-aided Organisations for producing improved quality seeds during the years 1965-66 and 1966-67 so far and the result of these operations; and

(b) the number of persons who sent applications last year to obtain improved quality seeds and the percentage of those among them who were supplied with these seeds?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) and (b) The required information is being collected from the State Governments/Union Territories and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received from them.

बच्चों को गोद लेने सम्बन्धी विधि

41. श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **विधि** मंत्री 23 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3041 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच में बच्चों को गोद लेने के बारे में विधि बनाने से सम्बन्धित विषय पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय पर एक प्रारूप विधेयक, राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए, शीघ्र ही उनमें परिचालित किया जाएगा ।

बिहार में चीनी की मिलें

42. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 26 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में गन्ने की खेती के विकास तथा चीनी की मिलों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों की जांच इस बीच कर ली है,

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) इस मामले में कब अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) समिति की गन्ना विकास सम्बन्धी सिफारिशें राज्य सरकारों के ध्यान में लायी गयी हैं। राज्य सरकारें चौथी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी अपनी स्कीमें तैयार करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखेंगी ।

जहां तक चीनी कारखानों के पुनर्वासन और आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है, इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये काफी वित्त की आवश्यकता पड़ेगी और इस मामले की विभिन्न सम्बद्ध व्यक्तियों के परामर्श से जांच हो रही है ।

केन्द्रीय कृषि कर्मचारी कालिज

43. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 23 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3040 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच चतुर्थ योजना के दौरान भारत में एक केन्द्रीय कृषि कर्मचारी कालिज खोलने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्तिम निणय की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) और (ख) प्रस्ताव के ब्यौरे पर अभी विचार हो रहा है ।

डेरी के पशु

44. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेरी के पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए डेनमार्क की सरकार ने एक केन्द्र स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जायेगा;

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस परियोजना में सरकार का क्या अंशदान होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) से (घ) हेसरघाटा (बंगलौर) में 1 जून, 1964 से डेरी पशु केन्द्र के लिए एक सांझी भारतीय-डेनमार्क परियोजना शुरू की गई थी। प्रारम्भ में जिस करार पर हस्ताक्षर हुए हैं उसके अनुसार यह परियोजना 6 वर्षों के लिए है जिस पर 46.60 लाख रुपये व्यय होंगे। इसमें भारत सरकार का भाग अनुमानतः 16.75 लाख रुपए होगा जो भवन निर्माण, भूमि विकास, जल व्यवस्था तथा बिजली पर और 1967–68 से आगे आवर्तक व्यय के लिए खर्च होंगे।

नेहरू लोक

45 श्री बासप्पा : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से मैसूर सरकार 'डिसने लैंड' की भांति 'नेहरू लोक' बनाने की योजना तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्य क्या है और उसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है और कितनी सहायता मांगी गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) मैसूर सरकार से नेहरू लोक योजना के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा उस पर विचार किया जा रहा है।

मैसूर राज्य में मत्स्य परियोजनायें

46. श्री बासप्पा : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरूआ : **श्री सबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य की मत्स्य परियोजनाओं को सहायता देने के लिये कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई गई है;

(ग) यह योजना कहां आरम्भ की जायेगी; और

(घ) यंत्रीकृत नौकाएं कब से चलाई जायेंगी तथा उन पर कितनी लागत आयेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां, वर्किंग ग्रुप आन फिशरीज कोआपरेटिव की सिफारिशों के अनुसार कि सहकारी क्षेत्र में मत्स्य विकास परियोजना के आधारपर होना चाहिए दक्षिण कैनारा कोस्ट के लिए एक सहकारी मत्स्य परियोजना बनाने में मैसूर सरकार की सहायता करने का निणय किया गया।

(ख) यह योजना जिस पर 125 लाख रुपये खर्च होगा 1966–67 से शुरू हो कर साउथ कैनारा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फिश मारकिटिंग फैडरेशन द्वारा पहले तीन वर्षों के लिए क्रियान्वित की जाएगी। एग्रीकल्चरल रिफाइनैन्स कारपोरेशन 89 लाख रुपये के आर्डर से सहायता करेगा। शष राशि राज्य सरकार द्वारा साहाय्य तथा ऋणों के रूप में दी जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य 15,000 टन अतिरिक्त वार्षिक मछली उत्पादन बढ़ाना है और 18 लाख रुपये वार्षिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है। इस परियोजना से 2000 मछियारों के परिवारों को लाभ पहुंचेगा। यन्त्रीकृत नाव चलाना, निर्यात के हेतु मछलियों के संरक्षण के लिए बर्फ तथा शीत भण्डारण की स्थापना करना, ट्रैश मछली पर्याप्त उपयोग के लिए एक फिश मील प्लान्ट लगाना इस परियोजना के अन्तर्गत आता है।

(ग) मंगलौर।

(घ) 240 यन्त्रीकृत नाव चलाई जाएंगी। यन्त्रीकृत नावों का मूल्य 30,000 से 60,000 रुपये तक प्रति नाव पड़ता है।

मैसूर राज्य में निर्वाचन

47. **श्री बासप्पा** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में साधारण निर्वाचन पांच दिनों में समाप्त हो जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो राज्य में वास्तविक मतदान में कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या सभी स्थानों पर परिणाम एक साथ घोषित किये जायेंगे ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) से (ग) इन बातों पर निर्वाचन आयोग, राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से, अभी भी विचार कर रहा है और इस प्रक्रम पर कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती।

राष्ट्रीय खाद्य परिषद्

48. **श्री बासप्पा :**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय खाद्य परिषद् की स्थापना की जायेगी, और

(ख) यदि हां, तो कब और किस कार्य के लिये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय खाद्य परिषद् की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय चावल सप्ताह

49. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिसम्बर, 1966 में राष्ट्रीय चावल सप्ताह मनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह समारोह किस प्रकार मनाया जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष मनाने के लिए 17 दिसम्बर, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह को राष्ट्रीय चावल सप्ताह घोषित किया गया है ।

राष्ट्रीय चावल सप्ताह से सम्बन्धित कार्य सारे सामुदायिक विकास खण्डों, सघन कृषि जिला कार्यक्रम जिलों तथा स्टेट कैपीटल्ज़ में संगठित किए जाएंगे । इस सप्ताह के दौरान योग्य चावल वैज्ञानिकों और उत्पादकों को पुरस्कार दिए जाएंगे । देश के स्कूलों, कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में हाल ही में चावल उत्पादन तथा प्रतिक्रिया टैकनौलोजी पर चावल वैज्ञानिकों द्वारा भाषण दिए जाएंगे । अधिक चावल उपज प्राप्त करने हेतु और वैज्ञानिक भण्डार, चावलों की प्रतिक्रिया के तरीकों की व्याख्या करने के लिए प्रदर्शनी संगठित की जाएगी : भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आधुनिक पद्धतियों पर प्रतियोगिताएं संगठित की जाएंगी । देश भर में अच्छे चावल खेतों में, चावल प्रयोगात्मक केन्द्रों में आधुनिक चावल मिलों में और भण्डारण गृहों में फील्ड डेज़ मनाए जायेंगे । चावल की नई किस्मों और उत्पादन तकनीकियों पर भी फिल्में दिखाई जायेंगी ।

सितम्बर, 1966 में रायपुर, रूरकेला और भिलाई में रहस्यमय विमान का उतरना

50. श्री महेश्वर नायक : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर के आरम्भ में रायपुर, रूरकेला तथा जमशेदपुर में एक रहस्यमय विमान उतरा और प्रत्येक हवाई-पट्टी से उड़ने की स्वीकृति लिए बिना ही उड़ गया;

(ख) क्या ईंधन लेने के लिए विमान से उतारे गए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ग) क्या यह ज्ञात हो चुका है कि विमान किस देश का था ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग): जमशेदपुर की ब्रिटिश इंडिया केबल कम्पनी का एक आस्टर वायुयान वी०टी-डी०जी०एफ० सामान्य क्रियाविधि के अनुसार पहले से अपनी उड़ान योजना तैयार कर चुकने के बाद 2-9-1966 को भारतीय मानक समय के अनुसार 14.30 बजे रूरकेला से रायपुर में उतरा । फिर ईंधन भरने के बाद वायुयान भिलाई के लिए रवाना हुआ लेकिन फिर 16.45 बजे रायपुर वापस आ गया क्योंकि भिलाई में निर्बाधिता न मिलने के कारण वह उतर न सका । यही वायुयान 3 सितम्बर, 1966 को रायपुर/रूरकेला/जमशेदपुर/कलकत्ता मार्ग पर चला । इसकी उड़ान योजना और रवानगी की सूचना उड़ान सूचना केन्द्र कलकत्ता द्वारा प्राप्त की गयी थी । केवल इसके सिवाय कि विमान-चालक ने रायपुर विमान-क्षेत्र से रवाना होते समय विमान यातायात नियंत्रण, रायपुर से तकनीकी निर्बाधिता (क्लीएरेंस) प्राप्त नहीं की, उड़ानों के बारे में कोई असाधारण बात नहीं थी ।

होटल विकास निधि

51. **श्री फिरोडिया :**
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री दे० द० पुरी ।

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल खोलने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने एक होटल विकास ऋण निधि स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). होटल व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त प्राप्त करने में उक्त व्यवसाय की सहायता करने के लिए उपयुक्त साधन अथवा प्रणाली ढूंढने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

पर्यटन केन्द्रों का विकास :

52. **श्री फिरोडिया :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री लीलाधर बड़ कटकी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो जिन पर्यटन केन्द्रों के विकास करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन स्थानों का विकास करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग): चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यटन-विकास संबंधी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है । इसे योजना आयोग के अनुमोदनार्थ शीघ्र भेज दिया जायेगा ।

फार्म उपकरणों का निर्माण

53. **श्री फिरोडिया :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री राम सहाय पांण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु फार्म उपकरणों के अधिक निर्माण के लिए कोई ठोस उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो समस्त देश में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण नत्थी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7148/66 ।**

बिहार में झाड़खण्ड पार्टी के लिये दल-चिन्ह (सिम्बल)

54. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
डा० सारादीश राय :
श्री नम्बियार :

क्या **विधि** मंत्री 2 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1021 के, जो कि बिहार में झाड़खण्ड पार्टी के लिए दल-चिह्न के बारे में था, उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दल का वर्तमान नेतृत्व सम्बन्धी विवाद हल हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) और (ख). अपना यह समाधान हो जाने पर कि बिहार में झाड़खण्ड पार्टी, पार्टी के रूप में टूट चुकी है, निर्वाचन आयोग ने अपने तारीख 22-10-1966 के आदेश द्वारा, बिहार में झाड़खण्ड पार्टी को दी गई मान्यता और बिहार राज्य में आरक्षित प्रतीकों की सूची में से मुर्गा प्रतीक प्रत्याहृत करने का विनिश्चय किया है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का सम्भरण

55. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दे० द० पुरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2,000,000 टन खाद्यान्नों के सम्बन्ध में एक नया समझौता करने के लिए अमरीका सरकार से हाल में बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच यह करार हो चुका है; और

(ग) इस करार की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) अगस्त, 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से पी०एल० 480 के अधीन 1966 के पंचांग वर्ष की शेष अवधि में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 2,50,000 टन चावल सम्बन्धी अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिये निधि की व्यवस्था करने के लिये प्रार्थना की थी ।

(ख) जी नहीं । हमारी प्रार्थना अभी भी अमेरिका सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम को चावल का सम्भरण

56. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य ने विद्यमान भीषण खाद्य संकट को दूर करने के लिये सितम्बर, 1966 में आसाम के मुख्य मंत्री तथा आसाम में निर्वाचित संसद सदस्यों ने आसाम के लिये 20,000 टन चावल भेजने का उनसे अनुरोध किया था,

(ख) यदि हां, तो तब से आसाम को चावल का कितना संभरण किया गया है, और

(ग) बाढ़ ग्रस्त राज्य में विद्यमान खाद्य संकट को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सितम्बर में असम के मुख्य मन्त्री से जो प्राथना प्राप्त हुई थी वह उनको पहले से आवंटित मात्रा के अतिरिक्त 10,000 मीटरी टन चावल और आवंटित करने के बारे में थी। उन्होंने पहले कुल 20,000 मीटरी टन की मांग की थी। असम के संसद सदस्यों ने भी अगस्त में प्रार्थना की थी कि राज्य सरकार द्वारा मांगा गया चावल सुलभ किया जाना चाहिये ।

(ख) केन्द्रीय भण्डारों से 3,000 मीटरी टन चावल सप्लाई किया गया है। बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया 5,000 मीटरी टन चावल और उड़ीसा सरकार द्वारा पेश किया गया 3,000 मीटरी टन चावल भी असम को नियत किया गया है;

(ग) असम को गेहूं का नियतन राज्य को भेजी जा सकने लायक अधिकतम मात्रा तक बढ़ा दिया गया है और असम को सभी खाद्यान्नों का संचालन उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर किया गया था ।

रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

57. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरिविष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में आसाम के सदस्यों ने रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को बन्द करने के प्रस्ताव के बारे में सितम्बर, 1966 में एक ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया था कि कम्पनी को रेलवे अथवा केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के सहायक के रूप में आसाम राज्य के अन्तर्गत एक आन्तरिक सेवा के रूप में पुनर्गठित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) जी हां ।

(ख) रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी की भविष्य स्थापना सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और इस मामले की परीक्षा करने में ज्ञापन में उल्लिखित बातों पर भी विचार किया जा रहा है ।

पत्तनों पर माल उतारने और चढ़ाने में मशीनों का प्रयोग

58 श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पत्तनों के नाम क्या हैं जहां पर माल उतारने और लादने के काम में मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इस यन्त्रीकरण के परिणामस्वरूप कुछ श्रमिकों को हटा दिया गया है; और

(ग) अन्य पत्तनों पर माल उतारने और लादने के काम का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से यन्त्रीकरण करने का क्या कार्यक्रम है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) माल उतारने और लादने के काम में मशीनों का प्रयोग थोड़ी बहुत मात्रा में सभी बड़े पत्तनों पर किया जाता है ।

(ख) इस प्रकार के यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप श्रमिकों को नहीं हटाया गया है ।

(ग) बड़े पत्तनों पर माल लादने और उतारने के यंत्रीकरण का कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

कलकत्ता में :—माल लादने और उतारने के यंत्रीकरण के आगे का प्रश्न पत्तन आयुक्तों के विचाराधीन है ।

बम्बई में :—नेहवाशेवा के प्रस्तावित सहायक पत्तन में केवल खाद्यान्न तथा अन्य सामान के यंत्र द्वारा लादने उतारने के लिये दो घाटों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है ।

मद्रास में :—एक पांच मिलियन टन क्षमता का आधुनिक यांत्रिक कच्ची धातु लादने के संयंत्र के लगाने का प्रस्ताव है । खाद्यान्न के लिये एक सीलों लगाने का प्रश्न विचाराधीन है । पासफेट तथा अन्य सामान को यंत्र द्वारा लादने उतारने की चालू करने की संभावना की परीक्षा की जा रही है ।

कोचीन में :—कोयले को लादने उतारने के लिये खुले घाटो पर ग्रैविंग फिटिंग सहित चार तृतीय क्रेनों की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । प्रयोग के तौर पर वैकुवेटरों द्वारा पाखहन शेडों में खाद्यान्न धरने उठाने के लिए उसके साथ हापर की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है । यंत्रीकरण के आगे का कार्यक्रम पत्तन अधिकारियों के विचाराधीन है ।

मारुमगांव में :—यांत्रिक कच्ची धातु धरने उठाने की स्थापना सहित एक ओर पायर की व्यवस्था किये जाने की परियोजना सक्रिय विचाराधीन है ।

पारादीप में :—नयी कच्ची लौह धातु घाट के और यांत्रिक धरने उठाने के संयंत्र के निकट भविष्य में काम प्रारंभ करने पर कच्ची धातु का यांत्रिक धरना उठाना प्रारम्भ होगा ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

59. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ब० कु० दास :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सबोध हंसदा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयन्ती शिपिंग कम्पनी के सब गैर-कानूनी सौदों तथा डा० तेजा के कथित कदाचारों की जांच के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) डा० तेजा के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या उसे भारत में बुलवाने के लिए कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) अब तक मालूम हुई अनियमितताएं, की गई कार्यवाही और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति एक विवरण में दी जाती है [पुस्तकालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 7149/66]

मोटर गाड़ी कर की वसूली

60. श्री अ० क० गोपालन :
श्री अ० व० राघवन :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री 16 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2368 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडेचेरी की सरकार ने केरल आधारित मोटर गाड़ियों से कम दर पर कर वसूल करने के मामले में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) पांडिचेरी की सरकार ने केरल आधारित मोटर गाड़ियों के मामले में, जो माही होकर जाती हैं, तिमाही सड़क कर कम दर से चार्ज करने का निश्चय किया है । यह 6 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता (ड्राइवर को छोड़कर) वाली सवारी गाड़ी और माल गाड़ी के मामले में प्रति गाड़ी 125 रुपया और प्रति सीट 5 रुपया की दर कम दर पर है ।

Rice from Brazil

61. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Brazil Government have sent 500 tonnes of rice in September this year;

(b) if so, the commodity agreed to be sent by the Central Government as a gift in exchange for the said rice; and

(c) if not, the terms on which the rice has been sent?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) to (c). The Government of Brazil decided to pledge 500 tons of rice to the World Food Programme of the Food & Agriculture Organisation for allocation to India to meet the situation of food scarcity in the country. The rice has been received as a free gift and the Government of India have not offered to send a gift of any commodity in exchange for this rice.

Starvation Deaths in Bihar

62. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a legislator stated in Bihar Legislative Council on or about the 17th August, 1966 that fifteen persons died of starvation and that there were starvation conditions in many districts; and

(b) if so, whether the facts have been ascertained and the steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) and (b). A member alleged in the Bihar Legislative Council on 2nd September, 1966 that nine starvation deaths had occurred in Palamau and Hazaribagh Districts. The Government of Bihar enquired into these allegations, but it was found that the persons named by the Member in the Council had died of natural causes.

ग्राम स्वयं सेवक दल

63 श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम स्वयंसेवक दल संगठन ने विकास खंडों में अधिक अन्न उपजाओं कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस दिशा में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). ग्राम स्वयंसेवक दल की योजना, जो कि आपातकाल की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से तैयार की गई थी, अब बन्द कर दी गई है ।

भारत-हंगरी विमान सेवा

64. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-हंगरी विमान सेवा आरम्भ करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है कि यह सेवायें किस तिथि से चलाई जायेंगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारत और हंगरी के बीच एक विमान सेवा करार पर 23 फरवरी, 1966 को नई दिल्ली, में हस्ताक्षर हुए और करार का सत्यांकन होने की दशा में इसके उपबन्ध उपर्युक्त तारीख से लागू हो चुके होंगे ।

इस करार के अनुसार भारत की एक एयरलाइन अपनी सेवाएं बुडापेस्ट को से हो कर चला सकती है और हंगरी की एक एयरलाइन अपनी सेवाएं बम्बई को/से हो कर चला सकती है है । प्रत्येक एयरलाइन प्रति सप्ताह एक सेवा दोनों दिशाओं में चला सकती है ।

एयरलाइनें अभी तक आरंभिक जांच कार्यों में लगी हुई हैं, जो कि सेवाओं का उद्घाटन करने से पहले आवश्यक हैं।

(ख) जी, नहीं ।

डकोटा विमान

65. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास अब तक काम में लाये जा रहे डकोटा विमानों की संख्या कितनी है ; और

(ख) 1966 में अब तक दुर्घटना ग्रस्त विमानों की, जो अब बेकार पड़े हैं, संख्या कितनी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 321

(ख) 21

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

66. **डा० रानेन सेन** :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान, संस्था के कृषि विस्तार कार्यक्रम ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या अब तक की प्रगति बहुत धीमी रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) कृषि विस्तार विभाग की स्थापना दो उद्देश्यों (एक) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा (दो) कृषि विस्तार के अनुशासन में अनुसन्धान से 1960 के अन्त में किया गया था।

उक्त उद्देश्यों के बारे में हुई प्रगति के वृतांत का वर्णन निम्नलिखित तथ्यों में किया जा सकता है :

(एक) अध्ययन कार्य— इस विभाग ने अब तक 18 पी० एच० डी० तथा 29 एम० एस० सी० के विद्यार्थी तैयार किये हैं। इस 7 विद्यार्थियों में वे सिस भी शामिल हैं जो अभी अधिनिर्णयन हैं।

भारत और विदेशों में विस्तार कार्यकर्ताओं ने इन थेसिस की सराहना की है । विस्तार विभाग के कई भूतपूर्व विद्यार्थी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। उन में से एक संयुक्त राज्य अमरीका में एक सुविख्यात विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्द के सदस्य हैं।

(दो) विस्तार शिक्षा की पद्धति और विधि, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ग्राम समाज विज्ञान, तथा गृह-अर्थशास्त्र के विषयों से सम्बन्धित एक व्यापक अनुसन्धान कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसे क्रियान्वित किया गया है । बहुत व्यावहारिक महत्व के इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में 53 अनुसन्धान परियोजनायें पूरी की जा चुकी हैं। इस अनुसन्धान के आधार पर भारत और दूसरे देशों की मानक पत्रिकाओं में लेखे प्रकाशित हुए हैं। इस अनुसन्धान के परिणामों की भारी मांग है और उन वैज्ञानिकों ने, जो इस विभाग में गये हैं, वहां पर कार्य के उच्च स्तर की सराहना की है ।

इस विभाग के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई सफलता लेखा-परीक्षा समिति वहां पर किये गये कार्य से पूर्णतया संतुष्ट थी और उसने कर्मचारीवृन्द में और वृद्धि करने की सिफारिश की है

विभाग द्वारा आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किये गये शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों से बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। कई किसानों ने समूचे कंझवला ब्लाक में गेहूं के उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि कर के प्रति वर्ष प्रति एकड़ $2\frac{1}{2}$ से तीन मीट्रीक टन अनाज पैदा किया। विभाग द्वारा न केवल दिल्ली के कर्मचारियों तथा किसानों के लिये परन्तु बाहर से लोगों के लिये नये सस्य विज्ञान में श्रमप्रधान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी प्रबन्ध किया जाता है। यह भी बता दिया जाये कि दिल्ली में श्रमप्रधान कृषि जिला कार्यक्रम चल रहा है और प्रवर्तन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी विकास आयुक्त तथा उसके अधीन कार्य कर रहे कर्मचारीवृन्द की है और विस्तार विभाग की नहीं है।

कोचीन बन्दरगाह

67. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री पी० कुन्हन :
श्री इम्बिचीबावा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैनल की गहराई कम होने के कारण बहुत से समुद्री जहाज कोचीन बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाहों में भेजे जाते हैं ;

(ख) कोचीन बन्दरगाह में चैनल साफ करने के लिये कितने ड्रेजर हैं तथा ये ड्रेजर इस बन्दरगाह में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयल टैन्कर बर्थ खोलने के बाद से इस बन्दरगाह में चैनल साफ करने का काम बहुत बढ़ गया है ;

(घ) क्या बन्दरगाह अधिकारियों ने बन्दरगाह के लिये अतिरिक्त ड्रेजर मांगें हैं और

(ङ) यदि हां, तो इस सबध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रैड्डी): (क) से (ङ) : कोचीन पत्तन में एक सेक्शन ड्रेजर और एक बकेट ड्रेजर हैं और ये पत्तन में बीस वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। आयल टैंकर वर्ष के खुल जाने से पत्तन में निकर्षण कार्य बढ़ गया है क्योंकि जलमार्ग में और घुमाऊ क्षेत्र में अतिरिक्त निकर्षण करना होता है। पत्तन अधिकारियों ने दो नये ड्रेजर खरीदने का प्रस्ताव किया है। पत्तन अधिकारियों को इनमें से एक ड्रेजर के लिये टेंडर लेने का अधिकार दे दिया गया है। दूसरे ड्रेजर के मामले में तकनीकी विशषज्ञो की एक समिति उसकी विशिष्टियां बना रही है और इसके पूर्ण हो जाते ही इसे प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। जलमार्ग में गहराई की कमी के कारण कोई जहाज कोचीन पत्तन से दूसरी ओर नही भेजा गया है ।

Worms in flour supplied by Ration shops in Delhi

68. Shri Yashpal Singh:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri P. C. Borooah:
Shri D. C. Sharma:
Shri Bade:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints recently that the flour distributed through the ration shops in the capital contained worms; and

(b) if so, the steps taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) Only three complaints were received by the Chief Controller of Rationing, Delhi.

(b) The complaints were investigated by the rationing staff and it was found that in one case worms had developed in the atta due to bad storage by the consumer in his house, in another one insect per bag in two bags of atta in the shop concerned were found which had obviously travelled into the bags from elsewhere in the shop and in the third case the complaint was found to be baseless.

Very careful checking of quality is done at the mills and godowns and no case has yet been reported of atta having worms or insects at the time of its issue to ration shops.

दिल्ली में मूंगफली की खेती

69. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित

किया है कि दिल्ली की भूमि में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग के बाद मूंगफली की खेती की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामनंदन मिश्र): (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् दिल्ली ने इस विषय में कोई अनुसन्धान नहीं किये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एकाधिकार जांच आयोग

70 **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन पर आगे कार्यवाही करने के लिए क्या किए गए हैं ;

(ख) अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ; और

(ग) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) इनका निर्देश, दिनांक 6 सितम्बर, 1966 को सभा पटल पर रखे गए सरकार के दिनांक 5 सितम्बर, 1966 के संकल्प के पैरा 5 से 7 में किया गया है ;

(ख) तथा (ग) (i) इस दिशा में विधान की पुरःस्थापना तथा "मोनोपोलीज़ एण्ड रिस्ट्रकटिव ट्रेड प्रक्टसिज़ कमीशन" के नाम में एक स्थायी विधिक आयोग की स्थापना सम्बन्धी पूर्व का प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है ;

(ii) अन्तर्निगम ऋणों तथा निदेशों के बारे में समवाय अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार छोटे उपक्रमियों तथा नई व्यापारिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और अनुचित संकेन्द्रण की वृद्धि को निरुत्साहित करने की बातों को दृष्टि में रखती है ।

(iii) पूर्वोक्त संकल्प की प्रतियां सम्बद्ध मन्त्रालयों विभागों को अन्य निणयों की कार्यान्विति हेतु प्रेषित कर दी गयी हैं।

केरल में विनियमित मंडी व्यवस्था

71. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनियमित मण्डी व्यवस्था केरल के केवल मालावार क्षेत्र में ही विद्यमान है ;

(ख) क्या सरकार इसे समाप्त करने अथवा भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में भी इसके विस्तार करने के बारे में सोच रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस विषय में उचित कानून बनाने के पश्चात् ही राज्य की बाकी मण्डियों को नियमित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है ।

केरल में चावल का भंडार

72. **श्री मोहम्मद कोया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1966 को केरल में चावल का कितना भण्डार था; और

(ख) क्या कार्ड होल्डरों को इस समय दी जा रही चावल की मात्रा वर्ष भर तक दी जा सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पहली नवम्बर, 1966 को स्टाक के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) वर्तमान स्तर पर राशन के चावल की मात्रा बनाये रखने की प्रत्येक कोशिश की जाएगी ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

73 **श्री सबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास):**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपो रेशन के कर्मचारियों के सभी वर्गों ने योजना का स्वागत किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कौन से कर्मचारी इस पर आपत्ति कर रहे हैं और उनकी आपत्तियां क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इंण्डियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की योजना पहले से चल रही है। कर्मचारियों के परिवारों को भी इन सुविधाओं को देने की दूसरी योजना को यूनियनों के साथ परामर्श करते हुए अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) से (घ) इस योजना के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की पत्नी एवं आश्रित बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं दी जायेंगी जिन्होंने कम से कम एक वष की लगातार सेवा कर ली हो । कर्मचारियों को अस्पताल में रहने, सर्जिकल आपरेशन, दन्त चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा और प्रसूति पर होने

वाले वास्तविक खर्चे की प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला अंशदान लिये जाने वाले वेतन के अनुसार अलग अलग होगा। रेडियो आफीसर्स एसोसियेशन और आल इण्डिया एयर क्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिशन नामक दो यूनियनों ने योजना को स्वीकार कर लिया है। अन्य यूनियनों ने अविवाहितों द्वारा दिये जाने वाले अंशदानों तथा लाभ प्राप्त कर्ता द्वारा 25 रुपये दिये जाने की शर्त पर आपत्ति की है पांच यूनियनों में से एयरइंण्डिया कारपोरेशन के उन यूनियनों ने भी जो एयरइंण्डिया के साथ साझे हैं, एयर इण्डिया कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए भी यही योजना स्वीकार कर ली है।

Import of Vessels for Deep Sea Fishing

74. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2281 on the 16th August, 1966 and state:

(a) whether the decision as regards the number of vessels to be imported for deep sea fishing has since been taken;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when a decision is likely to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) to (c). The requirement of fishing vessels to be obtained by import has been assessed. In addition to twenty-five vessels to be imported from Sweden it is proposed to obtain a small number of larger vessels. These are obtainable in several countries including Poland. The matter is under consideration and a decision regarding purchase is expected to be taken in the course of the next few months.

Delhi Rationing Department

75. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the number, of officers and other employees, separately, working in the Delhi Rationing Department;

(b) the annual expenditure being incurred on them;

(c) the source from which this expenditure is met; and

(d) whether it is a fact that this administrative expenditure is met by charging a huge profit on rationed commodities?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) Gazetted—52
Non-Gazetted—992
Total—1044

(b) About Rs. 42 lakhs.

(c) Consolidated Fund of India—Delhi Area Demand.

(d) No profit is charged on rationed commodities. For meeting the expenditure on the administration of rationing a small charge of two paise per kilogramme is added to the price charged to the consumer.

Election Petitions

76. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:
Shri M. B. Bhargava:

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) the number of awards of Election Tribunals on the Election Petitions filed in regard to Third General Elections reversed by the High Courts; and

(b) how many of them were upheld by the Supreme Court?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) 46.

(b) 15.

Vegetable Ghee

77. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while the prices of vegetable ghee are rising, its quality is deteriorating; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) Prices of vanaspati rise or fall with the prices of groundnut oil from which it is manufactured. The quality of vanaspati has to conform to the standards prescribed under the Vegetable Oil Products Control Order 1947. Sample checks have confirmed that over 99.5 per cent of the vanaspati manufactured by the factories conforms to the standards prescribed.

Following a decline in groundnut oil prices in September, vanaspati prices have been reduced by Rs. 69 to Rs. 316 per tonne in the different zones w.e.f. 1st October, 1966.

(b) Does not arise.

उड़ीसा द्वारा दिया गया धान

78. **श्री मोहन नायक :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में उड़ीसा राज्य से अन्य राज्यों को कितना धान भेजा गया ; और

(ख) 1966-67 में कितना धान भेजने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) 1965–66 में उड़ीसा राज्य से अन्य राज्यों को कोई धान नहीं भेजी गयी थी।

(ख) 1966–67 में उड़ीसा से धान निर्यात करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

79. श्री दलजीत सिंह : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को विशेषत: आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में, पूरे तथ्यों को एकत्र करके तथा लम्बी चर्चा के बाद 1966 के आरम्भ में परिसीमन समितियों की कई बैठकों के पश्चात् अन्तिम रूप दे दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस को देखते हुए पंजाब के पुनर्गठन के फलस्वरूप आवश्यक छोटे मोटे समायोजनों के अतिरिक्त, क्या सरकार के विचार में आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अनुसार, आयोग ने (भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 5 जुलाई, 1965 में प्रकाशित अपने आदेश सं० 13, तारीख 3 जुलाई, 1965 द्वारा (अविभाजित) पंजाब में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन को अन्तिम रूप दे दिया था। इसी प्रकार, आयोग ने (भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 9 अगस्त, 1965 में प्रकाशित) अपने आदेश सं० 19 तारीख 6 अगस्त, 1965 द्वारा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन को अन्तिम रूप दे दिया था।

(ख) पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, अब निर्वाचन क्षेत्रों को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबन्धों के अनुसार नए सिरे से परिसीमित करना आवश्यक हो गया है; तथा ऐसा करने में, उसके आदेश सं० 13 और 19 द्वारा यथा परिसीमित निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार और नामों को यथावत् रखना कई मामलों में सर्वदा सम्भव नहीं हो सकेगा। कुछ मामलों में तो स्थानों के आरक्षण में भी परिवर्तन होगा।

Cattle Wealth

80. Shri Rameshwaranand: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the total cattle wealth of India at present according to the latest livestock census;

(b) the total number of milch cattle out of them;

(c) the total number of cows out of the milch cattle; and

(d) the number of useless cows out of them?

The Depuy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) The Tenth Quinquennial live stock Census was conducted generally with 15th April, 1966 as *the reference date* except in Jammu & Kashmir, where it is to be conducted with 15th November, 1966 as the reference date. Complete data relating to the 1966 Census have not yet been received from all the States. According to the 1961 Livestock Census, the total number of cattle (oxen and buffaloes) of all categories is 226.8 million.

(b) to (d). Available information regarding number of cows and buffaloes in 1961, classified according to various categories, is as under:—

(Millions)

	Cattle (over three years)	*Buffaloes*
1. Breeding cows *i.e.* cows over 3 years kept for breeding or milk production.		
(*i*) in milk	20.7	12.4
(*ii*) dry and not calved even once . .	30.3	11.8
2. Working Cows.	2.1	0.5
3. Others	1.1	0.3
Total females over three years	54.2	25.0

No enumeration of useless cattle in the sense of uneconomic cattle is carried out under the Livestock Census.

नेशनल कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज, बम्बई

81. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स नैशनल कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज, बम्बई नामक एक फर्म ने कृषि निदेशक, पूना से इस आशय का एक जाली प्रमाणपत्र प्राप्त करके, कि वह फर्म उर्वरक तैयार कर रही थी और इसलिए वह बिक्री कर से छूट पाने की हकदार है, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों से अपने उत्पाद "सोडियम सल्फेट" पर से बिक्री कर से छूट ली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उत्पाद का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और इसे ग्रामीण लोगों को बेचा जाता है और यह उत्पाद भूमि की उर्वरता को नष्ट कर रहा है ;

(ग) क्या इस से उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन होता है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य/राज्यों से इस मामले में कार्यवाही करने की कोई सिफारिश की है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच विभाग (विशेष पुलिस संस्थान) का भी इस मामले में ही स्वयमेव कार्यवाही करने का विचार है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ). सरकार को ज्ञात नहीं है कि यह पदार्थ अन्त: राज्य व्यापार में जाता है या नहीं। 1961 में सरकार के नोटिस में आया था कि बम्बई की एक फर्म द्वारा तैयार किया हुआ सोडियम सल्फेट महाराष्ट्र तथा गुजरात में उर्वरक के रूप में बेचा जा रहा है। उर्वरक के रूप में

सोडियम सल्फेट का प्रयोग करन भूमि की उर्वरता के लिए हानिकारक है, अत: तुरंत ही राज्य सरकारों को लिखा गया कि वे इस पदार्थ की उर्वरक के रूप में बिक्री होने पर प्रतिबन्ध लगायें । सोडियम सल्फेट को उर्वरक के रूप में बेचना एफ० सी० ओ०, 1957 की धारा 13(i)(बी) (vi) का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पदार्थ वास्तव में उर्वरक नहीं है । सरकार को यह पता नहीं कि अब भी यह पदार्थ ग्रामीणों को उर्वरक के रूप में बेचा जा रहा है या नहीं । गुजरात सरकार ने 1962 में सूचना दी थी कि यह रासायन वास्तव में उर्वरक के रूप में बेची गई थी और यह कि अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है । गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि गुजरात हाई कोर्ट ने छोटी अदालत से मिली सजा में परिवर्तन कर दिया है और इस प्रकार उसने अपराधियों को दोष मुक्त कर दिया है । राज्य सरकार ने मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए हाई कोर्ट से आज्ञा मांगी है परन्तु अभी इस पर निर्णय नहीं आ है।

(ङ) और (च). विशेष पुलिस संस्थान की सी० बी० आई० मुख्यत: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध ही मामलों की जांच पड़ताल करती है और भारत सरकार की विशेष पुलिस संस्थान की सी० बी० आई० ऐसे मामलों में सहायता उस समय देती है जबकि राज्य सरकारें इसके बारे में प्रार्थना करें ।

त्रिपुरा में चीनी की कमी

82. श्री वीरेन दत्त : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों से भी अधिक समय से त्रिपुरा में चीनी की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) बाढ़ों के कारण रेलवे यातायात में विघ्न पड़ने से अगस्त और सितम्बर, 1966 के महीनों में चीनी की कुछ कमी महसूस की गयी थी।

((ख) उपलब्ध चीनी की बिक्री राशन कार्डों पर विनियमित की गयी और पुन: स्टाक भरने के लिये सभी सम्भव कदम उठाये गये। रेल द्वारा यातायात प्रतिबन्ध ढीले करने से स्थिति अब काफी सुधर गयी है ।

अन्तर्राज्यीय परिवहन सम्मेलन

83. श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की पहल पर हाल में अन्तर्राज्यीय परिवहन सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में हुए विचारविमर्श के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले है ;

(ग) उन निष्कर्षों को कब लागू किया जायेगा ; और

(घ) भ्रष्टाचार, तस्करी, लापरवाही से गाड़ी चलाना आदि के दोषों तथा अन्तर्राज्य परिवहन में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का संकेत राज्य परिवहन सचिव की 11-7-1966 की बैठक की ओर है जिससे सड़क परिवहन से सबद्ध परिवहन नीति और समन्वय पर समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था जिसमें अन्तर्राज्य परिवहन की सिफारिशें शामिल थी।

(ख) उक्त बैठक में जो मुख्य सिफारिशें की गई थीं वे ये हैं :—

(1) अन्तर्राज्य चालन के लिये माल-गाड़ियों के लिये पूरे राज्य के लिये वैध परमिट जारी की जानी चाहिये।

(2) भविष्य में सीमित ध्येयों के लिये अस्थायी परमिट जारी की जा सकती है जो मोटर वेहिकल एक्ट, 1939 की धारा 39 में उल्लिखित हैं ।

(3) पड़ोसी राज्यों के साथ के मार्गों पर अन्तर्राज्य चालन के लिये नियमानुसार एक बिन्दु-कर होना चाहिये।

(4) चुंगी-कर हटा दिये जाने चाहिये और स्थानीय निकायों को उनके राजस्व की हानि की पूर्ति के लिये उपयुक्त उपायों पर विचार किया जाना चाहिये।

(5) परिवहन गाड़ियों के चालन के लिये और समय समय पर सड़क परिवहन की आवश्यकता जांचने के अन्य अध्ययनों के लिये आंकड़ों के संकलन तथा रख-रखाव के लिये राज्य परिवहन विभागों में एक योजना और विकास कक्ष होना चाहिये।

(6) परिवहन नीति और समन्वय पर समिति द्वारा सिफारिश की गई, लाइनों पर राज्य सरकारों को एक राज्य सलाहाकार परिवहन मंडल स्थापित करना चाहिये ।

(7) पिछड़े जिलों और क्षेत्रों में सड़क परिवहन की तीव्र वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष कार्य किया जाना चाहिये। मोटर गाड़ी कर में समुचित रियायतें की जानी चाहिये तथा इन क्षेत्रों में चलने वाली परिवहनों को अन्य प्रेरणायें भी दी जानी चाहियें ।

(ग) ऊपर (ख) में सूचित सिफारिशों पर राज्य सरकारों / केन्द्रीय प्रशासनों को कार्यवाही करनी है। उन से इनको परीक्षा करने और आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों के इन्फोर्समेंट कर्मचारियों से मोटर गाड़ियों को अधिक लादने, लापरवाही और तेज चलाने तथा अन्य उल्लंघनों के लिये जांच करने में अधिक सावधानी तथा कठोरता बर्तने के आदेश दे दिये गये हैं। इस प्रयोजन के लिये कई राज्यों में विशेष चल दल तैनात कर दिये गये हैं। राज्य-सरकारों को जहां चुंगी लगाई है वहां से हटा देने के लिये मान जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या के कारण है। राज्य सरकारों ने सड़क दुर्घटना बचाने के लिये कई उपाय किये हैं जैसे, सड़कें चौड़ी करना यातायात को अलग करना, कमजोर पुलों और पुलियों को सशक्त करना, सड़क संकेत चिन्ह लगाना, स्पीड सीमा इत्यादि का लागू करना।

पारादीप बंदरगाह

84. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है कि सफाई का काम पूरा होने के बाद भी पारादीप बन्दरगाह को समुद्र से मिलाने वाले चेनल में लगभग पांच फुट रेत जमा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस रेत को साफ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस कारण बन्दरगाह के कामकाज तथा निर्यात के लिये लौह अयस्क ढोने के हेतु जहाजों के बन्दरगाह में लाने में देरी हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). पारादीप पत्तन में प्रवेश खाड़ी में कचरा भर जाने के बारे में कुछ रिपोर्ट मिली है। कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों से निवेदन किया गया है कि देखभाल निकर्षे करें और आशा की जाती है कि यह काम नवम्बर, 1966 में शुरू किया जायेगा और उसी महीने के अंत तक पूरा हो जायेगा।

(ग) जी नहीं ।

कृषि पुनर्वित्त निगम

85. श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्य कृषि पुनर्वित निगम का लाभ नहीं उठा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य इस निगम का लाभ नहीं उठा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य राज्यों में भी अपेक्षित आशानुकूल इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) इस निगम की योजनाओं का लाभ अब तक कितनी भूमि कृष्यकरण, भूमि संरक्षण तथा आयकर विकास योजनाओं को प्राप्त हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). अब तक नागालैण्ड पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों ने निगम से पुनर्वित की सुविधाएं ली हैं। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की सरकारों ने निगम से सहायता लेने के लिए अब योजनाएं तैयार कर ली हैं।

(ग) 1964-65 तथा 1965-66 के दौरान स्वीकृत योजनाओं के उपयोग के लिए निगम से उपलब्ध 10.43 करोड़ रुपयों में से 4.75 करोड़ रुपयों का उपयोग किया गया था।

(घ) अब तक ऐसी 16 योजनाएं मंजूर की गई हैं।

86. **श्री मणियंगाडन :** क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क कांग्रेस के त्रिवेन्द्रम में हुये 29 वें अधिवेशन में यह सिफारिश की गई थी कि सभी राज्यों में पृथक् राजपथ विभाग स्थापित किये जाने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) जी हां। सितम्बर, 1966 में त्रिवेन्द्रम में जो भारतीय सड़क कांग्रेस हुई थी उसके 29 वें सत्र में दिये गये अध्यक्षीय भाषण में प्रत्येक राज्य में एक अलग राजपथ विभाग स्थापित किये जाने की सिफारिश की गई थी। इसके पूर्व कांग्रेस के कुछ पिछले सत्रों में और उन सत्रों में हुई मुख्य इंजीनियरों की बैठकों में भी इस मामले पर विचार विमर्श किया जा चुका है। सिफारिश को राज्य सरकारों के सम्मुख रख दिया गया था और उनसे इस मामले पर आगे बातचीत की जा रही है।

एपेक्स सहकारी बैंक

88. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्टेट अथवा एपेक्स सहकारी बैंकों को होने वाली हानि के विरुद्ध किन-किन राज्यों ने गारण्टी दी है ;

(ख) इन राज्यों ने किन शर्तों पर ऐसी गारण्टी दी है ; और

(ग) सरकार द्वारा किस राज्य अथवा राज्यों में इन बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबन्धक निदेशक अथवा प्रबन्धक नियुक्त किये जाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Production of Sugarcane

89. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri D. D. Puri:
Shri Dighe:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the estimated production of sugarcane during the current year; and

(b) whether it is a fact that the production of sugarcane is falling as a result of indecisive policies of Government regarding sugarcane?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) Reliable estimates of expected priduction of sugarcane during 1966-67 are not available at present.

(b) The production of sugarcane varies from year to year due to various reasons. There is no indecision in Government policies in regard to sugarcane.

पर्यटन केंद्रों का समेकित विकास

90. श्री हेम राज :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री 9 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रों का समेकित विकास करने की योजनाएं तथा प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त हो चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से पर्यटन केन्द्रों/क्षेत्रों के विकास के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त समस्त योजनाओं की कुल लागत 22 करोड़ व 23 लाख रुपये के लगभग होगी।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का सम्भरण

91. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री उमानाथ :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1966 तक केन्द्र ने पश्चिम बंगाल सरकार को कुल कितना चावल, गेहूं तथा माइलो दिया है ;

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी मात्रा में अनाज मांगा था; और

(ग) 1966 की शेष अवधि में सरकार का कितना खाद्यान्न देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) चावल लगभग 96,000 मीटरी टन गेहूं लगभग 1039,000 मीटरी टन, और माइलों लगभग 33,000 मीटरी टन।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत खाद्यान्नों की मांग पर सामान्यत: उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच विचार-विमर्श किया जाता है। केंद्र के पास समूची उपलब्धि और सभी कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय भण्डारों से सप्लाई की जाती है। अत: पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा पेश की गयी ऐसी किसी आवश्यकता का संकेत देना कठिन है।

(ग) पश्चिमी बंगाल को भावी आवंटन भावी उपलब्धि और सभी कमी वाले राज्यों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

केरल में बस मालिक

92. **श्री मणियंगाडन :** क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के बस मालिकों ने अभी हाल में यात्री भाड़े में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) गैर-सरकारी बसों के भाड़े सड़क परिवहन निगम, केरल द्वारा लिये जाने वाले भाड़ों की तुलना में कितने कम हैं या अधिक; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) गैर सरकारी चालकों द्वारा और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चार्ज किये गये भाड़े की दरें एक ही हैं।

(ग) मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

आयातित गेहूं के मूल्य को कम करने के लिये राज सहायता का दिया जाना

93. **श्री पु० र० पटेल :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में और 1966 में 30 सितम्बर तक आयातित गेहूं के मल्यों को कम करने के लिये राज सहायता देने में कितना घाटा उठाया गया;

(ख) 1965 में और 1966 में 30 सितम्बर तक, आयातित चावल के मूल्यों को कम करने के लिये राज सहायता देने में कितना घाटा उठाया गया;

(ग) क्या आयातित खाद्यान्न की दी गई राज सहायता का भारतीय किसानों पर बुरा असर पड़ा है ; और

(घ) आयातित खाद्यान्न को राज सहायता देने के सम्बन्ध में भविष्य के लिये हमारी क्या नीति है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख). आयातित खाद्यान्नों के वितरण में होने वाले नुकसान के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1964–65 और 1965–66 के लिये खाद्यान्नों के राज्य व्यापार की केन्द्रीय सरकार की योजना के प्रोफार्मा एकाउण्ट में निम्नलिखित बेशी/कमी दिखायी गयी है :—

वर्ष	जिस	कमी की राशि (—)/बेशी (+) करोड़ रुपये
1964–65	गेहूं	(—) 19.28
	चावल	(—) 13.07
1965–66	गेहूं	(+) 49.45
(अस्थायी)	चावल	(—) 1.72

1966–67 आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस मामले में भावी नीति का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है। केन्द्रीय सरकार सहायता प्राप्त मूल्यों पर आयातित खाद्यान्न तथा देसी मोटे चावल का वितरण करती रहेगी।

त्रिपुरा में मतदाताओं की सूची

94. **श्री बीरेन दत्त : क्या विधि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में मतदाताओं की सूची से कई गांवों को निकाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो क्या बिना आवेदन पत्र के सूची में इनके नाम दर्ज कराने का विचार है ; और

(घ) क्या नाम दर्ज कराने की तारीख बढ़ाने का भी विचार है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चं० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आफिसर, त्रिपुरा से आवश्यक जानकारी मंगवाई है।

पंजाब में खण्डसारी के कारखाने

95. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार के एक प्रशासनिक दल ने पंजाब में चीनी के निर्माण के लिए खण्डसारी के 1000 कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कहां तक ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति स्थापित की गयी है। समिति की सिफारिशें "तकनीकी श्रंखला टी० डी० डब्ल्यू०—4 उन्नत खण्डसारी उद्योग और पंजाब में स्कोप" में दी गयी हैं यह पुस्तिका उद्योग निदेशालय, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़ द्वारा प्रकाशित की गयी है। इस की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में रख दी गयी है।

(ग) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा भाड़े

96. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में होनोलूलू में हुई अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था की बैठक में क्या निर्णय किये गये, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा भाड़ों के बारे में क्या निर्णय किये गये ;

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने उस बैठक में क्या सुझाव दिये ; और

(ग) उस बैठक में किये गये निर्णयों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 7150/66]**

(ग) सम्मत किराये यदि सम्बद्ध सरकारों द्वारा अनुमोदित हो गये तो 1 अप्रैल, 1967 से लागू होंगे । उक्त बैठक में किये गये निणयों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया सूचित करना भारत सरकार के लिए इतनी जल्दी संभव नहीं है ।

पम्पावन का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

97. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बेल्लारी जिला में तुंगभद्रा परियोजना के अधीन पम्पावन का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत तथा प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसकी क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) ऐसी कोई विकास योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

कोंकन स्टीमर सेवा

98. श्री दिगे :
श्री अल्वारेस :
श्री कृ० ल० मोरे :
श्री म० ला० जाधव :
श्री राने :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्टीम नैवीगैशन कम्पनी लिमिटेड ने जनवरी, 1967 से कोंकन स्टीमर यात्री सेवा बन्द करने के अपने इरादे की सूचना सरकार को दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यात्री सेवा को चालू रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं ·

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई आगरा राष्ट्रीय राजपथ

99. श्री मा० ल० जाधव : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजपथ पर मोड़ के लिए किन-किन स्थानों पर भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) ये मोड़ कब पूरे हो जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या रेलवे समपार बनाने के कोई कार्य भी आरम्भ किये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7151/66]** ।

गोवा में उचित मूल्य वाली दूकानों में चावल की कमी

100. श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1966 के "टाइम्स आफ इंडिया" (दिल्ली संस्करण) में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि गोआ में उचित मूल्य वाली दुकानों में चावल उपलब्ध नहीं था और कार्ड वाले लोगों को लगातार पांच दिन तक पंक्ति में खड़े रहने पर भी खाली हाथ लौटना पड़ा था ;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार की सचाई का पता लगाया है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गोवा को चावल का मासिक अभ्यंश भेजने में विलम्ब हुआ था और गोवा सरकार ने चावल शीघ्र भेजने के लिए केन्द्रीय सरकार को कहा था ; और

(घ) यदि हां, तो देरी होने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । समाचार ठीक पाया गया था ।

(ग) और (घ). गोआ को चावल की सप्लाई की व्यवस्था यथार्थतः मासिक आधार पर नहीं की जाती है । उपलब्धि के आधार पर वर्ष के दौरान गोआ को अब तक आवंटित मात्रा उनको वायदा की गयी मात्रा के अनुपातिक भाग से अधिक रही है । तथापि, अन्तिम आवंटन को भेजने में कुछ विलम्ब हो गया है और इस का कारण यह था कि विदेशों से चावल ला रहे जहाज देर से पहुंचे थे और गोआ को इस मात्रा से सप्लाई की जानी थी ।

राजकीय सड़क परिवहन सेवायें

101. श्री द० ब० राजू :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि राजकीय सड़क परिवहन सेवाओं के कार्य निगमों को सौंप दिये जाने चाहिएं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग के सुझावों को राज्य सरकारों ने किस सीमा तक कार्यान्वित किया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, (पैप्सू और कुल्लू क्षेत्र) राजस्थान और पश्चिम बंगाल (उत्तरी बंगाल क्षेत्र और कलकत्ता शहर) में सड़क परिवहन निगम स्थापित किये गये हैं। असम, उड़ीसा और त्रिपुरा सरकारें भी ऐसे निगम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं।

केरल के बन्दरगाहों के ड्रेजर

102. श्री प० कुन्हन :
श्री उमानाथ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ड्रेजरों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण केरल के बन्दरगाहों में इतनी गाद मिट्टी जम जाती है कि सामान लादने तथा उतारने में अत्यधिक बाधा उत्पन्न होती है ; और

(ख) यदि हां, तो बन्दरगाहों का अधिक से अधिक उपयोग उठाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

कृषि में ट्रैक्टरों का प्रयोग

103. श्री उमानाथ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 और 1965–66 में प्रत्येक राज्य में कृषि के लिए प्रयोग किये गये सरकारी ट्रैक्टरों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक वर्ष में कृषि कार्यों में प्रयोग के लिए आयात किये गये ट्रैक्टरों की कुल संख्या क्या और इस दिशा में विभिन्न देशों से पृथक्-पृथक् कितने ट्रैक्टर आयात किये गये ;

(ग) क्या सरकार ने ट्रैक्टरों, ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जे और उनमें प्रयोग होने वाले ईंधन के आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है। **[पुस्तकालय मे रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०7152/66]**

(ग) तथा (घ) ट्रैक्टर अब रूस से आयात किए जा रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया से 2000 मशीन आयात करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

अवमूल्यन के बाद फालतू पुर्जों के लिए आयात नीति उदार कर दी गई है। अमरीका से आयात को अब उदार कर दिया गया है। लाइसैन्स कोटा भी 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। वास्तविक प्रयोगकर्त्ता का लाइसेन्स पहले की भान्ति हैं।

ट्रैक्टरों के इस्तेमाल के लिए ईंधन के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

कृषि जन्य उत्पादन की लागत

104. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956 के बाद कृषि जन्य उत्पादन की लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) 1956 के बाद ट्रैक्टरों के दामों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) 1956 के बाद उर्वरकों के दामों में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) देश में उर्वरकों के वर्तमान दाम संसार के अन्य देशों में विद्यमान दामों की तुलना में कितने कम अथवा अधिक हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 1956 के बाद कृषि जन्य उत्पादन की लागत में हुई प्रतिशत वृद्धि के बारे में तुलनात्मक आंकड़ों के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) उर्वरकों के फुटकर नियन्त्रित मूल्यों के बारे में पहले 1957 में घोषणा की गई थी। नाईट्रोजनपूरक उर्वरकों के 1957 में निर्धारित किए हुए मूल्य तथा 1966 के मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

उर्वरक	1957 के फुटकर मूल्य (रुपये प्रति मीटरी टन)	1966 के फुटकर मूल्य (रुपये प्रति मीटरी टन)
अमोनियम सल्फेट . . .	374	405
अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट . .	443	515
यूरिया	728	680
कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट . .	354	385

(घ) संलग्न विवरण में भारत तथा कुछ अन्य देशों में कृषकों द्वारा खरीदे जाने वाले अमोनियम सल्फेट तथा यूरिया के मूल्य दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7153/66]**

अतिथि नियंत्रण आदेश, दिल्ली

105. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में अतिथि नियंत्रण आदेश में नर्मी करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा करने का विचार है ; और

(ग) किस प्रकार की नर्मी करने का सुझाव दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) अतिथि नियन्त्रण आदेश और दिल्ली में खाद्य आदेश (भोजनालयों द्वारा भोजन खिलाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध) में कुछ संशोधन करने के बारे में विचार हो रहा है ।

(ख) और (ग). सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पार्टियों और भोजनाल में कुछ खाद्य पदार्थ परोसने सम्बन्धी प्रतिबन्धों में नर्मी करने के लिए कहा गया है ।

दिल्ली/नई दिल्ली में बंगलों के बागीचों तथा पीछे की खाली भूमि में अनाज का उत्पादन

106. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में दिल्ली और नई दिल्ली में बंगलों के बागीचों तथा पीछे की विशाल खाली भूमि तथा अन्य खुले स्थानों का उपयोग करके कितना अनाज पैदा किया गया ;

(ख) गत वर्ष (एक) 'अधिक अन्न उपजाओ' और (दो) 'जो खाओ सो उपजाओ' योजनाओं के अन्तर्गत राजधानी में कुल कितने एकड़ भूमि में खेती की गट्ट ;

(ग) क्या यह सच है कि इस भूमि पर अब खेती करना छोड़ दिया गया है और योजना का परित्याग कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ). पूछी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Question)

अध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्यों ने कई विषयों पर स्थगत प्रस्ताव इत्यादि की सूच- । इन विषयों को इस प्रकार प्रस्तु [illegible] हीं [illegible] या जाना चाहिए । मेरे लिए हर बात का [illegible]

देना सम्भव नहीं है। अतः आप लोग मेरे कक्ष में आकर मुझ से इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। मैं अभी किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव और अतिरिक्त लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने सम्बन्धी नोटिस स्वीकार नहीं कर सकता हूं। माननीय सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने की मांग कर सकते हैं। सदन के समक्ष एक वक्तव्य भी रखा जायेगा।

Shri Maurya (Aligarh): You have asked us to discuss with you in my Chamber. Under which rule you are taking this step. It is strange that you will not allow adjournment motion or the call attention notice when thousands are dying. Firing is going on and unrest is everywhere.

अध्यक्ष महोदय : श्री मौर्य बोले चले जा रहे हैं। मेरा उनसे कहना है कि वह सदन से बाहर चले जायें।

(इस के पश्चात् श्री मौर्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(*Shri Maurya then left House*)

श्री दाजी (इन्दौर) : ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं कि सारा राष्ट्र लोक सभा की ओर देख रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें इस तरह से नहीं ले सकते। यदि श्री दाजी बोलते ही रहेंगे तो मुझे उन्हें भी सभा से चले जाने को कहना होगा।

श्री दाजी : मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर मेरे स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दाजी सभा से चले जायं।

(इसके पश्चात् श्री दाजी सभा से बाहर चले गये।)

(*Shri Daji then left the House*)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम 376 के अन्तर्गत मैं औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मैंने इसे अस्वीकृत कर दिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा कहना है कि यह बात बहुत महत्व पूर्ण है और सरकार भी इसे महत्वपूर्ण मानती है इसी लिए विवरण रखा जा रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार किसी भी मामले पर वक्तव्य प्रस्तुत कर सकती है। केवल विवरण रखने मात्र से कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have given notice of two adjournment motions, Famine Conditions in East U.P. and Bihar. The Central Government have utterly failed to do anything in their direction. We have every right to put it under Rule 58.

Mr. Speaker: I have stated that I have rejected your notices.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) पहले सत्र और इस सत्र के बीच काफी समय हो गया है, अतः बहुत से मसले उठ खड़े हुए हैं। अतः हमें इस मामले पर विचार करना ही चाहिए।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार): आपने 100 नोटिस तो अस्वीकृत कर दिये और शिक्षा मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी। देश में और भी हड़तालें और प्रदर्शन चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: वक्तव्य सभा पटल पर है जब कोई विवरण सभा पटल पर रखा जाता है तो माननीय सदस्य अक्सर नोटिस दे सकते हैं और उस पर चर्चा हो सकती है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा): अब कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर औचित्य प्रश्न प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा): आपकी अनुमति के बिना सभा में कोई चर्चा नहीं हो सकती। आपने निर्णय दे दिया है और माननीय सदस्य उसे चुनौती दे रहे हैं। जब सारी सभा इसे स्वीकार करती है तो कुछ सदस्यों के कहने से क्या बनता है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): I want to draw your attention to the Rule 373, in which it is stated that the Speaker may direct any Member whose conduct is in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the House, and any Member so ordered to withdrawshall do so forthwith. Now the real question is of gross disorderly. I feel whatever has been said by Shri Maurya cannot be called gross disorderly. It is not even disorderly. He had hardly said a few words that you asked him to go out. We should not try to cut the very roots of the Constitution. I feel that if the elections take place this Government will be very badly defeated.

Mr. Speaker: I have nothing to do with it. Now the honourable Member can resume his seat.

Shri Bagri (Hissar): If you will not allow, then adjournment motions will not come?

Mr. Speaker: Mr. Bagri is interrupting again and again. How can I go on like this.

श्री बागड़ी सभा से चले जायें। मैं उन्हें चले जाने को कहता हूं।

(इसके पश्चात् श्री बागड़ी इस पर सभा भवन से बाहर चले गये।)

(Shri Bagri then left the House)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रशासनिक सुधार आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मैं नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने सम्बन्धी समस्याओं के बारे में प्रशासन सुधार आयोग के अन्तरिम की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7108/66)**

विद्यार्थियों के असन्तोष के बारे में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री चागला): मैं विद्यार्थियों के असन्तोष के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7108/66]**।

महंगाई भत्ते के आयोग का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 1-12-1965 से स्वीकार्य महगाई भत्ते की पर्याप्तता के प्रश्न के सम्बन्ध में दिनांक 26 जुलाई, 1966 के सरकारी संकल्प संख्या एफ० 1(8) ई० 11(बी)/66(11) के अन्तर्गत नियुक्त महंगाई भत्ते सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उस पर सरकार के निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7109/66]** ।

कम्पनी अधिनियम की धारा 324 के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 324 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना की एक प्रति, उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित जिससे उक्त अधिनियम की धारा 324 की उपधारा (1) के अन्तगत जारी, करने का विचार है, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हू । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7110/66]** ।

प्रशुल्क आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) प्रशुल्क आयोग, अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:-

(एक) रंजक उद्योग को संरक्षण देते रहने के बारे में प्रशुल्क आयोग के अनुपूरक प्रतिवेदन (1965) को अन्तिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7111/66]**

(दो) प्रशुल्क आयोग, बम्बई, के सचिव से वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, के सचिव के नाम पत्र संख्या टी ओ/आई डी/ई/87 (66) दिनांक 2 अगस्त, 1966।
[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 7112/66]

(2) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-

(एक) अकार्बनिक रंगद्रव्यों (इन ओर्गेनिक पिगमेंटस) का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966, जो दिनांक 1 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2674 में प्रकाशित हुए थे।
[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 7113/66]

(दो) नारियल के धागे का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 23 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2843 में प्रकाशित हुए थे।
[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिय संख्या एल० टी० 7114/66]

(तीन) काजू की गिरी का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2846 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 7115/66]

(3) सरकारी संकल्प संख्या 2(9)/66 की एक प्रति जिस में कपड़ा आयुक्त के संगठन के कार्य का परीक्षण करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल के प्रतिवेदन के भाग 1 में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिय संख्या एल० टी० 7116/66]

संविधान के अनुच्छेद 123(2)क के अन्तर्गत अध्यादेश

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के उपबंधों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सारा पटल पर रखता हूं:-

(एक) मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 10) जो राष्ट्रपति द्वारा 13 सितम्बर, 1966 को प्रख्यापित किया गया था।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिय संख्या एल० टी० 7117/66]

(दो) कम्पनियां (शंसोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 11) जो राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 1966 को प्रख्यापित किया गया था।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 7118/66]

खाद्यान्न नीति समिति का प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खाद्यान्न नीति समिति के प्रतिवेदन—1966— की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 7119/66]

(2) कमी तथा खाद्य स्थिति की समीक्षा की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखियें संख्या एल० टी० 7120/66]**

(3) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन **[पुस्तकालय मे रखी गयी । देखिय संख्या एल० टी० 7121/66]**

(4) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिय संख्या एल० टी० 7122/66]**

केरल न्यायालय फीस तथा दावों का मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०रा० भगत): मैं केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 196 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केरल न्यायालय फीस तथा दावों का मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 8) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7123/66]**

खाद्य निगम (आठवां संशोधन) नियम

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री प० गोविन्द मेनन): मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1966 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (आठवां संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1484 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7124/66]**

कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के 1964–65 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पोनाचा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के 1964–65 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7125/66]**

(2) व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नौवहन विकास निधि समिति के 1964–65 के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7126/66]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी): मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सूती कपड़ा छठा (संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2636 में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7127/66]**

(2) सूती कपड़ा (नियन्त्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2639 में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7128/66]**

(3) नकली रेशम का कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण) नियन्त्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

[श्री मुहम्मद शफी कुरेशी]

एस० ओ० 2641 में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7129/66]

(4) ऊनी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण) नियन्त्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस ओ० 2642 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7130/66]

(5) सूती कपड़ा (वहन और नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक सितम्बर, 1966 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2643 में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति । [पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7131/66]

(6) रुई नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1966 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2866 में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति।[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7132'66]

कपड़ा समिति अधिनियम 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कपड़ा समिति (संशोधन) नियम, 1966 को एक प्रति जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 1410 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति ।[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7134/66)

गोआ (समाविष्ट रेलवे कर्मचारियों की सेवा शर्त) नियम

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): मैं निम्नलिखित पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

गोवा, दमन और दीव (समाविष्ट कर्मचारी) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत गोवा (समाविष्ट रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1600 द्वारा शुद्ध किये गये रूप में दिनांक 7 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1381 में प्रकाशित हुए थेकी एक प्रति। (पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7133/66)

केरल पंचायत के अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : मैं

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) केरल पंचायत (अपराधों का प्रशमन करना) नियम, 1966 जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 263/66 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7135/66]**

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 279/66 जो दिनांक 26 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (सरकारी तथा गैर-सरकारी मंडियां) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7136/66]**

(2) ऊपर की मद (20) में बतायी गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7137/66]**

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1495 की एक प्रति जो दिनांक 21 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7138/66]**

पेटेंट विधेयक

PATENTS BILL

(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डा० चन्द्रभान सिंह (विलास पुर): मैं पेटेन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

(2) साक्ष्य

डा० चन्द्रभान सिंह: मैं पेटेन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): क्या इस संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर इसी सत्र में विचार होगा?

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): सारा मामला कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और सरकार जो उचित समझेगी करेगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य): सरकार ने बार बार यह आश्वासन दिया कि संसद के इस सत्र में पेटेन्ट्स विधेयक पास हो जायेगा। परन्तु अब सरकार कहती है कि कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): उन्हें यह साफ बताना चाहिये कि वह इस पर चर्चा करेंगे भी अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि वह इस समय उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। अब मैं इस समय क्या करूं ?

श्री हो० ना० मुकर्जी : आप संस्था की प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। गत सत्र में सरकार ने कहा था कि इस सत्र में पेटेन्टस विधेयक पास करना है। यदि सरकार इस बात से फिरना चाहती है तो उन्हें ऐसा कहना चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): There is no question of Business Advisory Committee. We want categorical answer whether Government has given preference to this Bill or not.

श्री बड़े (खारगोन): आम धारणा यह है कि अमरीकन तथा ब्रिटिश कारखानों के प्रभाव के कारण सरकार इस विधेयक को इस सत्र में नहीं ला रही है।

अध्यक्ष महोदय : जब सरकार कहती है कि वह इस समय इसको लाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैंने यह नहीं कहा है कि हम इसे नहीं लायेंगे। यह सब समय के ऊपर निर्भर है।

(3) अध्ययन दल की टिप्पणियां

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं विभिन्न औषध-निर्माण एककों, अनुसंधान संस्थाओं प्रयोगशालाओं, औषध फर्मों आदि का मौके पर अध्ययन करने के लिए पेटेन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयक्त समिति के अध्ययन ग्रुपों द्वारा किये गये दौरों के बारे में अध्ययन टिप्पणियों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: RAILWAY ACCIDENTS

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): I lay a copy of the statement re. recent Railway accidents.

[पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7139/66]

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): जो वक्तव्य मंत्री महोदय ने रखा है उसकी प्रतियां सारे सदस्यों को भेजी जायें तथा इस पर प्रश्न करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस वक्तव्य तथा श्री सुब्रह्मण्यम और श्री चागला द्वारा दिये गये वक्तव्यों को सदस्यों के पास परिचालित करवा दूंगा। प्रत्येक सदस्य सूचना देकर चर्चा करने की अनुमति मांग सकता है।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

पशु कल्याण बोर्ड

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1)(एक) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिए श्री एन० एम० आर० सुब्बारामन के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों का पालन करते हुए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (एक) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिए श्री एन० एम० आर० सुब्बारामन के स्थान पर, जिन्होंने बोर्ड की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों का पालन करते हुए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

The motion was adopted.

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम 198 के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के बारे में छः सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यह श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री स० मो० बनर्जी तथा श्री मधु लिमये, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी तथा श्री अ० क० गोपालन से मिली हैं। यदि श्री त्रिवेदी के प्रस्ताव के समर्थन में 50 से अधिक सदस्य खड़े हों तो यह प्रस्ताव लिया जायेगा। मैं उन सदस्यों से खड़ा होने की प्रार्थना करता हूं। ——— 50 से अधिक माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि अनुमति दी जाती है। अब कार्य मंत्रणा समिति इस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करेगी।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : महोदय, यदि अविश्वास प्रस्ताव के लिए ५० से अधिक सदस्य खड़े हो जायें तो हम इसे शीघ्र चर्चा के लिए ले लेंगे और समाप्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

ठेका मज़दूर (विनियमन तथा समाप्ति) विधेयक, 1966
CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) BILL, 1966

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ स्थापनों में ठेके पर मजदूरों के नियोजन का विनियमन करने और कुछ परिस्थितियों में इसे समाप्त करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ संस्थापनों में ठेके पर मजदूरों के नियोजन का विनियमन करने और कुछ परिस्थितियों में, इसे समाप्त करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री जगजीवन राम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बीड़ी एवं चुरुट कार्मिक (नियोजन की शर्तें) विधेयक
BIDI AND CIGAR WORKERS (CONDITIONS OF EMPLOYMENT) BILL

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि बीड़ी और चुरुट संस्थापनों में कार्मिकों के कल्याणार्थ उपबन्ध करने के लिए और उनके काम की शर्तों को विनियमित करने के लिए और उसे संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये', वाद-विवाद जो 7 सितम्बर, 1966 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि बीड़ी और चुरुट संस्थापनों में कार्मिकों के कल्याणार्थ उपबन्ध करने के लिए और उनके काम की शर्तों को विनियमित करने के लिए और उसे संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये,' वाद-विवाद जो 7 सितम्बर, 1966 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री शाहनवाज खां : हमारे यहां बहुत से कानून हैं, जो कारखानों खानों, बागानों तथा परिवहन उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों का संरक्षण करते हैं; परन्तु बीड़ी और चुरुट

उद्योग में काम करने वालों के कार्य की शर्तों के विनियमित करने के बारे में कोई अखिल भारतीय कानून नहीं है। बहुत से राज्यों में कारखाने अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत बीड़ी कारखानों को रजिस्टर किया गया था परन्तु मालिकों की यह प्रवृत्ति थी कि इस कानून को सीमित किया जाये। यह कार्य वह कारखानों को छोटी-छोटी इकाइयों में बांट कर करना चाहती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

राज्य सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये धारा 85 के अन्तगत कारखाने अधिनियम के उपबन्धों को बड़ी संस्थानों पर लागू किया है।

राज्य सरकार ने राज्य अधिनियमों को पूरी तरह लागू करना कठिन समझा क्योंकि बीड़ी उद्योग वाले एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं जहां इस प्रकार का कानून नहीं है। इसी कारण इस कानून के लागू करने में कठिनाई हुई है।

वेतन आदि से मनमानी कटौतियों के कारण कर्मचारियों को हानि पहुंची है। इसका उदाहरण है अस्वास्थ्यकर काम करने की शर्तें। काम करने के अविनियमित घंटे आदि जैसी कुछ बुराइयां चुरुट उद्योग में भी भिन्न-भिन्न मात्रा में पायी जाती हैं।

यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होता जो अपने घरों में ही इस काम को करते हैं। परन्तु स्वयं नियोजित व्यक्तियों के अतिरिक्त ऐसे गैर-सरकारी निवास स्थानों को बीड़ी उद्योग की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है जहां पर बीड़ी अथवा चुरुट के उत्पादन से सम्बन्धित कोई निर्माण-सम्बन्धी कार्य किया जाता है।

दो प्रकार के ठेकेदार हैं। एक तो वह जो केवल प्रधान नियोजकों के एजेंट का काम करते हैं और दूसरे वह जो निर्माताओं से पत्ते तथा तम्बाकू खरीदते हैं। पहली श्रेणी के ठेकेदारों को हटाने का इरादा है और दूसरी प्रकार के लोगों को 'नियोजक' समझा जायेगा।

इस विधेयक में काम की ठेका-पद्धति, बीड़ी तथा चुरुट उद्योग के आहातों के लिये लाइसेंस देना तथा स्वास्थ्य, काम के घंटे, आराम की अवधि, समयोपरि भत्ता, वेतन सहित छुट्टी, तथा कच्चे माल आदि के वितरण का प्रबन्ध किया गया है। खण्डों के बारे में जो नोट है उसमें विधेयक के विभिन्न उपबन्धों की व्याख्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रस्ताव यह है :

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों की कठिनाइयों को समझा है और यह कानून लेकर आये हैं। यह बड़े खेद की बात है कि बीड़ी की पत्तियां उत्पन्न तो काश्तकार करते हैं परन्तु उनकी उपेक्षा की जाती है। पत्तियां इकट्ठा करने का कार्य जिनको दिया जाता है वह लोगों का शोषण करते हैं और वह मजदूरों को उचित मजूरी नहीं देते। उनकी मजूरी लगभग चार पांच आने प्रति दिन होती है। पत्तियों की काश्त 80 प्रतिशत काश्तकारों के खेत में होती है और 20 प्रतिशत के लगभग वनों में पैदा होती हैं। हालांकि एकाधिकार का अधिकार केवल रक्षित वनों तक सीमित है

[श्री प्र० के० देव]

फिर भी काश्तकारों के पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि वे उन पत्तियों को उन विशेष ठेकेदारों को बेच दें। इसका कारण यह है कि वे लोग कांग्रेस दल को चन्दा देते हैं।

इस विधेयक के विभिन्न उपबन्ध कारखानों में काम करने वाले उन श्रमिकों तक सीमित हैं जो औद्योगिक स्थानों में काम करते हैं। उन उपबन्धों को औद्योगिक क्षेत्रों पर भी लागू किया जाये। जो श्रमिक पत्ति इकट्ठे करने का काम करते हैं उन्हें भी इससे लाभ होना चाहिये।

हम ठेकेदार पद्धति के विरुद्ध हैं। ठेकेदार पद्धति के अन्तर्गत, ठेकेदार श्रमिकों का शोषण करके किसी भी अवस्था में अपने लिये अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये।

पाकिस्तान में बोड़ी की पत्तियों की बड़ी मांग है। वहां इसकी एक बोरी 150 से 200 रु० तक बेची जाती है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि श्रमिकों के सर पर यह लोग कितना लाभ कमा रहे हैं।

कारखानों में काम करने वालों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। कर्मचारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों में काम करते हैं। उन्हें बहुत सी कारोबारी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। इस विधेयक में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस विधेयक के क्षेत्राधिकार को बढ़ा देना चाहिए।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। परन्तु यह विधेयक बहुत पहले प्रस्तुत होना चाहिए था। बड़े बड़े व्यापारियों ने गरीब मजदूरों का शोषण किया है। उनके साथ कठोरता बरती जानी चाहिये।

बीड़ी कर्मचारियों को बहुत देर तक अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करना पड़ता है। जब वह सांस लेते हैं तो तम्बाकू के कण उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी आयु कम हो जाती है। इसलिए 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बीड़ी उद्योग में नहीं लगाया जाना चाहिए।

निरीक्षकों की नियुक्ति से नौकरशाही बढ़ती जायेगी। प्रलोभनों तथा सामाजिक और आर्थिक दबावों से निरीक्षकों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

यह उपयुक्त नहीं कि राज्यों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाये। वह शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार में ही निहित होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जिन समस्याओं का उल्लेख किया है, उन पर विचार किया जायेगा।

श्री वारियर (त्रिचूर) : यद्यपि यह विधेयक विलम्ब से लाया गया है, फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। बीड़ी तथा सिगरेट कर्मचारियों के लिये विधान का एक-मात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक प्रगतिशील तरीके से संगठित किया जाये। यह उद्योग बहुत ही असंगठित है चाहे इसमें लाखों कर्मचारियों को रोजगार मिलता है। यह उद्योग जितना ही कारखाने के तरीकों पर संगठित किया जायेगा, उतना ही अधिक कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

यह कर्मचारी इस प्रकार नियोजित नहीं किये जा सकते कि किसी श्रम विधान के लाभ का दावा कर सकें ।

इस उद्योग में काम करने वालों की एक समस्या यह है कि यह भ्रमणशील है । यदि किसी विशेष क्षेत्र में मजूरी की दरें एक जैसी नहीं हैं तो उद्योग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है । यदि मजूरी की दरें एक जैसी हों तो यह समस्या नहीं होगी ।

इस उद्योग के लिये केन्दू का पत्ता बहुत आवश्यक है परन्तु इसमें एकाधिकार है । इसी प्रकार तम्बाकू पर भी सरकार का नियंत्रण है । इसलिए कच्चा माल तो सरकार के हाथ में है । सरकार को चाहिये कि इसे ऐसे तरीके से चलाया जाये कि इसमें श्रमिकों के शोषण का अन्त हो । परन्तु ऐसा किया नहीं गया है । हम चाहते हैं कि उद्योग में लगे मज़दूरों, जिनमें स्त्रियां भी हैं, को अनुचित प्रकार से शोषित न किया जाये । उद्योग में अधिक संगठन तथा अनुशासन होने की आवश्यकता है । हम मज़दूरों को इस अधिनियम द्वारा अधिक अधिकारों तथा सुविधाओं का पात्र बनाना चाहते हैं ।

बेरोज़गारी उन लोगों की सब से बड़ी समस्या है । वे लोग निर्माताओं के हाथ में होते हैं । निर्माता लोग जब चाहते हैं उन्हें रोज़गार से हटा सकते हैं । इस विधेयक में व्यवस्था होनी चाहिये कि इन लोगों का रोज़गार सुरक्षित रहे । 1946 में रेगे समिति ने भी इन लोगों के हितों की सुरक्षा के लिये सिफारिशें की थीं । हमें राज्य सरकारों को अधिकार नहीं देना चाहिये कि इस कानून के अन्तर्गत नियम बनायें । इस बारे में मैं मोटर गाड़ी अधिनियम का उदाहरण देना चाहता हूं । उसको राज्य सरकारों ने कार्यान्वित नहीं किया । श्रम पूरे देश से संबंधित है । यह किसी विशेष राज्य की समस्या नहीं है । यह तो समवर्ती सूची का विषय है । अतः केन्द्रीय कानून ऐसा होना चाहिये कि जिसे सभी राज्य कार्यान्वित करें । इस सभा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि इस विधेयक के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों का पुनरीक्षण हो और उन पर ठीक प्रकार से अमल हो । सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

श्री काशीनाथ पाण्ड (हाता) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मैं बीड़ीक र्मचारियों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं । मध्य प्रदेश में इन कर्मचारियों ने सब से पहले शिकायत की थी । राज्य सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था परन्तु इससे मज़दूरों को अधिक लाभ नहीं हुआ । यही स्थिति अन्य राज्यों की है । विभिन्न राज्य सरकारों ने मांग की कि एक केन्द्रीय कानून होना चाहिये । इसी को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है ।

इस विधेयक से सभी बीड़ी मज़दूरों को लाभ नहीं होगा । जिन फैक्ट्रियों में 50 से अधिक व्यक्ति काम में लगे होंगे उनमें लगे मज़दूरों को इससे लाभ होगा । मेरे विचार में 25 या इससे अधिक मज़दूरों वाली फैक्ट्री पर यह विधेयक लागू होना चाहिये । कर्मचारियों को छुट्टी के बारे में अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिय । मैं चाहता हूं कि मज़दूरों पर आयु के बारे में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भी आज्ञा होनी चाहिये । बड़ी बनाने का काम छोटी आयु वाले भी कर सकते हैं । मज़दूरों को उचित मजूरी दिलाने के बारे में व्यवस्था की जानी चाहिये । यदि कोई प्रश्नवाद उत्पन्न होता है तो उसे न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन सुलझाया जा सकता है ।

फैक्टरियों में सफ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिये, नहीं तो मज़दूरों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस अधिनियम के उपबन्धों को ठीक तरह से कार्यान्वित किया जाये ।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : इस विधेयक को लाने में बहुत विलम्ब किया गया है। इसमें बहुत से दोष भी हैं। दूसरी लोक-सभा की कार्य अवधि में कुछ सदस्यों ने इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया था। परन्तु उस समय के श्रम मंत्री के आश्वासन पर वह विधेयक वापिस ले लिया था। अब यह विधेयक इतने वर्षों के बाद पुनः लाया गया है। इस उद्योग में बहुत छोटी आयु के मज़दूर काम करते हैं। उनको किस प्रकार के वातावरण में काम करना पड़ता है इसके बारे में शर्मा जी ने बताया है। उन्हें दिन भर काम करना पड़ता है और केवल डेढ़ रुपया प्रतिदिन मिलता है। इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि राज्य सरकारें इस को कार्यान्वित करेंगी। सरकार को इस विधेयक को समूचे देश में लागू करना चाहिये। अन्यथा मालिक लोग अपनी फैक्टरियां ऐसे राज्यों में स्थानान्तरित कर देंगे जहां पर यह लागू नहीं है। सरकार का विचार है कि ठेके की मज़दूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये। मैं इसके समर्थन में हूं। सरकार को बीड़ी उद्योग से ही इसका आरम्भ करना चाहिये। इस विधेयक के पारित हो जाने पर बड़े-बड़े निर्माता अपना काम ठेकेदारों को दे देंगे और वे थोड़े मज़दूरों से काम करायेंगे। इस प्रकार बेचारे मज़दूरों को इस कानून की सुविधाओं से वंचित कर दिया जायेगा। हम ने इस बारे में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि इस विधेयक की त्रुटियों को पहले दूर किया जाये। केवल तभी यह विधेयक देश के लाखों मज़दूरों के लिये सहायक सिद्ध हो सकता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): This Bill should have been brought 18 years back. I do not know why so much delay has taken place in this regard. The Beedi workers have to work in deplorable conditions. I know their condition personally. My family is engaged in this work. The big manufacturers of Beedi in M.P. get huge profits, but they do not care for the welfare of workers. I know of a Minister in that State who controls the entire Beedi business there. The manufacturers and contractors both join hands to exploit the poor worker. He is deprived of his legitimate remuneration. The workers art subjected to various kinds of humiliations.

The M. P. Government has nationalised the job of plucking the leaves. The workers in this job also are not adequately paid. Government should take note of all such difficulties of workers in this industry.

It has been suggested here that persons below the age of 18 should not be employed in Beedi industry. I do not see any justification in this suggestion. We should know that the problem of unemployment is very acute. The workers find it very difficult to meet both ends meet. They have to engage their small children with them.

The contractors are also not fair to these workers. They do not care for the difficulties of workers. Government should ensure that workers are not exploited. Special attention should be paid to these people. The Beedi manufacturers have to pay excise duty. It is not fair on the part of Government to impose this duty. The tax on employers should be increased but the small scale Beedi makers should not be taxed. I request that nationalisation of leaves should be abolished. The workers should be given employment on permanent basis. The local taxes should be abolished. These suggestions should be seriously considered.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। भारत में बीड़ी उद्योग 17वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ था। धूम्रपान आज सारे विश्व में प्रचलित है। हमारे प्राचीन इतिहास में भी इसका उल्लेख है। इस कार्य से देहाती क्षेत्रों के लोगों को व्यवसाय मिलता है और वे अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। यह एक ऐसा लघु उद्योग है कि जिसे समाज के निम्न वर्ग के लोग कर सकते हैं। इसके लिये अधिक विदेशी मुद्रा या मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती। खेद की बात है कि इस उद्योग पर पूंजीपतियों का कन्ट्रोल है। ये लोग मज़दूरों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। श्रमिक लोग संगठित रूप से नहीं होते और उनका शोषण किया जाता है। स्त्री मज़दूरों को आधी रात के समय बुलाया जाता है और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिये। कुछ राज्यों ने इन मज़दूरों के काम की शर्तों के बारे में नियम बनाये हैं परन्तु इससे मज़दूरों को लाभ नहीं हुआ है। अतः इस केन्द्रीय कानून की आवश्यकता महसूस हुई है। मैं खण्ड 24 तथा 25 का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। खण्ड 42 के अनुसार राज्य सरकारों को कुछ अधिकार दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिये कि इससे अनुचित लाभ न उठाया जाये। मेरा सुझाव है कि मज़दूरों के काम का समय निर्धारित किया जाये। छुट्टी के दिनों के लिये प्रत्येक मज़दूर को अग्रिम वेतन दिया जाना चाहिये। इस विधेयक में भविष्य निधि के बारे में भी उपबन्ध होना चाहिये।

इस उद्योग में कार्य कर रहे मज़दूरों को क्षयरोग की अवस्था में विशेष सहायता का उपबन्ध होना चाहिये। सरकार को बीड़ी का निर्यात भी करना चाहिये। अमरीका तथा यूरोप के बहुत से देशों में बीड़ी पसन्द की जाने लगी है। वहां यह समझा जाने लगा है कि बीड़ी पीने से कैंसर नहीं होता। इस उद्योग के लिये एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये ताकि इसका विकास हो सके। सरकार को बीड़ियों के साथ-साथ हाथ से बने सिगरेटों के बनाने के काम को प्रोत्साहित करना चाहिये।

Shri D. S. Patil (Yeotmal): I welcome this Bill which seeks to regulate the working conditions of workers. There was a long standing demand of workers in this industry that such a bill should be brought. This Bill will go a long way in helping them in overcoming the difficulties being experienced by these people. It will ameliorate their condition. Many benefits for these workers have been provided in this piece of legislation.

I welcome a provision in the Bill for summary decision. The workers will be benefitted from this provision as they are poor people and cannot afford to go in the process of appeals. They also cannot afford the cost involved in making these appeals.

In this Bill power has been given to State Governments whereby they can exempt certain industrial premises. This provision in the Bill is improper and uncalled for. Such powers should not be given to the States and on the other hand they should remain with the Centre.

I would like to suggest that the scope of the Bill should also be extended to the leaf collecting people. They are the essential part of the industry.

Rejected leaves or Beedis should be destroyed or burnt but should not be allowed to remain with the factory owner or contractor because they make money from these rejected leaves or Beedis.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): There are about fifty lakh persons working in this Beedi industry. They from part almost one per cent of the total population of India. Working conditions of these people are pitiable. Though the Bill is very much delayed yet I welcome it.

While working continuously in the industry people become tuburculosis patient. Proper arrangement for their treatment should be made and preventive measures such as cleanliness should also be taken. This is a very important thing and something should be done.

Just now some hon. Member has stated that the Beedi workers are getting higher than what is provided for them in the law. But I would like to say that keeping in view the present day price level, their wages are very meagre. It is hardly sufficient to make both ends meet. Government should pay attetion on this aspect also.

Research should also be conducted to see whether the Tendu leaves used in the manufacture of Beedi is less harmful than the paper used for manufacturing of cigarettes? If it is so, then we should publicise it and after properly developing the industry can export it to other countries. It can also find favour with the foreigners if manufactured in hygienic conditions.

In regard to the employment of children and women in the industry, I would simply say that some alternative employment should be provided to them if they are to be deprived of this employment. In that way they would be able to earn their livelihood.

The scope of the Bill should also be extended to smaller units of the industry. Contract system should be abolished in this industry.

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : मैं इस विधयक का समर्थन करता हूं । मेरे विचार में इस विधेयक को सभा के समक्ष लाने में अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। मैं इस विधेयक के बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूं ।

इस बात में किसी को भी आपत्ति नहीं है कारखानों में सफाई तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाय उपलब्ध होनी चाहिए। इस विधेयक के खण्ड 41 में राज्य सरकारों को किसी भी औद्योगिक अथवा उसके भूगृहादि को छूट देने की व्यवस्था की गई है । यह एक अनुचित बात है और आश्चर्य है कि ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है।

जैसा मेरे माननीय मित्र श्री वारियर ने कहा इस विधेयक को जब केन्द्र द्वारा पारित किया जाता है तो इसको समूचे देश में लागू किया जाना चाहिए । यदि इस कानून को कार्यान्वित करने में राज्यों के लिए कोई बचाव का मार्ग रह जाता है तो इससे विधेयक लाने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा। इस लिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को समूचे देश में लागू किया जायेगा।

बीड़ी के बारे में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि इस से पीने वाले को कोई हानि नहीं होती। इस लिये यदि इसका निर्माण उचित और स्वास्थ्य कर परिस्थितियों में किया जाता है तो हम इसका निर्यात कर सकते हैं ।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इसके निर्यात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन): अन्ततः यह विधेयक सभा के समक्ष आ ही गया है। यह विधेयक भी श्रम मंत्रालय द्वारा लाये गये अन्य विधेयकों की तरह अस्पष्ट है। अन्य अधिनियमों की तरह इसमें भी त्रुटियां मौजूद हैं।

बहुत से सदस्यों ने इस विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर पर लागू न करने तथा राज्यों को नियम बनाने की शक्ति देने तथा औद्योगिक एककों को छूट देने का विरोध किया है। मैं भी इस बात का विरोध करता हूं। राज्यों को नियम बनाने के बारे में शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कारखानों के प्रभावशाली मालिक राज्य सरकार पर अपना प्रभाव डाल कर इस विधेयक के उपबन्धों से छूट प्राप्त कर लेंगे। इस लिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों को नियम बनाने तथा छूट देने की शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए।

छुट्टी के दिन काम करने के लिए कर्मचारियों को भुगतान करने के बारे में इस विधेयक में व्यवस्था की गई है। परन्तु यह उपबन्ध बिल्कुल ही अस्पष्ट है। इस लिये कार्यालय बन्द रहने की अवस्था में जब कर्मचारियों को काम पर लगाया जाता है तब उनको भुगतान के लिये भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में खण्ड 21 में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा समयोपरि मंजूरी के आधार पर भी भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

खण्ड 21 में छुट्टी की व्यवस्था है परन्तु इसमें छुट्टी का कोई दिन निश्चित नहीं किया गया है। इसलिये इस सम्बन्ध में भी एक नया खण्ड शामिल किया जाना चाहिए। अन्यथः नियोजक कर्मचारियों को छुट्टी के दिन वही साधारण मजरी का भुगतान करेंगे। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं तो यह कहूंगा कि छुट्टी के दिन काम करने वाले कर्मचारियों को दुगनी मजूरी का भुगतान किया जाना चाहिए जैसा कि अन्य उद्योगों में किया जाता है।

खण्ड 36 में निरीक्षकों को बहुत शक्तियां दी गई हैं। इसमें समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। इन सब बातों में भ्रष्टाचार के बढ़ने की सम्भावना है। यदि किसी नियोक्ता के विरुद्ध तीन महीने के अन्दर अन्दर मुकदमा नहीं चलाया जाता तो उसके विरुद्ध की गई शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। इस मामले पर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

कमचारियों के परिवार का दिये जाने वाले राशन में कुछ त्रुटि है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। कर्मचारी कुछ अधिक पाने के अधिकारी हैं।

अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को नियम बनाने संबंधी शक्तियां नहीं दी जानी चाहिएं।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : यह विधेयक बहुत बिलम्ब से लाया गया है। इस उद्योग में काम करने वाले लोगों की स्थिति शायद बहुत ही खराब है। राज्य सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले ने कहा था कि इस उद्योग में काम करने वालों की स्थिति आमतौर पर दयनीय है। स्वच्छता, पीने के पानी, बिजली तथा अन्य सुविधाओं का या तो बिल्कुल ही प्रबन्ध नहीं है और यदि कहीं यह प्रबन्ध है तो बहुत ही असंतोषजनक है।

इस उद्योग के साथ अन्य उद्योगों की तरह नहीं बल्कि विशेष ढंग से ध्यान दिया जाना चाहिए और व्यवहार किया जाना चाहिए। इन लोगों की सेवा की स्थितियों का विशेष ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि उन को इन लोगों को अन्धकार में काम करना होता है।

[श्री कन्डप्पन]

यह कहा गया है कि कार्य के घंटों में कमी की जानी चाहिए विशेष कर औरतों के कार्य के घंटों में। परन्तु सरकार ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया है। मेरा मत यह है कि तम्बाकू का काम करने वालों के लिए विशेष कर कार्य करने के घंटे सीमित किये जाने चाहिएं।

मद्रास बीड़ी और औद्योगिक भूगृहदि (काय की परिस्थितियों सम्बन्ध विनियम) अधिनियम 1958 के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। मैं जानता हुं कि इस अधिनियम से कर्मचारियों को बिल्कुल लाभ नहीं हुआ है। वास्तव में मद्रास सरकार इसमें संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है। वर्तमान विधेयक के बारे में यह जो दावा किया जाता है कि यह विधेयक मद्रास अधिनियम से अच्छा है तथा व्यापक है बिल्कुल गलत है। कुछ बातों में तो वर्तमान विधेयक मद्रास अधिनियम से भी खराब है। उदाहरण के तौर पर खण्ड 31 (एक) में नियोक्ता को कर्मचारी के विरुद्ध दुराचरण सम्बन्धी शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी नियोक्ता जांच करते समय कर्मचारी के हितों को ध्यान में नहीं रखेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए और इस खण्ड में उचित संशोधन करना चाहिए।

मैं एक अन्य मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह कि इस उद्योग में कई बाह्य मालिक भी होते हैं जैसा कि कुछ लोग बीड़ी के पत्तों को लोगों के घरों में दे आते हैं और वहां से बनी बनाई बीड़ियां ले आते हैं। इन लोगों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन्हीं त्रुटियों के कारण मद्रास अधिनियम असफल रहा है। सरकार को इस समूचे विधेयक पर विचार करना चाहिए।

श्री शाहनवाज खां: जिन सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है तथा इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

मैं इस विधेयक के इतिहास में नहीं जाना चाहता। सभी माननीय सदस्य उन कठिनाइयों से अवगत हैं जिनके कारण विभिन्न राज्य सरकारें इस विधेयक को लागू नहीं कर सकीं तथा इस को प्रभाव शाली नहीं बना सकीं। इन सभी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए ही केन्द्र को यह कानन बनाना पड़ा है।

जब यह विधेयक अधिनियम बन जायेगा तब राज्य सरकारों को इसे क्रियान्वित तथा लागू करना पड़ेगा। इसके लिये उन्हें अपनी प्रबन्धक व्यवस्था के अनुसार समय नियत करना होगा और उसी समय के भीतर प्रत्येक राज्य सरकार को इस अधिनियम को लागू करना होगा। फिर भी केन्द्र सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि राज्य सरकारें इस को शीघ्रताशीघ्र तथा प्रभाव-शाली ढंग से लागू करें। यदि आवश्यकता हुई तो केन्द्र सरकार निदेश भी जारी कर सकती है। परन्तु मुझे आशा है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रत्येक राज्य यह चाहता है कि कर्मचारियों का शोषण समाप्त हो।

श्री देव ने इच्छा प्रकट की थी कि इस विधेयक को बनों में तेंदू के पत्ते जमा करने वाले कर्मकारों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इस बारे में राज्य सरकारें न्यनतम मजरी अधिनियम त । अन्य काननों के अन्तगत कायवाही कर सकती हैं।

कई सदस्यों ने व्यवसायिक जोखिमों तथा तपेदिक के रोग का भी उल्लेख किया है। इस बारे में हमने एक सर्वेक्षण कराया है और उसके अनुसार मैं इतना कहना चाहता हूं कि बीड़ी के उद्योग में काम करने वालों में यह रोग किसी प्रकार भी अन्य उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों से जहां कि सेवा की परिस्थितियां संतोषजनक नहीं हैं, अधिक नहीं है। यह पता चला है कि अस्वास्थ्यकर, गन्दगी, कुपोषण की अवस्था के कारण क्षय रोग अधिक फैलता है न कि बीड़ी उद्योग के कारण। आशा है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम इन लोगों पर भी लागू हो जायेगा और इस प्रकार इन लोगों को भी डाक्टरी सहायता प्राप्त हो सकेगी।

यदि कोई ठेकेदार कर्मचारियों को माल देता है और उनसे निर्मित वस्तु लेता है तो उसको भी नियोक्ता समझा जायेगा और इस प्रकार उनको इस विधेयक के उपबन्धों का पालन करना पड़ेगा। वे अब आसानी से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। परन्तु यह विधेयक उन लोगों पर लागू नहीं होता जो सीधा माल खरीद कर स्वयं ही निर्मित वस्तु बाजार में बेचते हैं।

श्री कछवाय ने बीड़ीयों तथा बीड़ी बनाने वाले पत्तों को रद्द करने में होने वाले कदाचारों की ओर ध्यान दिलाया है। खण्ड 39 में इस बात की ओर ध्यान दिया गया है। इस बारे में औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है। यदि इस बारे में कोई झगड़ा हो तो निरीक्षक को मौके पर लाकर निर्णय किया जा सकता है। यदि उसका निर्णय स्वीकार्य न हो तो आगे अपील की जा सकती है।

जो नियम बनाये जायेंगे उन में इन सभी बातों की ओर ध्यान दिया जायेगा।

खण्ड 25 के अन्तर्गत किसी भी महिला अथवा युवक से प्रातः छः बजे से ले कर सायं 7 बजे तक के अतिरिक्त किसी समय भी कार्य नहीं लिया जा सकता। यदि कोई मालिक ऐसा करेगा तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

कई सदस्यों ने बीड़ी के निर्यात के बारे में कहा है। मैं सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि बीड़ी का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है और बीड़ी विदेशों में लोकप्रिय होती जा रही है।

बीड़ी निर्माता संगठन ने बीड़ी के सम्बन्ध में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है। जहां बीड़ी की किस्म को सुधारने तथा उसको आकर्षक बनाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): The hon. Minister has made no mention about the Provident Fund, Bonus and Dearness Allowance to the Bidi workers.

श्री शाहनवाज खां: इस का यह अर्थ नहीं कि अन्य विद्यमान अधिनियम उन पर लागू नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

> "कि इस प्रस्ताव पर 'कि बीड़ी और चुरुट संस्थापनों में कार्मिकों के कल्याणार्थ उपबन्ध करने के लिए और उनके काम की शर्तों को विनियमित करने के लिए और उससे संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये'"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 2 पर विचार किया जायेगा । कोई संशोधन है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं खंड 2 पर संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

पृष्ठ 2 पंक्ति 26 में—

"both at home, and [घर पर और] शब्दों के स्थान पर "both at home (hereinafter referred to in this Act as 'home worker') and [घर पर और (इसके पश्चात इस अधिनियम में घरों में काम करने वाले श्रमिक कहा जायेगा)] शब्द रख दिये जायें (1)

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं संशोधन संख्या 22, 24, 25, 26 और 27 प्रस्तुत करता हूं—

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री शाहनवाज़ खां कोई अन्य संशोधन रखने वाले हैं ।

श्री शाहनवाज खां: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3 पंक्ति 22 और 23 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

'(m) "principal employer" means a person for whom or on whose behalf any contract labour is engaged, or employed in an establishment;']

[पृष्ठ 3 पंक्ति 22 और 23 के स्थान पर (एम) "मुख्य नियोक्ता" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिस की ओर अथवा जिस के लिए श्रमिकों को किसी भी संस्थापन में ठेके पर लगाया जाता है अथवा नियुक्त किया जाता है"] (60)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उमानाथ अब अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री उमानाथ (पुट्टुकोटै) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी संशोधन श्री वारियर के संशोधनों से मिलते हैं, खण्ड 2 और संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री उमानाथ : खण्ड 2 के बारे में मैं ने जो प्रथम संशोधन प्रस्तुत किया है वह ठेकेदार, ठेके पर काम करने वाले मजूरों तथा नियोक्ता की परिभाषा के बारे में है । यह महत्वपूर्ण प्रश्न इस बात के बारे में है कि नियोक्ता कौन है । बीड़ी उद्योग में वास्तविक मालिक वही है जो व्यापार चिन्ह का स्वामी है ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker in the Chair.

मंत्री महोदय ने महंगाई भत्ता तथा बोनस आदि के बारे में कहा है कि अन्य वर्तमान नियम उन पर लागू होंगे । परन्तु यदि ठेकेदार के अधीन काम करने वाला मजदूर महंगाई भत्ते के लिए अपील करता है तो उसको कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ठेकेदार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होगी । वह तो वास्तव में वास्तविक मालिक का एक ऐजेन्ट होता है । यदि इस मामले को न्याय निर्णय के लिए उठाया जाता है तो भी मजदूर को कुछ मिलने वाला नहीं क्योंकि वहां पर उद्योग को होने वाला लाभ नहीं दिखाया जायेगा जोकि व्यापार चिन्ह के स्वामी के पास होता है ।

उच्चत्तम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि ठेकेदार के अधीन काम करने वाले मजदूर वास्तव में व्यापार चिन्ह के स्वामी के कर्मचारी हैं। इसलिए ही मैंने अपने संशोधन में इन सब की परिभाषा को ऐसे तरीके से दिया है जिसमें ठेकेदार की प्रगाली और मध्यस्थ प्रणाली को समाप्त किया गया है।

मेरा दूसरा संशोधन संस्थापन और औद्योगिक परिसरों की परिभाषा के बारे में है।

इस विधेयक में गैर-सरकारी निवास गृहों के बारे में जो परिभाषा की गई है वह बहुत ही अस्पष्ट है।

उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए सरकार को मेरे संशोधन स्वीकार कर लेने चाहिए।

Shri Yashpal Singh: The present Bill is not applicable to Jammu and Kashmir. It should be made applicable to whole of the country.

In the present Bill age of the children eligible for work in the industry is fixed at fourteen. This age limit should be reduced to 10 years. This is an easy work which even girls sitting at home can do.

Government has full powers to cancell the licence at any time. Keeping in view this thing, I would like to suggest that instead of renewing the licence every year it should be renewed after every three years. Relevant clause should be amended.

Earned leave should be allowed to accumulate and if a labourer fails to avail his leave in one year he should be allowed to take in the next year.

Working hours for any single day should not be more than eight hours.

श्री वारियर : नियोक्ता तथा कर्मचारी- की परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं; क्योंकि इस सम्बन्ध में न्यायालयों में कई मामले चल चुके हैं।

इस विधेयक में नियोक्ता पर जो जिम्मेदारी लगाई गई है कोई ठेकेदार उसको पूरा नहीं कर सकता। इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। कर्मचारी अथवा नियोक्ता की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे कर्मचारियों को इस विधेयक के लाभ प्राप्त हो सकें।

श्री शाहनवाज खां : श्री उमानाथ ने जो संशोधन प्रस्तुत किये उनको स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है। अक्सर ऐसा होता है कि ठेकेदार कई व्यापार चिन्हों के मालिकों को बीड़ी सप्लाई करते हैं। इसलिए व्यापार चिन्ह के किसी मालिक को नियोक्ता नहीं ठहराया जा सकता। जैसा कि पहले बताया गया है कि क्रय और विक्रय प्रणाली के अन्तर्गत ठेकेदार को नियोक्ता के समान ही समझा जायेगा।

श्री उमानाथ: कर्मचारियों को बोनस, महंगाई भत्ता आदि तभी मिल सकता है यदि उद्योग को होने वाला पूरा लाभ हिसाब में दिखाया जाये। यदि ठेकेदार को नियोक्ता मान लिया जाता है तो व्यापार चिन्ह के मालिक को होने वाला लाभ उसमें शामिल नहीं किया जा सकेगा।

श्री शाहनवाज खां : मैं अब अन्य संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें मुख्य नियोक्ता की परिभाषा में संशोधन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि .

(एक) पृष्ठ 2 पंक्ति 26 में—

"Both at home, and ["घर पर और] शब्दों के स्थान पर both at home(here in after referred to in this Act as"home worker") and" [घर पर और (इस के पश्चात इस अधिनियम में घरों में काम करने वाले श्रमिक कहा जायेगा)] शब्द रख दिये जायें (1)

(दो) पृष्ठ 3 पंक्ति 22 और 23 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें।

['(m) "principal employer" means a person for whom or on whose behalf any contract labour is engaged, or employed in an establishment;'] शब्द रख दिये जायें

[(एम) "मुख्य नियोक्ता" का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके लिए अथवा जिस की ओर से किसी संस्थान में मजूरों को ठेके पर लगाया जाता है अथवा नियुक्त किया जाता है'] (60)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 27 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22, 24, 25, 26, 6 तथा 7 मतदान के लिये रख गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 22, 24, 25, 26, 6 and 7 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खंड 3

श्री बारियर : मैं संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं ।

बीड़ी बनाने वालों को केवल बीड़ी बनाने वाले कर्मचारी ही नहीं बल्कि घरेलू कर्मचारी समझा जाता है । इस प्रकार इन का शोषण होता है । मुझे आशा है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जायेगा ।

श्री उमानाथ : खंड 3 अपर्याप्त है । अनुभव से पता चलता है कि मद्रास अधिनियम की ऐसी ही धारा अनियमितताओं को नहीं रोक सकी ।

श्री शाहनवाज खां : इस विधेयक में बीड़ी अथवा तम्बाकू के पत्ते काटने के अतिरिक्त किसी बाह्य काम की अनुमति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29 मतदान के लिय रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 29 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4

श्री वारियर : मैं संशोधन संख्या 31 और 32 प्रस्तुत करता हूं :

श्री उमानाथ : मेरा सुझाव है कि भाग (क) को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये । यह देखना सरकार का कार्य है कि आवेदन पत्र ठीक व्यक्ति से प्राप्त हुआ है अथवा नहीं ।

इस उद्योग में बहुत सी औरतें भी काम करती हैं । इस लिए लाइसैन्स देने से पूर्व सरकार को यह देखना चाहिए कि औरतों के काम करने के लिए पृथक स्थान की व्यवस्था की गई है अथवा नहीं । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इससे महिला कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री शाहनवाज खां : इनमें से किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 31 और 32 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 31 and 32 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7—निरीक्षण की शक्तियां

श्री दे० शि० पाटिल : मैं संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शाहनवाज खां : उक्त संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33 और 34 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 33 and 34 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8 से 13 को विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 8 to 13 were added to the Bill.

खण्ड 14—बाल गृह

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करता हूं । यदि नियम बनाने की शक्तियां राज्यों को दी जाती हैं तो नियम एक दूसरे से भिन्न होंगे । इस प्रकार अधिनियम को लागू करने में कठिनाई होगी ।

श्री वारियर : नियम बनाने की शक्तियां केन्द्र के पास ही रहनी चाहिए । यदि नियमों में एकरूपता होगी तो उद्योग को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की प्रवृत्ति समाप्त होगी ।

श्री शाहनवाज खां : हम नियमों में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारों का मार्ग दर्शन कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या, 55 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 55 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 14 विधयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15—प्रथमोपचार

श्री दे० शि० पाटिल : मैं संशोधन संख्या 16 प्रस्तुतु करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन

संख्या 16 मतदान क लिय रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 16 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 15 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 16 विधयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17 विधयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18—समयोपरि काम के लिये मजूरी

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूं । यह स्टैंडर्ड परिवार को दिये जाने वाले राशन के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 56 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 56 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 19 and 20 were added to the Bill.

खण्ड 21—साप्ताहिक छट्टियां

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूं ।

छुट्टी के दिन काम करने वाले मजदूरों को किये जाने वाले भुगतान के बारे में कुछ नहीं किया गया है । इसलिये इसमें संशोधन किया जाना चाहिये ।

श्री शाहनवाज खां : मुझे खेद है मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यदि कोई मज़दूर छुट्टी के दिन कार्य करता है तो उसको उसके स्थान पर अन्य किसी दिन छुट्टी दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 57 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 35 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2- was added to the Bill.

खण्ड 22 से 25 विधेयक मे जोड़ दिये गये ।

Clauses 22 to 25 were added to the Bill.

खण्ड 26

मजूरी के साथ वार्षिक छुट्टी

श्री वारियर : मैं संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 40 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया ?

Clause 26 was added to the Bill.

खण्ड 27

(छुट्टी के दौरान मजूरी)

संशोधन किये गये

Amendment made.

(एक) पृष्ठ 12 में ',Explanation" ["व्याख्या"] शब्द के स्थान पर Explanation I ["व्याख्या एक"] शब्द रखे जायें । (2)

(दो) पृष्ठ 12 पंक्ति 27 के पश्चात निम्नलिखित शब्द रखे जायें ।

"Explanation II.—For the purpose of determining the wages payable to a home worker during leave period, or for the purpose of payment of maternity benefit to a woman home worker 'day' shall mean any period during which such home worker was employed during a period of twenty-four hours commencing at midnight for making bidi or cigar or both".

["व्याख्या दो— छुट्टी के दौरान किसी गृह-कर्मचारी की मजूरी अथवा किसी गृह-कर्मचारी महिला को प्रसूति लाभ देने के लिये मजूरी निर्धारित करने के उद्देश्य से 'दिन' का अर्थ है किसी भी समय मध्यरात्रि से लेकर 24 घंटे के दौरान बीड़ी बनाने अथवा चुरूट बनाने अथवा दोनों के लिये कोई गृह-कर्मचारी नियुक्त किया गया हो"] (3)

[श्री शाह नवाज खां]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 27 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 27, as amended, was added to the Bill."

नया खण्ड 27-क

श्री वारियर : मैं संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करता हूं ।

यदि मजदूर कम से कम 240 दिन काम नहीं करते तो वह भविष्य निधि के लाभ के हकदार नहीं होंगे ।

केवल इतना ही नहीं । यह उद्योग बहुत ही असंगठित है और मज़दूरों को कई कई दिन काम नहीं दिया जाता है और उनको बिना कुछ दिये नौकरी से निकाल दिया जाता है । इन सब बुराइयों को दूर करने के लिये ही मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

श्री उमानाथ : यदि मज़दूरों को वर्ष में कुछ दिनों के लिये काम नहीं दिया जाता तो उनकी अर्ध भुखमरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है । उनकी मजूरी भी बहुत कम है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 41 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 41 was put and neagtived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 28 was added to the Bill.

खण्ड 29 (विशेष उपबन्ध)

श्री वारियर : मैं संशोधन संख्या 42, 44, 45, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उमानाथ : मैं संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करता हूं । मेरा निवेदन है कि खण्ड 29 के उप-खण्ड (एक) में महिलाओं द्वारा बीड़ी अथवा चुरुट पर 'रिंग लेबल लगाने' के शब्द जोड़ दिये जायें । इसी उप-खण्ड में यह शब्द कि ऐसे कर्मचारियों की ओर से नियोक्ता को आवेदन पत्र दिये जाने पर के शब्द हटा दिये जाये । उप-खण्ड (तीन) भी हटा दिया जाना चाहिये ।

डा० मा० श्री० अणे : मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री शाहनवाज खां : मुझे ये संशोधन स्वीकार नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 42, 43, 44 और 45 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 42, 43, 44 and 45 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 29 was added to the Bill.

खण्ड 30, 31 और 32 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 30, 31 and 32 were added to the Bill.

खण्ड 32क (नया)

श्री वारियर : मैं संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उमानाथ : इस संशोधन द्वारा मालिक कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकते। मेरे विचार में सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री वारियर : मेरा कहना है कि यह लाइसैन्स लेने वाली बात हटनी चाहिए। ऐसा न किया गया तो इस विधेयक का सारा उद्देश्य नष्ट हो जायेगा।

श्री उमानाथ : इस खंड से कोई रोक नहीं लगती केवल मालिक शोषण नहीं कर सकेगा।

श्री शाहनवाज़ खां : हम यह कानून एक प्रसंग के रूप में बना रहे हैं। जैसा अनुभव हमें होता रहेगा उसके अनुसार यदि अपेक्षा हुई तो परिवर्तन कर दिया जायेगा। किसी को कोई सज़ा देने की बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 46 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 46 put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

खण्ड 33, 34 और 35 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 33, 34 और 35 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 33, 34 and 35 were added to the Bill.

(खण्ड 36 अपराधों का विचाराधिकार)

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मैं अपना संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करता हूं। यह खंड बड़ा दोष पूर्ण है इसका सम्बन्ध अपराधों के विचाराधिकार से है पहले कानून में व्यवस्था अधिक व्यापक है। यहां तो केवल मुख्य निरीक्षक के ही पास जा सकता है। यह बड़ा खतरनाक तरीका है जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता। मैंने इसीलिये अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री बड़े : मैं मंत्री महोदय से केवल यह पूछना चाहता हूं कि उपखंड (1) में छः मास की व्यवस्था का क्या उद्देश्य है।

श्री शाहनवाज खां : यह इंसपैक्टर भी तो सरकार के अनुशासन में है, यदि वे ठीक काम नहीं करेंगे तो कर्मचारी उन्हें सहन नहीं करेंगे और इस मामलें को गम्भीरता से लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 59 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
Amendment No. 59 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि खंड 36 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 36 was added to the Bill.

खण्ड 37

अध्यक्ष महोदय : इस खंड में एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किया गया।

Amendment was made.

पृष्ठ 17,—पंक्ति 7 के बाद, निम्नलिखित रखा जाय :—

"Provided that the said Act shall, in its application to a home worker, apply subject to the following modifications, namely:—

(a) in section 5, in the Explanation (i), the words 'or one rupee a day, whichever is higher' shall be omitted.

(b) sections 8 and 10 shall be omitted."

["बशर्ते कि कथित अधिनियम घरेलू कर्मचारी पर लागू होने में, निम्नलिखित रूप भेदों में अन्तर्गत लागू होगा अर्थात :—

(क) धारा 5 में, उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, 'अथवा एक रुपया प्रतिदिन, जो भी अधिक हो' शब्द हटा दिये जायेंगे ; और

(ख) धारा 8 और 10 को हटा दिया जायेगा"]

[शाहनवाज खां]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 37 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 37, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 38 was also added to the Bill.

खण्ड 39

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18 मतदान क लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 18 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 39 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 39 was added to the Bill.

खण्ड 40 विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

Clause 40 was added to the Bill.

खण्ड 41

श्री वारियर (त्रिपुरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूं । मेरा निवेदन यह है कि हम एक छोटी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कार्मिक संघों तथा कर्मचारियों के संगठनों से परामर्श किया जा सके । खण्ड 41 जैसा कि मेरे मित्रों ने कहा है राज्य सरकारों को बड़े व्यापक अधिकार देती है । वह ठीक है परन्तु उनकी संस्थाओं से परामर्श अवश्य होना चाहिए ।

श्री उमानाथ : इस बारे में मद्रास राज्य में काफी अनुभव हो चुका है । राज्य सरकारों को व्यापक अधिकार देना ठीक नहीं । अत : इस संशोधन को स्वीकार किया जा सकता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]

श्री शाहनवाज खां : सामान्यत : राज्य सरकारे परामर्श तो लेंगी ही, अत: इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । हम तो उचित सहयोग पर जोर दे ही रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 47 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 47 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 41 विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 41 विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

Clause 41 was added to the Bill.

खण्ड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 42 was also added to the Bill.

New clause 42-A.

श्री वारियर : मैं अपना संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उमानाथ : यह संशोधन बड़ा जरूरी है और सरकार को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । किसी विशेष प्राधिकार के अन्तर्गत ही लाइसेंस दिये जाने चाहियें :

श्री शाहनवाज खां : मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 48 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 48 was put and negatived.

खण्ड 43

(निजी मकानों में स्वयं काम करने वाले लोगों पर अधिनियम लागू नहीं होगा)

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शाहनवाज खां : मैं इसे स्वीकार करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 49 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 49 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 43 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 43 was added to the Bill.

नया खण्ड 43-क

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शाहनवाज खां : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं सभा की अनुमति से इसे वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 50 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

Amendment No. 50 was by leave, withdrawn.

खण्ड 44—(नियम बनाने की शक्तियां)

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 20, पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये ।

[श्री शाहनवाज़ खां]

"(4) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature where it consists of one House, before that House, while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following the legislatures agree in making any modification in the rule or the legislatures agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

["(4) इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम को, तत्काल पश्चात विधान मंडल के, जहां दो सदन हों वहां दोनों और यदि एक सदन हो तो उस सदन के समक्ष सत्रावधि में तीस दिन तक, सभा पटल पर रखा जायेगा। यह अवधि एक या दो अनुसंगिक सत्रों को मिला कर मानी जा सकेगी और यदि उस सत्र की समाप्ति के पूर्व जिसमें उसे रखा गया था, अथवा उसके तत्काल बाद वाले सत्र में, यह विधान मंडल नियमों में कोई रूप भेद करने को, अथवा नियम न बनाने को, सहमत हो तो नियम अपने परिवर्तित रूप में लागू होगा अथवा नहीं लागू होगा जैसे भी स्थिति हो, तथापि इस प्रकार का प्रत्येक रूप भेद अथवा निरसन, इस नियम के अधीन, पहिले की गई किसी भी बात की वैद्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगा।"] (61)

श्री वारियर : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपना संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तीनों संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री श्रीनारायण दास : मेरा निवेदन है कि यह बहुत जरूरी है कि जो भी नियम राज्य सरकार बनाये उसे विधान मंडल के समक्ष रखे। अतः यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह विधान क्यों लाया जा रहा है। यदि लाया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह ठीक ढंग से कार्यान्वित हो। पर लगता है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती, केवल कर्मचारियों को बताना चाहती है कि विधान बना दिया गया। मेरा निवेदन यह है कि बीड़ी कर्मचारियों के संबंध में एक अखिल भारतीय विधेयक बनाना बड़ा ही जरूरी हो गया है। राज्यों को कानून बनाने का अधिकार देने का मतलब यह होगा कि कर्मचारियों को राज्य सरकारों के रहम पर छोड़ दिया जाय। ऐसा किया गया तो यह कर्मचारियों से बड़ा धोखा है।

श्री शाहनवाज़ खां : क्योंकि इस कानून को लागू करने का काम राज्य सरकारों का ही होगा इसलिए हमें उचित समझा कि राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति भी देनी चाहिए। परन्तु मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि नियम एकरूपता के व्यापक सिद्धांत को समक्ष रख कर ही बनाये जायेंगे। इस मामले में एक राज्य की शर्तों से दूसरे राज्य की शर्तों में कोई अन्तर न होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 20, पंक्ति 33 के पश्चात निम्नलिखित रखा जाय —

"(4) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House, while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following the Legislatures agree in making any modification in the rule or the Legislatures agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

["(4) इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम को, तत्काल पश्चात विधान मंडल के, जहां दो सदन हों वहां दोनों और यदि एक सदन हो तो उस सदन के समक्ष सत्रावधी में तीस दिन तक सभा पटल पर रखा जायेगा। यह अवधि एक या दो अनुसंगक सत्रों को मिला कर मानी जा सकेगी। और यदि उस सत्र की समाप्ति के पूर्व जिसमें उसे रखा गया था, अथवा उसके तत्काल बाद वाले सत्र में यह विधान मंडल नियमों में कोई रूप भेद करने को, अथवा नियम न बनाने को, सहमत हो तो नियम अपने परिवर्तित रूप में लागू होगा अथवा नहीं लागू होगा जैसे भी स्थिति हो। तथापि इस प्रकार का प्रत्येक रूप भेद अथवा निरवन, इस नियम के अधीन, पहिले की गई किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगा"।] (61)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 51 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 51 was put and negatived.

श्री शाहनवाज खां. संशोधन संख्या 52 तो सिद्धांत रूप में स्वीकार हो ही गया है।

श्री श्रीनारायण दास: मैं उसे वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 52 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 52 was by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :--

"कि खंड 44, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 44 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 44, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (त्रिवेलेन): मैं अपने संशोधन संख्या 53 और 54 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वारियर: मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

मैं चाहता हूं कि सरकार सारे मामले पर गम्भीरता से विचार करे और इस बात को देखे कि सभी राज्य एक ही समय में इस कानून को लागू करें।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : इस विधान को काश्मीर पर भी लागू किया जाय, इसके लिए मेरा संशोधन संख्या 53 स्वीकार किया जाना चाहिए। एक ही समय में सभी राज्यों में यह कानून लागू हो यह बड़ी जरूरी चीज है। श्री वारियर का भी ऐसा ही कहना है। अतः मेरा संशोधन संख्या 54 है।

श्री उमानाथ : खंड 1 (3) में कहा गया है कि यह सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर लागू किया जायगा। इस खंड से तो मामला ही खराब हो जायेगा। विधेयक का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। यदि हमारी सरकार ने यह शक्तियां राज्य सरकारों को ही देनी थीं तो स्वयं क्यों यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका मतलब तो यह है कि इस विधेयक का लाभ कर्मचारियों को नहीं मालिकों को मिलेगा।

†**श्री शाहनवाज खां** : एक निश्चित तिथि से इस विधेयक को लागू करने के लिए कहना उचित नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि यह यथासम्भव शीघ्र लागू होगा। जहां तक इस विधि को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू करने का प्रस्ताव है वह केवल उस राज्य की अनुमति से ही संभव हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 53, 54 तथा 20 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Noc. 54, 54 and 30 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमित सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the Title was added to the Bill.

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

श्री उमानाथ (पुडुक्कोट्टै): सरकार ने इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संशोधनों को मानने से इनकार कर दिया है जिनके बारे में सदन के सारे दल एक हैं। यह सरकार उस मछली की तरह कार्य कर रही है जिसका सर तो सांप जैसा होता है परन्

दुम मछली जैसी होती है। इसलिये सरकार विधेयक को पास करके परन्तु संशोधनों को रद्द करके उस मछली की तरह कार्य कर रही है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस समय भी इस पर फिर से विचार करें।

श्री शाहनवाज खां : मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मित्र राज्य सरकारों की ईमानदारी पर क्यों संदेह कर रहे हैं। राज्य सरकारों से हमने बातें की है और उनका कहना है कि बीड़ी कर्मचारियों के शोषण की वह समाप्ति करेंगे। राज्यों को एक अवसर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन विधेयक)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री सेज्जियान (पेरम्बलूर): महोदय मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हू।

सदस्य की दोष सिद्धि (श्री रामेश्वरानन्द)

CONVICTION OF MEMBER (SHRI RAMESHWARANAND)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को केन्द्रीय जेल, नई दिल्ली के अधीक्षक से दिनांक 1 नवम्बर 1966 को निम्न सन्देश प्राप्त हुआ:—

"मैं यह सूचना देता हूं कि लोक सभा के सदस्य स्वामी रामेश्वरानन्द को 28 अक्टूबर, 1966 को नई दिल्ली के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पुलिस अधिनियम की धारा 32 के अधीन 20 रु० जुर्माना अदा करने का या ऐसा न करने पर सात दिन का साधारण कारावास भुगतने का दंड दिया गया"।

दिल्ली पुलिस के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DELHI POLICE

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : महोदय, दिल्ली पुलिस के कुछ अराजपत्रित कर्मचारी जनता बैठक करते हैं तथा आन्दोलनकारी कार्यवाही करते हैं ताकि उनकी यूनियन को मान्यता मिले तथा उनकी कठिनाइयां दूर हों। उन्होंने अपनी यूनियन को रजिस्टर्ड कराना चाहा परन्तु रजिस्ट्रार

ने ऐसा करने से यह कह कर इनकार कर दिया कि मजदूर संघ अधिनियम उन पर लागू नहीं होता ।

दिल्ली प्रशासन तथा भारत सरकार इस बात की इच्छुक है कि दिल्ली पुलिस की कठिनाइयां दूर की जायें । यह देखकर कि उनके पास रहने के लिए मकानों की कमी है हमने हाल ही में 50 लाख रु० की स्वीकृति इस कार्य के लिए दे दी है और मकानों का निर्माण दो वर्षों में हो जायेगा । यदि उन्हें 9 घंटे से अधिक कार्य करना पड़े तो हमने निचले पद के कर्मचारियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर दी है । हमने कुछ और निर्णय भी लिये हैं ताकि दिल्ली पुलिस की आवश्यकतायें पूरी हों तथा उनकी कठिनाइयां दूर हों ।

यह साफ है कि अनुशासन बहुत आवश्यक है विशेषकर उस दल के लिए जिसका काम शांति और व्यवस्था स्थापित करना हो । हम इस सम्बन्ध में संसद में एक विधेयक भी ला रहे हैं ।

मैं विश्वास करता हूं कि इस मामले के बारे में जो एक आयोग नियुक्त कर रहे हैं तथा कानून बना रहे हैं, उसमें सदन के सारे दल हमारे साथ हैं ताकि उनकी वास्तविक कठिनाइयों को दूर किया जाये तथा पुलिस दल दक्षता से कार्य करे ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 2 नवम्बर, 1966/11 कार्तिक, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha, then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 2nd November, 1966/Kartika 11, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS III—1983 (Ai) LS—2-3-67—600